2025 का विधेयक संख्यांक 107

[दि इंसोलवेंसी एंड बैंक्राप्सी कोड (अमेंडमेंट) बिल, 2025 का हिन्दी अनुवाद]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखे नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी ऐसे उपबंध में किसी प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

धारा 3 का संशोधन ।

2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में,—

(क) खंड (31) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूति हित केवल विद्यमान होगा यदि यह दो या अधिक पक्षकारों के किसी कार्य द्वारा किसी करार या ठहराव के अनुसरण में संपत्ति के लिए अधिकार , हक या हित या कोई दावा सृजित करता है और उसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के मात्र प्रवर्तन द्वारा सृजित प्रतिभूति हित सम्मिलित नहीं होगा ;";

(ख). खंड 31 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(31क) "सेवा प्रदाता" से बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत दिवाला वृत्तिक, दिवाला वृत्तिक अभिकरण, सूचना उपयोगिता और संहिता के अधीन दिवाला तथा शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों के प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है;"

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) खंड (2क) को इसके खंड (2ख) के रूप में, पुन:संख्याकित किया जाएगा और ऐसे पुन:संख्याकित किए गए खंड (2ख) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2क) "परिवर्जन संव्यवहार" से धारा 43, धारा 45, धारा 49 और धारा 50 में यथा निर्दिष्ट संव्यवहार अभिप्रेत है ;";

(ख) खंड (9) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(9क) "कपटपूर्ण या सदोष व्यापार" से धारा 66 में निर्दिष्ट कपटपूर्ण या सदोष व्यापार अभिप्रेत है ;";

(ग) खंड (11) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहां निगमित ऋणी के संबंध में, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए बहु आवेदन दिवाला प्रारंभ की तारीख पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं, वहां प्रारंभ की तारीख वह तारीख को होगी जिसको ऐसा प्रथम आवेदन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को दिया गया था ।";

(घ) खंड 26 के स्पष्टीकरण में "विलयन, आमेलन और निर्विलियन" शब्दों के स्थान पर "निगमित ऋणी की एक या अधिक आस्तियों का विलयन, आमेलन और निर्विलियन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड.) खंड (28) में, अंत में आने वाले "निगमित ऋणी" द्वारा लिए जाने वाले शब्दों के पश्चात् "लेनदारों, जो मत देने के लिए पात्र हैं, की समिति के सदस्यों को "शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (4) में परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(5) न्यायनिर्णयन अधिकारी आदेश द्वारा उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर—

(क) आवेदन को स्वीकार करेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन पूर्ण है तथा प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित नहीं है ; या

(ख) आवेदन को अस्वीकार करेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम नहीं हुआ है या उपधारा (2) के अधीन आवेदन अपूर्ण है और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है ; या

परन्तु न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन आवेदन अस्वीकार करने से पूर्व न्यायनिर्णयन अधिकारी से ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर अपने आवेदन में त्रुटि का सुधार करने के लिए आवेदक को एक सूचना देगा ;

परंतु यह और कि न्यायनिर्णयन अधिकारी ने, उपधारा (2) के अधीन आवेदन के प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया है, तब लिखित में ऐसे विलंब के लिए कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

स्पष्टीकरण I—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह, स्पष्ट किया जाता है कि जहां खंड (क) के अधीन अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तो वहां इस धारा के अधीन फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकार करने के लिए किसी अन्य आधार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण II—शंकाओं को दूर करने के लिए यह, स्पष्ट किया जाता है कि जहां सूचना उपयोगिता के साथ अभिलिखित की गई किसी वित्तीय संस्था के प्रति वित्तीय ऋण की बाबत व्यतिक्रम का अभिलेख इस धारा के अधीन ऐसी वित्तीय संस्था द्वारा फाइल किए गए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया है वहां ऐसे अभिलेख को, इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की विद्यमानता को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (3) के खंड (ड.) में "ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए"

शब्दों के स्थान पर, "ऐसी कोई अन्य सूचना जो विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपधारा (5) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

परंतु यह और कि यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी ने उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया है तो यह लिखित में ऐसे विलंब के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।"।

धारा 10 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (क) में, "ऐसी अवधि के लिए उसकी लेखा बहियों और ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं" शब्दों के स्थान पर "अन्य कोई सुसंगत सूचना उसकी लेखा बहियों और ऐसे अन्य दस्तावेजों, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) खंड (क) में, "और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में, "या प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iii) विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी ने उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर इस उपधारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया है तो यह लिखित में ऐसे विलंब के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।"।

धारा 11 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 11 के खंड (खक) में "अध्याय 3-क के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात् "अध्याय 4-क" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 12क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 12क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन स्वीकार किए गए आवेदन को वापिस लेना।

"12क (1) उपधारा (2) के अधीन रहते हुिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन स्वीकार किए गए आवेदन की वापसी को, लेनदारों की समिति के नब्बे प्रतिशत मतदान शेयर के अनुमोदन से ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए,

अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन स्वीकार किया गया आवेदन—

(क) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन लेनदारों की समिति के गठन से पूर्व; और

(ख) समाधान योजना के प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रथम निमंत्रण समाधान वृत्तिक द्वारा जारी किए जाने के पश्चात् ;

वापस नहीं लिया जाएगा ।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करेगा :

परंतु यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने ऐसी तारीख के भीतर आदेश पारित नहीं किया है तो वह लिखित में ऐसे विलंब के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।

धारा 14 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1) में, "उपधारा (2) और उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपधारा (2), उपधारा (2क) और उपधारा (3)" शब्द, कोष्ठक और अंक तथा अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) के खंड (ख) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपधारा (1) के उपबंध वहां भी लागू होंगे जहां प्रत्याभूति की संविदा के अनुसरण में निगमित ऋणी के विरूद्ध कोई कार्यवाही या कार्यवाहियां आरंभ करने या जारी रखने की प्रतिभू मांग करता है ।";

धारा 16 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किसी वित्तीय लेनदार द्वारा किया जाता है वहां धारा 7 के अधीन आवेदन में, यथा प्रस्तावित समाधान वृत्तिक, अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा यदि उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ।"।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन धारा 10 के अधीन किया जाता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे दिवाला वृत्तिक की सिफारिश के लिए बोर्ड को प्रतिनिर्देश करेगा जो अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य कर सके ;

(ग) उपधारा (4) में, "उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों, और अंकों के पश्चात्, "या उपधारा (3क), यथास्थिति" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए

जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 18 के खंड (ख) में,—

(क) "उसको लेनदारों द्वारा प्रस्तुत सभी दावों को," शब्दों के पश्चात् "ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाएं," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम समाधान वृत्तिक, दावों का संग्रहण करते समय,उनका सत्यापन करेगा और यदि अपेक्षित हो तो ऐसे सत्यापित दावों के मूल्य का अवधारण करेगा ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "कार्मिकों" शब्द के स्थान पर "व्यक्तियों" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो निगमित ऋणी का कार्मिक है या कार्मिक रहा है या इसका संप्रवर्तक रहा है या निगमित ऋणी के प्रबंधन से सहयुक्त रहा है या निगमित ऋणी के साथ सेवा के लिए संविदा में लगा है या लगा रहा है तो वहां वह अंतरिम समाधान वृत्तिक को ऐसी सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा जिसको उसके द्वारा, इस अध्याय के अधीन निगमित ऋणी के कार्यकलापों का प्रबंध करने या उस पर प्रदत्त कर्तव्यों का पालन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा की जाए ।

(ग) उपधारा (2) में "निगमित ऋणी या इसके संप्रवर्तक के किसी कार्मिक " शब्दों के स्थान पर "उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति" शब्द, कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

(घ) उपधारा (3) में—

(i) "ऐसे कार्मिक को निदेश देगा" शब्दों के स्थान पर "उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति को निदेश देगा" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) "समाधान वृत्तिक" शब्दों के स्थान पर 'अंतरिम समाधान वृत्तिक" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड.) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण**-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम समाधान वृत्तिक के प्रतिनिर्देशों में समाधान वृत्तिक के प्रति भी निदेश सम्मिलित होंगे"

धारा 21 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(11) जहां इस भाग के अध्याय 3 के अधीन किसी निगमित ऋणी की परिसमापन प्रक्रिया आरंभ की जाती है वहां इस धारा के अधीन गठित लेनदारों की समिति परिसमापक के परिसमापन प्रक्रिया के संचालन का भी पर्यवेक्षण करेगा और इस धारा और धारा 24 के उपबंध, अध्याय 3 के अधीन ऐसी समापन प्रक्रिया को वैसे ही लागू होंगे जैसी संदर्भ में अपेक्षा की जाए ।

परंतु बोर्ड किसी अन्य वर्ग या लेनदारों के वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो परिसमापन प्रक्रिया के दौरान लेनदारों की समिति में उपस्थित हो सकेंगे किंतु ऐसी बैठकों में उन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, यह घोषणा की जाती है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा यथासंशोधित इस धारा की उपधारा (11), धारा 34क और धारा 35 की उपधारा (2) के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे—

(क) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 ऐसे प्रारंभ की तारीख के पश्चात्, किसी निगमित ऋणी की परिसमापन प्रक्रिया; और

(ख) प्रारंभ की ऐसी तारीख को निगमित निगमित ऋणी की चालू प्रक्रिया, जहां परिसमापक ने धारा 54 के अधीन कोई ऐसा आवेदन नहीं किया है जिसके लिए लेनदारों की समिति शेष परिसमापन प्रक्रिया के लिए जारी रहेगी ।"।

धारा 22 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (क) में, "वहां वह अंतरिम समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय को संसूचित करेगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसा व्यक्ति, ऐसे समाधान की तारीख से संकल्प समाधान के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और यह विनिश्चय अंतरिम समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी और बोर्ड को संसूचित किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ञ) परिवर्जन, संव्यवहार या कपट या सदोष व्यापार, यदि कोई हो, के संबंध में न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास आवेदन फाइल करना; और" ।

धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन । कतिपय संव्यवहारों या व्यापार के संबंध में आवेदन का प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना ।

16. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"26. किसी परिवर्जन संव्यवहार, कपटपूर्ण या सदोष व्यापार के संबंध में या धारा 47 के अधीन आवेदन का फाइल किया जाना, यथास्थिति, निगमित दिवाला

समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया की कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन प्रक्रिया का पूरा होना, यथास्थिति, परिवर्जन संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोष व्यापार के संबंध में या धारा 47 के अधीन कार्यवाहियों की निरंतरता को प्रभावित नहीं करेगा ।"।

नई धारा 28क का अंत:स्थापन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी के प्रत्याभूति-दाता की आस्तियों का अंतरण ।

"28क. (1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निगमित ऋणी का लेनदार ने किसी विधि के अधीन ऐसी आस्ति पर अपने प्रतिभूति हित को प्रवृत्त करके निगमित ऋणी के वैयक्तिक प्रत्याभूति-दाता या निगमित प्रत्याभूति-दाता की आस्ति का कब्जा ले लिया है जो ऐसे लेनदार को आस्ति का अंतरण करने के लिए सशक्त करता है, वहां लेनदार, निगमित ऋणी के निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान, लेनदारों की समिति के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने दिवाला समाधान के भाग के रूप में ऐसी आस्ति के अंतरण को अनुज्ञात कर सकेगा :

परंतु जहां निगमित प्रत्याभूति-दाता निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया से गुजर रहा है वहां इस उपधारा के अधीन आस्ति का अंतरण मतदान शेयर के कम से कम छियासठ प्रतिशत के मत द्वारा, निगमित प्रत्याभूतिदाता की लेनदारों की समिति के अनुमोदन पर होगा, और अंतरण के अनुसरण में प्राप्त रकम, यथास्थिति, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या निगमित प्रत्याभूति-दाता की समाधान संपदा का भाग रूप होगी:

परंतु यह और कि निगमित प्रत्याभूतिदाता की परिसमापन प्रक्रिया के दौरान पहले परंतुक के अधीन लेनदारों की समिति का अनुमोदन केवल वहां अपेक्षित है जहां लेनदार ने धारा 52 के अधीन परिसमापन संपदा की ऐसी आस्ति का त्याग कर दिया है :

परंतु यह भी कि जहां वैयक्तिक प्रत्याभूतिदाता दिवाला समाधान प्रक्रिया या शोधन अक्षमता प्रक्रिया से गुजर रहा है और लेनदार ने ऐसी किसी आस्ति के संबंध में अपने अधिकार का समपहरण कर दिया है या उसका अभ्यपर्ण कर दिया है वहां इस उपधारा के अधीन ऐसी आस्ति का अंतरण वैयक्तिक प्रत्याभूति-दाता के लेनदारों के तीन चौथाई मूल्य से अधिक के बहुमत द्वारा अनुमोदन किए जाने पर होगा, और अंतरण के अनुसरण में प्राप्त रकम, यथास्थिति, दिवाला समाधान प्रक्रिया या वैयक्तिक प्रत्याभूति-दाता की शोधन अक्षमता प्रक्रिया का भाग रूप होगी ।

(2) समाधान योजना के अधीन उपधारा (1) में निर्दिष्ट आस्ति का अंतरण, आस्ति में या उसके संबंध में सभी अधिकारों को अंतिरिती में इस प्रकार निहित करेगा मानो ऐसा अंतरण ऐसे आस्ति के स्वामी द्वारा किया गया हो ।

(3) आस्ति के अंतरण के अनुसरण में प्राप्त रकम, इसके अंतरण से पूर्व

आस्ति के परिरक्षण और संरक्षण के संबंध में उपगत किसी खर्च, प्रभार और व्यय के अधीन रहते हुए लागू विधि के अनुसार प्रत्याभूति द्वारा देय ऋण की रकम के मद्दे समायोजित की जाएगी और जहां ऐसी रकम देय ऋण से अधिक है वहां अधिशेष प्रत्याभूति-दाता को संदत्त किया जाएगा ।"।

धारा 30 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में, —

(क) खंड (ख) की दीर्घ रेखा में "और वित्तीय लेनदार के ऋणों के संदाय का उपबंध करता है" से प्रारंभ होने वाले और "निगमित ऋणी का समापन" पर समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(खक) वित्तीय लेनदारों के, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऋणों के ऐसी रीति में संदाय का उपबंध करेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए, जो उस रकम से कम नहीं होगा, जो, यथास्थिति,—

(i) धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के समापन की दशा में ऐसे लेनदारों को संदत्त की जानी है; या

(ii) ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाएगी यदि समाधान योजना के अधीन वितरित की जाने वाली रकम धारा 53 की उपधारा (1) के पूर्विकता क्रम के अनुसार संवितरित की गई थी ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परंतुक के उपबंधों के अनुसार संवितरण, ऐसे लेनदारों के लिए ऋजु और साम्यापूर्ण होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और शोधन असक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 के यथा संशोधित उपबंध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को वहां लागू नहीं होंगे, जहां, निम्नलिखित में से कोई कार्य प्रथम बार हुए हैं,—

(i) धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन लेनदारों की समिति में समाधान योजना का अनुमोदन किया है ;

(ii) लेनदारों की समिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन परिसमापन के प्रारंभ को अनुमोदित करती है ; या

(iii) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिसमापन का आदेश पारित करता है;

(ग) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उपबंध करना और इस प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, समिति के गठन का उपबंध करने के लिए है;"।

धारा 31 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 31 में,—

(क) उपधारा (1) के विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान वृत्तिक द्वारा आवेदन किए जाने पर लेनदारों की समिति के अनुमोदन से मतदान अंश के 66 प्रतिशत से अनधिक मत द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाएं, पहले समाधान योजना के कार्यान्वयन का अनुमोदन कर सकेंगे और उसके पश्चात् ऐसी समाधान योजना के कार्यान्वयन के अनुमोदन की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर उसमें उपबंधित संवितरण की रीति का अनुमोदन करेंगे ।";

(ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान योजना, अतिरिक्त योजना या संवितरण की रीति को नामंजूर करने से पहले उसकी त्रुटियों की परिशुद्धि करने के लिए लेनदारों की समिति को सूचना देगा ।";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन, समाधान योजना, अतिरिक्त योजना, यदि कोई हो और संवितरण की रीति की प्राप्ति से तीस दिवस की अवधि के भीतर पारित करेगा :

परंतु यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने ऐसी सीमा के भीतर आदेश पारित नहीं किया है, तो वह ऐसा नहीं करने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ।";

(घ) उपधारा (4) के परंतुक में "लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पूर्व" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "न्यायनिर्णायन प्राधिकारी को धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन समाधान योजना प्रस्तुत करने से पहले" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ङ) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, जहां समाधान योजना, उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित की गई है, ऐसी समाधान योजना से सहबद्ध किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, अनापत्ति या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, शाखा विषयक विनियामक या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया इसी प्रकार का अनुदान या अधिकार, ऐसे अनुदान या अधिकार के शेष भाग के अस्तित्व के दौरान निलंबित या पर्यवसित नहीं होंगे, यदि निगमित ऋणी या कोई व्यक्ति, यदि लागू हो, जिसकी समाधान योजना उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित की जाती है, ऐसे अनुदान या अधिकार की शेष अवधि के संबंध में बाध्यताओं का पालन करता है ।

(6) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना

और अतिरिक्त योजना का अनुमोदन करता है,—

(क) समाधान योजना या अतिरिक्त योजना में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुमोदन की तारीख से पूर्व किसी अन्य विधि के अधीन निगमित ऋण और उसकी आस्तियों के विरुद्ध कोई दावा निर्वापित हो जाएगा; और

(ख) ऐसे दावों के आधार पर निगमित ऋणी या उसकी आस्तियों के विरुद्ध, कोई कार्यवाहियां, जिसके अधीन दावों के निर्धारण की कार्यवाहियां भी हैं, जारी नहीं रहेगी या संस्थित नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति के दावों या उसकी बाबत किन्हीं कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगी, जो यथास्थिति निगमित ऋणी का प्रवर्तक या उसके प्रबंधन या नियंत्रण में था, निगमित ऋणी का प्रतिभूति--दाता था, या निगमित ऋणी के साथ संयुक्त दायित्व या संयुक्त और पृथक्-पृथक् दायित्व रखने वाला कोई व्यक्ति था ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का समाधान योजना के अनुमोदन से पहले लेनदार द्वारा धारित ऋण के संदाय के लिए निगमित ऋणी के साथ संयुक्त दायित्व या संयुक्त और पृथक-पृथक दायित्व है और ऐसा व्यक्ति समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् ऐसे ऋण के लिए संदाय करता है, तब ऐसे व्यक्ति का निगमित ऋणी द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने का कोई अधिकार निर्वापित हो जाएगा ।"।

धारा 33 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 33 में,—

"(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में "या धारा 56 के अधीन त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) में, —

(I) उपखंड (ii) में "परिसमापन में है;" शब्दों के पश्चात्, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(II) उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(iv) धारा 52 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए धारा 14 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिस्थगन की घोषणा करेगा, जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी:

परंतु इस खंड के उपबंध ऐसे संव्यवहारों जो किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के संबंध में विधिक

कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे;

(v) धारा 34 के अनुसरण में परिसमापन प्रक्रिया के लिए परिसमापक की नियुक्ति का आदेश पारित करना ।";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस धारा की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित आधार विद्यमान हैं, वह समापन आदेश पारित करने से पहले लेनदारों की समिति द्वारा मतदान अंश के 66 प्रतिशत के अन्यून से ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पुनर्स्थापन के लिए आवेदन पर विचार करेगा और ऐसे आवेदन पर विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा—

(क) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) में उल्लिखित आधार विद्यमान हैं, ऐसी अवधि जो उपयुक्त समझी जाए, के भीतर किंतु एक सौ बीस दिन से अधिक नहीं हो, पूर्ण की जाने वाली निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रत्यास्थापित कर सकेगा;

(ख) यदि उपधारा (1) खंड (ख) में उल्लिखित आधार विद्यमान हैं,—

(i) समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण स्तर पर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रत्यास्थापित कर सकेगा, जो यथाविनिर्दिष्ट ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, पूरी की जाएगी; और

(ii) ऐसी प्रत्यास्थापित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अवधि, जो उपयुक्त समझी जाए, लेकिन एक सौ बीस दिन से अधिक नहीं हो, का उपबंध कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और शोधन असक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 के आरंभ की तारीख से ही उपधारा (1क) और उपधारा (1ख) के उपबंध ऐसे आरंभ की तारीख से पहले अध्याय 2 के अधीन आरंभ की गई निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू होंगे, जहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने इस धारा की उपधारा (1) के अधीन समापन आदेश पारित नहीं किया है और लागू नहीं होंगे जहां समापन आदेश पारित कर दिया जाता है ।

(1ख) उपधारा (1क) के अनुसार निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया केवल एक ही बार प्रत्यास्थापित की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन

समाधान योजना उपधारा (1क) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन उपबंधित रीति के भीतर प्राप्त नही होती है या धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त समाधान योजना खारिज कर दी जाती है, वह उपधारा (1) के अधीन समापन आदेश पारित करेगा ।"।

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) "परिपरिसमापन के लिए लेनदारों" शब्दों के स्थान पर, "परिपरिसमापन या विघटन के लिए लेनदारों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "उपखंड (ii) और उपखंड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "उपखंड (ii), उपखंड (iii) और उपखंड (iv)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) "उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथा निर्दिष्ट किसी परिपरिसमापन आदेश" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "या धारा 54 की उपधारा (2ख) के अधीन विघटन आदेश" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iv) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु लेनदारों की समिति निगमित ऋणी के विघटन का निर्णय लेने से पहले ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।";

(v) स्पष्टीकरण में, "परिसमापन" शब्द के पश्चात्, "या विघटन" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(घ) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस धारा के अधीन समाधान वृत्तिक से सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर परिपरिसमापन आदेश पारित करेगा:

परंतु यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने ऐसे समय के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो वह ऐसा नहीं करने के कारण अभिलिखित करेगा ।";

(ङ) उपधारा (3) में, "(ii) और (ii)" कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर, "(ii), (iii), (iv) और (v)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे;

(च) उपधारा (4) में,—

(i) "उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) और उपखंड (v) और कोई अन्य आदेश पारित करने का अधिकार, जैसा वह ठीक समझे" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, यदि वह उचित समझे, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रत्यास्थापित कर सकेगा और समुचित आदेश

पारित कर सकेगा।";

(छ) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा;

(ज) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(6) जहां परिपरिसमापन आदेश पारित किया गया है, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रारंभ नहीं की जाएगी या यदि वे परिपरिसमापन आदेश की तारीख पर लंबित है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति के सिवाय और ऐसे निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अधिरोपित करे, निगमित ऋणी की ओर से परिसमापक द्वारा कार्रवाई की जाएगी ।"।

धारा 34 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 34 में, —

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) लेनदारों की समिति, मतदान अंश के कम से कम छियासठ प्रतिशत के मत द्वारा, या तो यह संकल्प कर सकती है कि—

(क) अध्याय 2 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए या अध्याय 3क के अधीन पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त समाधान वृत्तिक का प्रस्ताव कर सकेगा, जो कि समाधान वृत्तिक से ऐसे प्ररूप में लिखित सहमति के अधीन होगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ख) समाधान वृत्तिक से भिन्न किसी अन्य दिवाला वृत्तिक का प्रस्ताव करना, दिवाला वृत्तिक से लिखित सहमति के अधीन रहते हुए, ऐसे प्ररूप में जो विनिर्दिष्ट किया जाए, कर सकेगा,

यथास्थिति, परिसमापन के प्रयोजनों के लिए परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, और वह अपना नाम न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से भेजेगा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(1क) न्यायनिर्णायक प्राधिकरी उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित परिसमापक का नाम बोर्ड को उसकी पुष्टि के लिए भेजेगा और बोर्ड द्वारा पुष्टि के पश्चात् ऐसी नियुक्ति करेगा";

(ख) उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) कोई व्यक्ति जो निगमित ऋणी का कार्मिक या उसका संपर्वतक है या रह चुका है या निगमित ऋणी के प्रबंधन से सहबद्ध है या रह चुका है या निगमित ऋणी के साथ सेवा के लिए संविदा में नियोजित है या नियोजित रह चुका है, समापक की, जैसा निगमित ऋणी के कार्यों के प्रबंधन के लिए या इस अध्याय उस पर प्रदत्त कर्तव्यों के पालन के लिए उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, सभी प्रकार से सहायता और सहयोग करेंगे और धारा 19 के उपबंध स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे अंतरिम समाधान वृत्तिक और समाधान वृत्तिक के प्रति निर्देश के लिए परिसमापक के प्रति निर्देशों के प्रतिस्थापन के साथ समापन प्रक्रिया के संबंध में लागू होते हैं ।";

(4) यथास्थिति, इस धारा और धारा 34क में किसी बात के होते हुए भी, किसी निगमित ऋणी के लिए अध्याय 2 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या अध्याय 3-क के अधीन पूर्व-पैक्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त समाधान वृत्तिक परिसमापक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य होगा, जहां धारा 30 की उपधारा (6) के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के कारण खारिज कर दी गई थी।

(5) जहां लेनदारों की समिति, प्रस्तावित समापक का नाम अग्रेषित नहीं करती है या बोर्ड प्रस्तावित परिसमापक के नाम की पुष्टि नहीं करता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी बोर्ड को दिवाला वृत्तिक को परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निर्देश करेगा ।

(6) बोर्ड, उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, दिवाला पेशेवर का नाम, दिवाला पेशेवर की लिखित सहमति के साथ, ऐसे प्ररूप में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तावित करेगा।";

(ग) उपधारा (7) में, "आदेश द्वारा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 34क का अंत:स्थापन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

परिसमापक का लेनदारों की समिति से बदला जाना ।

"34क. (1) जहां परिसमापक प्रक्रिया के दौरान किसी समय लेनदारों की समिति की यह राय है कि धारा 34 या इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए परिसमापक को बदला जाना, वह मतांश के छियासठ से अनधिक मतों द्वारा परिसमापक को अन्य दिवाला वृत्तिक के साथ ऐसे प्रस्तावित परिसमापक की लिखित सहमति के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे प्ररूप में, जो विनिर्दिष्ट किया जाए बदलने का संकल्प पारित करती है ।

(2) जहां लेनदारों की समिति, उपधारा (1) के अधीन परिसमापक को बदलने का संकल्प करती है, वह प्रस्तावित परिसमापकों की नियुक्ति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर लागू होगा और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित नहीं है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी, धारा 34 या इस धारा के अधीन नियुक्त किए गए परिसमापक को बदलेगी और प्रस्तावित परिसमापक को परिसमापक के रूप में नियुक्त करेगी ।"।

धारा 35 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) लेनदारों के दावों की अद्यतन सूची ऐसी रीति में रखना, जो विनिर्दिष्ट की जाए ;";

(ii) खंड (ञ) में, "लेनदारों और दावेदारों को आमंत्रित करना और उनके दावों को तय करना तथा" शब्दों के स्थान पर, "लेनदारों और दावेदारों के दावों को तय करना और" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ठ) परिवर्जनीय संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोष व्यापार के संबंध में कार्यवाहियां जारी रखना या संस्थित करना ;";

(iv) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**–इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा यथा संशोधित इस उपधारा के खंड (क) और खंड (ञ) तथा धारा 38 से धारा 42 के उपबंध, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख को और उसके पूर्व आरंभ की गई परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को लागू नहीं होंगे ।"।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(2) लेनदारों की समिति, अध्याय 3 के अधीन समापक द्वारा संचालित परिसमापन प्रक्रिया का, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, का पर्यवेक्षण करेगी ।"।

धारा 36 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) के खंड (च) में, "इस अध्याय के अनुसार संव्यवहारों के परिवर्जन की कार्यवाहियों के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर, "परिवर्जनीय संव्यवहार, कपटपूर्ण या सदोष व्यापार या धारा 47 के अधीन की कार्यवाहियों के माध्यम से" शब्द और अंक अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 38 से धारा 42 का लोप ।

25. मूल अधिनियम की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41 और धारा 42 का लोप किया जाएगा ।

धारा 43 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(i) वह प्रारंभ तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्ष से आरंभ होने वाली और दिवाला प्रारंभ तारीख पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान संबंधित पक्षकार (केवल कोई कर्मचारी होने के कारण से भिन्न) को दिया जाता है ; या

(ii) कोई अधिमान, प्रारंभ तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्ष से आरंभ होने वाली और दिवाला प्रारंभ तारीख पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी संबंधित पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति को दिया जाता है ।"।

धारा 46 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 46 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "परिवर्जनीय" शब्द के स्थान पर, "न्यून मूल्यांकित" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) में,—

(i) "न्यून मूल्य पर किसी संव्यवहार के परिवर्जन" शब्दों के स्थान पर, "न्यून मूल्यांकित किसी संव्यवहार के परिवर्जन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (i) और (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख जाएंगे, अर्थात् :—

"(अ) ऐसा संव्यवहार, किसी व्यक्ति के साथ, प्रारंभ की तारीख से पूर्ववर्ती एक वर्ष से आरंभ होने वाली और दिवाला प्रारंभ तारीख पर समाप्त होने वाली अवधि के भीतर किया गया है ; या

(आ) ऐसा संव्यवहार, किसी व्यक्ति के साथ, जो एक संबंधित पक्षकार है, प्रारंभ की तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्ष से आरंभ होने वाली और दिवाला प्रारंभ तारीख पर समाप्त होने वाली अवधि के भीतर किया गया है ।"।

धारा 47 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन । कतिपय संव्यवहारों या व्यापार की दशा में लेनदारों, सदस्य या भागीदार द्वारा आवेदन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 47 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"47. (1) जहां,—

(क) धारा 43 के अधीन कोई अधिमानी संव्यवहार ;

(ख) धारा 45 के अधीन न्यून मूल्यांकित संव्यवहार ;

(ग) धारा 50 के अधीन कोई उद्यापक प्रत्यय संव्यवहार ; या

(घ) धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण व्यापार या सदोष व्यापार,

हुआ है और, यथास्थिति, समापक या दिवाला समाधान वृत्तिक ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट नहीं की है, लेनदार या तो स्वयं या अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या, यथास्थिति, निगमित ऋणी का सदस्य या भागीदार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, यथास्थिति, इस अध्याय या अध्याय 6 के संबंधित उपबंधों के अनुसार सुसंगत आदेश पारित करने के लिए आवेदन करे सकेगा ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी का उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन सुसंगत संव्यवहार या व्यापार हुआ है, तो वह यथास्थिति, ऐसे संव्यवहार या व्यापार के परिवर्जन के लिए इस प्रकार से आदेश पारित करेगा, मानो ऐसे समापक या दिवाला समाधान वृत्तिक द्वारा इस अध्याय या अध्याय 6 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार कोई आवेदन फाइल किया गया था ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करने के पश्चात्, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, समापक या दिवाला समाधान वृत्तिक ने ऐसे संव्यवहार या व्यापार की सूचना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जानकारी या अवसर होने के पश्चात् ऐसे संव्यवहार या व्यापार की न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को रिपोर्ट नहीं की थी, तो वह, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए बोर्ड को अपेक्षित आदेश पारित करेगा ।"।

धारा 49 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 49 के परंतुक के खंड (क) में, "निगमित ऋणी" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, निगमित ऋणी या निगमित ऋणी से संबंधित कोई

पक्षकार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 50 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) में, "दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "प्रारंभ तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्ष से आरंभ होने वाली और दिवाला प्रारंभ तारीख पर समाप्त होने वाली अवधि के दौरान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 52 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 52 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रतिभूत हित को वसूल करने का आशय करता है, वहां वह ऐसे प्रतिभूति हित के समापक को सूचित करेगा और ऐसी आस्ति की पहचान करेगा, जिसके अधीन रहते हुए ऐसे प्रतिभूति हित का परिसमापन आरंभ करने की तारीख से चौदह दिन के भीतर प्रतिभूति हित वसूल किया जाना है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसे प्रतिभूति हित को परिसमापन संपदा के प्रति परित्यक्त समझा जाएगा ।

परंतु जहां एक से अधिक प्रतिभूत लेनदार का निगमित ऋणी की किसी आस्ति पर कोई प्रतिभूत हित है, कोई प्रतिभूत लेनदार अपनी प्रतिभूति हित को तब तक वसूलने का हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे प्रतिभूत लेनदारों द्वारा वसूली पर सहमति नहीं हो जाती है, जो ऐसे प्रतिभूत हितों द्वारा प्रतिकूल सभी दावों के मूल्य के छियासठ प्रतिशत से अन्यून का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों ।"।

(ख) उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(8) धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उपखंड (i) में यथा निर्दिष्ट दिवाला समाधान प्रक्रिया की रकम, लागत और समापन लागत तथा कर्मकारों को देय ऐसे प्रतिभूत लेनदारों द्वारा, जिन्होंने इस धारा में उपबंधित रीति से, अपने प्रतिभूत हितों को वसूल किया है, किसी वसूली के आगमों से कटौती की जाएगी और वे ऐसी रकमों को समापन संपदा में सम्मिलित किए जाने के लिए, ऐसी रकम, ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विहित की जाए, समापक को अंतरित करेंगे ।"।

(ग) उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि दिवाला और धन-शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (2) के उपबंध, धन-शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 के आरंभ होने की तारीख को और उसके पूर्व

संस्थित परिसमापन प्रक्रिया को लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 53 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) के उपखंड (ii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां प्रतिभूत लेनदार द्वारा परित्यक्त प्रतिभूति हित का मूल्य निगमित ऋणी द्वारा ऐसे प्रतिभूत लेनदार के प्रति देय कुल ऋण से कम है, वह ऐसे प्रतिभूत हित के मूल्य के विस्तार तक, जिसका अवधारण ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिभूत लेनदार होगा और ऐसे ऋण के शेष मूल्य के लिए उसे अप्रतिभूत लेनदार समझा जाएगा ।";

(ii) खंड (ङ) के उपखंड (i) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई रकम, चाहे ऐसा प्रतिभूत हित ऐसी रकम को प्रतिभूत करने के लिए सृजित किया गया हो या नहीं, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को देय है, के संपूर्ण या किसी भाग के संबंध में समापन प्रक्रिया प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष पूर्व इस उपधारा के अधीन वितरित की जाएगी और कोई अतिशेष रकम, चाहे प्रतिभूत हित हो या नहीं, ऐसी रकम को प्रतिभूत करने के लिए सृजित की जाती है, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को देय है, का वितरण खंड (च) के अधीन किया जाएगा ;";

(ख) उपधारा (2) में निम्नलिखित दृष्टांत अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**दृष्टांत 1**—श्रमिक और निगमित ऋणी के प्रतिभूत लेनदारों ने एक संविदात्मक ठहराव किया है, जो यह उपबंध करता है कि निगमित ऋणी के दिवाला या परिसमापन की दशा में प्रतिभूत लेनदारों के प्रति देय सभी ऋणों को कर्मकार के प्रति देय किसी ऋण को चुकाने से पूर्व चुकाया जाएगा । ऐसे संविदात्मक ठहराव को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

दृष्टांत 2—"X", जो निगमित ऋणी का एक प्रतिभूत लेनदार है, का "Y" जो निगमित ऋणी का अन्य लेनदार है, के साथ एक संविदात्मक ठहराव है । संविदात्मक ठहराव के अनुसार निगमित ऋणी के दिवाला या परिसमापन की दशा में "X" को देय ऋण को "Y" को देय किसी ऋण को चुकाने से पूर्व चुकाया जाएगा । ऐसे संविदात्मक ठहराव को हिसाब में लिया जाएगा ।"।

धारा 54 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी,

अर्थात् :–

"(1) समापक निगमित ऋणी की आस्तियों का पूर्णतया परिसमापन करेगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को परिसमापन प्रारंभ होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की कालावधि के भीतर इसके विघटन के लिए, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आवेदन करेगा :

परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर्याप्त कारणों के साथ समापक द्वारा आवेदन करने पर परिकल्पित अवधि का नब्बे दिन से अनधिक अवधि, जैसा वह ठीक समझे, विस्तार कर सकेगा ।

(1क) जहां धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किए जाने से पूर्व या उपधारा (2) के अधीन निगमित ऋणी का विघटन करने का निर्णय किए जाने से पूर्व परिवर्जनीय संव्यवहार या कपटपूर्ण या दोषपूर्ण व्यापार के संबंध में या धारा 47 के अधीन कोई कार्यवाही लंबित है, वहां लेनदारों की समिति, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसी कार्यवाहियों को अग्रसर करने की रीति और ऐसी कार्यवाहियों से उद्भूत आगमों के वितरण का अवधारण करेगी ; और

(1ख) जहां धारा 53 के अधीन किन्हीं आगमों को वितरित किए जाने के संबंध में निगमित ऋणी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन किए जाने या उपधारा (2) के अधीन निगमित ऋणी का विघटन करने का निर्णय किए जाने से पूर्व लंबित है, वहां लेनदारों की समिति ऐसे वाद या कार्यवाही को अग्रसर करने के लिए और ऐसे वाद या कार्यवाही में पक्षकारों को आगमों के वितरण के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाए, समुचित इंतजाम करेगी ।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(2क) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन निगमित ऋणी का विघटन करने के लिए लेनदारों की समिति के विनिश्चय की प्राप्ति पर आदेश करेगी कि निगमित ऋणी का आदेश की तारीख से विघटन कर दिया जाए और निगमित ऋणी तदनुसार विघटित हो जाएगा :

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी आदेश को पारित करने पर निगमित ऋणी की कोई आस्ति, जो उसके पास रह जाए, ऐसी आस्ति का ऐसी रीति में निपटान किया जा सकेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए और उसके आगमों को दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागतों के संदाय के लिए वितरित किया जाएगा तथा ऐसी लागतों के संदाय के पश्चात् शेष किसी अधिशेष का धारा 224 के अधीन विरचित दिवाला और धन-शोधन अक्षमता निधि में प्रत्यय किया जाएगा ।

(2ख) उपधारा (2) और उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विघटन आदेश का पारित किया जाना, उपधारा (1क) और उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों के जारी रखने को प्रभावित नहीं करेगा ।";

(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (2ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन निगमित ऋणी का विघटन करने के लिए लेनदारों की समिति के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर इस धारा के अधीन विघटन आदेश पारित करेगा :

परंतु यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने ऐसी अवधि के भीतर आदेश पारित नहीं किया है तो वह ऐसे विलंब के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।"।

धारा 54क का संशोधन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 54क की उपधारा (2) में,–

(क) खंड (क) में, "पूर्व पैकेजित दिवाला समाधान प्रक्रिया, या" शब्दों के स्थान पर, "पूर्व पैकेजित दिवाला समाधान प्रक्रिया या ऋणी द्वार प्रारंभ दिवाला समाधान प्रक्रिया, या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "समाधान प्रक्रिया" शब्दों के पश्चात्, "या ऋणी द्वार प्रारंभ दिवाला समाधान प्रकिया" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 54ग का संशोधन ।

35. मूल अधिनियम की धारा 54ग की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) निगम आवेदक, आवेदन के साथ ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।"।

धारा 54च का संशोधन ।

36. मूल अधिनियम की धारा 54च की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(5) कोई व्यक्ति, जो निगमित ऋणी का कार्मिक है या कार्मिक रहा है या इसका संप्रवर्तक है या निगमित ऋणी के प्रबंधन के साथ सहबद्ध है या निगमित ऋणी के पास सेवा की संविदा में नियोजित है, समाधान वृत्तिक को उसके कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के निर्वहन में ऐसी सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा, जो उससे अपेक्षित किए जाएं तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए धारा 19 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध, यथा आवश्यक उपांतरणों सहित, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होंगे ।"।

धारा 54ठ का संशोधन ।

37. मूल अधिनियम की धारा 54ठ में,–

(क) उपधारा (2) में, "और उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान

पर, "और उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान योजना को अस्वीकार करने से पूर्व लेनदारों की समिति को समाधान योजना में त्रुटियों का सुधार करने के लिए नोटिस देगा ।"।

(ग) उपधारा (4) में, "(ii) और (iii)" कोष्ठकों, अंकों और शब्द के स्थान पर, "(ii), (iii), (iv) और (v)" कोष्ठक, अंक और शब्द ।

धारा 54ढ में संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 54ढ की उपधारा (4) के खण्ड (क) में, "(ii) और (iii)" कोष्ठकों, अक्षरों और शब्द के स्थान पर, "(ii), (iii), (iv) और (v)" कोष्ठक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

भाग 2 के अध्याय 4 का लोप।

39. मूल अधिनियम के भाग 2 में अध्याय 4 का लोप किया जाएगा।

भाग 2 में नया अध्याय 4-क का अंतःस्थापन ।

40. मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 4क

लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया

लेनदारों द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र कारपोरेट ऋणी ।

58क. (1) इस अध्याय के अधीन निम्नलिखित कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, अर्थात्: —

(क) ऐसे स्तर से नीचे की आस्तियों या आय या दोनों वाला कॉर्पोरेट ऋणी;

(ख) ऐसे वर्ग के लेनदारों या ऋण की ऐसी रकम वाला कोई कॉर्पोरेट ऋणी; या

(ग) कॉर्पोरेट ऋणी की ऐसी अन्य श्रेणी,

जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाएगी—

(क) जिसके लिए दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही आरंभ हो चुकी है और भाग 2 के उपबंधों के अधीन अभी भी चल रही है; और

(ख) लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला आरंभ तारीख से पहले की तीन वर्ष की अवधि के दौरान, जिसने लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया, पूर्व-पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया या कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी कर ली हो ।

लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला प्रक्रिया का आरंभ ।

58ख. (1) वित्तीय संस्थाओं के ऐसे वर्ग से संबंधित कोई वित्तीय लेनदार, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जिसके संबंध में किसी कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा चूक की गई है, इस धारा के उपबंधों के अनुसार एक समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करके और निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे कॉर्पोरेट ऋणी के लिए लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ कर सकता है।

(2) लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की मांग करने वाले वित्तीय लेनदार को, समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करने से पहले,—

(क) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं के वर्ग से संबंधित कारपोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदारों का अनुमोदन, जो ऐसे वित्तीय लेनदारों को देय ऋण के मूल्य में कम से कम इक्यावन प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी रीति से प्राप्त करना जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जा सके;

(ख) कॉर्पोरेट ऋणी को ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के अपने आशय के बारे में सूचित करेगा और उसे विनिर्दिष्ट रूप और रीति से कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम तीस दिन की अवधि देगा; और

(ग) खंड (ख) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, जहां वित्तीय लेनदार प्रक्रिया आरंभ करने का प्रयास जारी रखता है, वहां वह उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित ऐसे वर्ग से संबंधित, जो ऐसे वित्तीय लेनदारों को देय ऋण के मूल्य में कम से कम इक्यावन प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी रीति से, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, कारपोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदारों का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

परन्तु जहां तीस दिन की नियत अवधि के भीतर खंड (ग) के अधीन कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, वित्तीय लेनदार, यदि वह लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करना चाहता है, तो खंड (क) के अधीन नया अनुमोदन प्राप्त करेगा और इस उपधारा के अधीन प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां कॉर्पोरेट लेनदार खंड (ख) के अधीन वित्तीय लेनदार द्वारा दी गई अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वित्तीय लेनदार ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् उप-धारा (3) के उपबंधों के अनुसार समाधान वृत्तिक को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

(3) जहां वित्तीय लेनदार, जो लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करना चाहता है, उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करता है, वहां वह किसी दिवाला वृत्तिक को, यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, उपधारा (2) के अधीन सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के तुरंत पश्चात्, समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(4) जहां समाधान वृत्तिक को उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किया जाता है, वहां वह—

(क) लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के आरंभ की सार्वजनिक घोषणा करना; और

(ख) वित्तीय लेनदार धारा 58क और धारा 58ख के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं, इसकी पुष्टि करने वाली रिपोर्ट के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और बोर्ड को सूचित करना,

ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्ररूप और रीति से, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, तथा

लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया ऐसी सार्वजनिक घोषणा की तारीख से आरंभ हुई मानी जाएगी।

(5) धारा 7, धारा 9, धारा 10 और धारा 54ग में किसी बात के होते हुए भी, कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या पूर्व-पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान फाइल या स्वीकार नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला प्रारंभ तारीख" से धारा 58ख की उपधारा (4) में निर्दिष्ट सार्वजनिक घोषणा की तारीख अभिप्रेत है; और

(ii) "लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जो लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला आरंभ की तारीख से आरंभ होकर उस तारीख को समाप्त होती है, जिस तारीख को धारा 58ज की उपधारा (1) या धारा 58झ की उपधारा (1) या धारा 31 के साथ पठित धारा 58ञ के अधीन आदेश पारित किया जाता है।

प्रक्रिया आरंभ करने पर आपत्तियां ।

58ग. (1) यदि कॉर्पोरेट ऋणी को धारा 58ख के अधीन प्रक्रिया आरंभ करने पर कोई आपत्ति है, तो वह लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला के आरंभ की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप और रीति से, ऐसी फीस के साथ जैसा कि विहित किया जाए, आवेदन फाइल कर सकेगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आवेदन के अनुसरण में, संतुष्ट है कि—

(क) कोई चूक नहीं हुई है या दोनों में कोई चूक नहीं हुई है और लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया धारा 58क या धारा 58ख का उल्लंघन थी, तो वह आदेश द्वारा प्रक्रिया के आरंभ को प्रारंभ से शून्य घोषित कर सकेगा ;

(ख) यदि कोई चूक हुई है, तथापि, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया का आरंभ धारा 58क या धारा 58ख के उल्लंघन में थी, तो वह लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित कर देगा और धारा 58ज की उपधारा (1) के उपखंड (i) से (v) में निर्दिष्ट आदेश पारित करेगा।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (2) के अधीन आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने ऐसी अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया है तो वह ऐसे विलंब के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की अवधि।

58घ. (1) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया, ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवालियेपन प्रारंभ तारीख से एक सौ पचास दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, समाधान वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर, लेनदारों की समिति के अनुमोदन से, मतदान अंश के कम से कम छियासठ प्रतिशत मत

द्वारा, उपधारा (1) के अधीन अवधि को, पैंतालीस दिन से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि का विस्तार एक बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्धारित अवधि या उपधारा (2) के अधीन नियत अवधि के भीतर लेनदारों की समिति द्वारा कोई समाधान योजना अनुमोदित नहीं की जाती है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 58ज की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करेगा।

समाधान वृत्तिक के कर्तव्य और शक्तियां ।

58ङ. (1) समाधान वृत्तिक, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन करेगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्:—

(क) दावे प्रस्तुत करने के लिए आह्वान करना;

(ख) सूचना ज्ञापन तैयार करना;

(ग) ऐसे प्ररूप में, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए, एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि क्या लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया का संचालन प्रक्रियागत अपेक्षाओं के अनुरूप है और उसके साथ फाइल की गई समाधान योजना धारा 29क और 30 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, जो यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगी;

(घ) धारा 18 के खंड (क) से (ग) और धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ङ) से (ञ) में निर्दिष्ट कर्तव्य, जो यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को लागू होंगे;

(ङ) धारा 54च की उपधारा (3) और (4) में निर्दिष्ट शक्तियां, जो यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को लागू होंगी;

(च) बोर्ड के समक्ष ऐसी रिपोर्ट और दस्तावेज फाइल करना, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति जो कॉर्पोरेट ऋणी या उसके संप्रवर्तक का कार्मिक है या रहा है, या कॉर्पोरेट ऋणी के प्रबंधन से संबद्ध है, या कॉर्पोरेट ऋणी के साथ सेवा के लिए संविदा में लगा हुआ है, समाधान वृत्तिक को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा, जैसा कि उसके कर्तव्यों का पालन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और ऐसे प्रयोजनों के लिए, धारा 19 की उप-धारा (2) और (3) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही के संबंध में लागू होंगे।

कॉर्पोरेट ऋणी के मामलों का प्रबंधन और उसके कार्मिकों का सहयोग ।

58च. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान, कॉर्पोरेट ऋणी के मामलों का प्रबंधन, कॉर्पोरेट ऋणी के निदेशक मंडल या भागीदारों में निहित रहेगा, जैसा भी मामला हो, और धारा 54ज के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही पर लागू होंगे।

(2) किसी अन्य विधि में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, लेनदार द्वारा आरंभ आरंभ की गई दिवाला के आरंभ की तारीख से, समाधान वृत्तिक कॉर्पोरेट ऋणी के सदस्यों, निदेशक मंडल और निदेशकों की समिति, या भागीदारों की बैठकों में भाग लेगा, और उसे

इन बैठकों में पारित किसी भी प्रस्ताव को ऐसी शर्तों और ऐसी रीति के अधीन अस्वीकार करने का अधिकार है, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, और एक बार जब वह किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, तो उसे अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

(3) कॉर्पोरेट ऋणी के संप्रवर्तक और कार्मिक, समाधान वृत्तिक को सूचना ज्ञापन तैयार करने के लिए कॉर्पोरेट ऋणी से संबंधित सुसंगत जानकारी ऐसे प्ररूप और रीति से और ऐसी अवधि के भीतर प्रदान करेंगे, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, और जहां किसी व्यक्ति को किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लोप या ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई किसी भ्रामक जानकारी या झूठी जानकारी को शामिल करने के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है, वे उत्तरदायी होंगे और इस संबंध में, धारा 54-छ की उप-धारा (2) से (4) और धारा 77-क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अध्याय के अधीन कार्यवाही पर लागू होंगे।

अधिस्थगन ।

58छ. (1) ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान, समाधान वृत्तिक, लेनदारों की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, धारा 14 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिस्थगन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा, जो यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होगा:

परन्तु समाधान वृत्तिक, धारा 58ख की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के वर्ग से संबंधित कॉर्पोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदारों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, लेनदारों की समिति के गठन से पहले ऐसा आवेदन फाइल कर सकेगा, जो ऐसी रीति से जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, ऐसे वित्तीय लेनदारों को देय ऋण के मूल्य में इक्यावन प्रतिशत से कम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ।

(2) जहां उपधारा (1) में आवेदन किया गया है, वहां धारा 14 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिस्थगन आवेदन की तारीख से आरंभ होगा और लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान प्रचालन में बना रहेगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अधिस्थगन की पुष्टि कर सकेगा, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि अधिस्थगन लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के उचित और कुशल संचालन के लिए आवश्यक है, या आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा।

(3) समाधान वृत्तिक निम्नलिखित की सार्वजनिक घोषणा ऐसे प्ररूप और रीति से करेगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, अर्थात् :—

(क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन फाइल करना; और

(ख) उपधारा (2) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने वाला न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का आदेश, यदि कोई हो।

लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को दिवाला समाधान प्रक्रिया में संपरिवर्तन करना।

58ज. (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,—

(क) धारा 58घ के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है;

(ख) इस बात से संतुष्ट है कि कॉर्पोरेट ऋणी या उसके कार्मिक समाधान वृत्तिक की सहायता या सहयोग करने में विफल रहे हैं; या

(ग) धारा 31 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 58ञ की उपधारा (2) के अधीन समाधान योजना को अस्वीकार कर देता है,

वह आदेश द्वारा, —

(i) लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को अध्याय 2 के अधीन कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित करना और ऐसे अध्याय के उपबंध लागू होंगे;

(ii) लेनदारों की समिति की किसी सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, उस चरण का निर्णय करना जिससे कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ होगी, जो विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी;

(iii) लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए जैसा भी मामला हो समाधान वृत्तिक को अंतरिम समाधान वृत्तिक या कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त करना ;

(iv) धारा 14 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अधिस्थगन की घोषणा कर सकेगा; और

(v) यह घोषित करना कि लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान हुई लागत, यदि कोई हो, को कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।

(2) जहां लेनदारों की समिति, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय, मतदान शेयर के छियासठ प्रतिशत से अन्यून मत द्वारा, कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में ऋणी द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित करने का संकल्प लेती है, वहां समाधान वृत्तिक इस प्रयोजन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन करेगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण उपधारा (1) के उपखंड (i) से (v) में निर्दिष्ट आदेश पारित करेगा।

(3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को अध्याय 2 के अधीन कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित करने का आदेश पारित करता है -

(क) लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान परिवर्जन संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोष व्यापार या धारा 47 के अधीन आरंभ की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान जारी रहेगी;

(ख) ऐसा आदेश धारा 7 के अधीन आवेदन स्वीकार करने का आदेश समझा जाएगा और वित्तीय लेनदार, जिसने धारा 58ख के अधीन लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ की थी, उस प्रयोजन के लिए आवेदक माना जाएगा; और

(ग) धारा 43, धारा 46 और धारा 50 के प्रयोजनों के लिए, "प्रारंभ की तारीख और दिवाला आरंभ की तारीख को समाप्त होने वाले" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "लेनदार-आरंभ किए गए दिवाला प्रारंभ तारीख और दिवाला प्रारंभ तारीख को

समाप्त होने वाले", के प्रति निर्देश हैं।

समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन ।

58ञ. (1) जहां लेनदारों की समिति मतदान भाग के छियासठ प्रतिशत से अनधिक मतदान द्वारा, धारा 30 के उपबंधों के अनुसार समाधान योजना का अनुमोदन करती है, समाधान वृत्तिक धारा 58 ङ की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट रिर्पोट के साथ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को अनुमोदित समाधान योजना प्रस्तुत करेगी ।

(2) समाधान योजना के प्राप्ति पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 31 के उपबंधों के अनुसार एक आदेश पारित करेगा जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को करने के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा ।

इस अध्याय पर अध्याय 2, 3, 6 और 7 के उपबंधों का लागू होना ।

58ट. (1) इस अध्याय के उपबंध के सिवाय, धारा 21, 24, 25क 26, 27, 28, 28 क, 29, 32, 32क, 43 से 51 के उपबंध और इस भाग के अध्याय 6 और अध्याय 7 के उपबंध ऐसे उपांतरणों के अधीन, लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा, की जो निर्देश करता है कि –

(क) "कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया" को "लेनदार प्रवर्तित दिवाला प्रक्रिया" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ;

(ख) "दिवाला प्रारंभ की तारीख" को "लेनदार प्रवर्तित दिवाला प्रारंभ की तारीख" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ;

(ग) "दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि" को "लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ; और

(घ) धारा 43, 46 और 50 के अधीन यह निर्देश की "आरंभिक अवधि से " को "अवधि के" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और "प्रवर्तित तारीख और दिवाला प्रारंभ की तारीख पर समाप्ति" को "लेनदार प्रवर्तित दिवाला प्रारंभ की तारीख" के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन किसी निगमित व्यक्ति को लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया ऐसी शर्तों तथा प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी की जाएगी उस प्रकार मिलेगी, जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

धारा 59 का संशोधन ।

41. मूल अधिनियम की धारा 59 में, –

(क) उपधारा 2 में "प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्दों के स्थान पर "प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा और ऐसी अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जो एक वर्ष से अधिक न हो, विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द रखे जाऐंगे ;

(ख) उपधारा (3) में खंड (ख) में, उपखंड (ii) में "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" के शब्द के स्थान पर "कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 247 के अधीन "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" शब्द और आंकड़े रखे जाएगे ;

(ग) उपधारा (4) में "अधिसूचित" शब्द के स्थान पर "सूचना" शब्द रखा जाएगा ;

(घ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् ;–

"(5क) उपधारा (5) के अधीन स्वेछया समापन कार्यवाही के आरंभ के पश्चात् किसी समय किन्तु उपधारा (7) के अधीन किसी आवेदन के पूर्व फाईल की जाती है, स्वेछया समापन कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों का समाधान हो जाता है अर्थात् :–

(क) कम्पनी के सदस्यों ने स्वेछया समापन कार्यवाही के अवसान के लिए विशेष संकल्प पारित किया है;

(ख) जहां कोई कम्पनी खंड (क) के अधीन समाधान की तारीख पर किसी व्यक्ति उधार देने के लिए ऋणी होती है, ऐसे उधार के मूल्य में तिहाई प्रतिनिधित्व लेनदार ऐसे समाधान की सात दिन के अवधि के भीतर खंड (क) के अधीन समाधान का अनुमोदन करते है ; और

(ग) ऐसी कोई अन्य शर्त जो विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(5ख) समापक बोर्ड और यथास्थिति पारित संकल्प के सात दिनों के भीतर उपधारा (5क) के खंड (क) के अधीन विशेष संकल्प या उसके खंड (ख) के अधीन लेनदारों के पश्चातवर्ती अनुमोदन से रजिस्ट्रीकृत कंपनी के रजिस्ट्रार को सूचित करेगा ।

(5ग) स्वेच्छया परिसमापन कार्यवाही उस तारीख से जिसको परिसमापक उपधारा (5ख) के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रार को सूचित करता है, पर्यवसित मानी जाएगी, और ऐसा पर्यवसान परिसमापक की अवधि को समाप्त करेगा और ऐसे अन्य परिणाम होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।";

(ङ) उपधारा (6) में " के उपबंधों " शब्दों के पश्चात् "अध्याय 2 की धारा 18 के खंड (ख) " शब्द कोष्ठक, और आकड़े अंत:स्थापित किए जाएगे ।

नए अध्याय 5क की अंत:स्थापन ।

42. मूल अधिनियम में भाग 2 अध्याय 5 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अत:स्थापित किया जाएगा ।

"अध्याय 5क"

दिवाला समूह

कारपोरेट ऋणी के समूह के समन्वय और सहयोग के लिए कार्यवाही संस्थित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति ।

59क. (1) इस संहिता में अंतर्विष्ट प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार भाग 2 के अधीन दिवाला कार्यवाहियों को आयोजित करने के लिए वह रीति और शर्तें विहित करेगी, जहां ऐसी कार्यवाहियां समूह के उस भाग के दो या अधिक कारपोरेट ऋणी के विरूद्ध संस्थित की जाती है ।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों के किन्हीं मामलों के उपबन्ध करते है, अर्थात् :–

(क) कारपोरेट ऋणी के दिवाला कार्यवाहियों जो समूह का भाग होगी और ऐसी पीठ के लिए ऐसे कारपोरेट ऋणी के लंम्बित कार्यवाहियों के स्थानांतरण की रीति के लिए और इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कार्यवाहियों के लिए सामान्य पीठ ;

(ख) कारपोरेट ऋणी की दिवाला कार्यवाहियों के मध्य समन्वय जो समूह का भाग है जिसके अंतर्गत उनके लेनदारों की समिति और अंतरिम समाधान वृत्तिकों,

या समापकों के मध्य समन्वय ;

(ग) किसी कारपोरेट ऋणी जो समूह का भाग है की दिवाला कार्यवाहियों के मध्य समन्वय को सुकर बनाने के लिए सामान्य दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति प्रतिस्थापन ;

(घ) ऐसे कारपोरेट ऋणी जो समूह का भाग है के लेनदारों की समिति के मिलकर बनने वाली समिति की विरचना ;

(ङ) एक ऐसा करार करना जो समूह का हिस्सा बनने वाले कारपोरेट देनदारों की दिवाला कार्यवाही के विभिन्न पहलुओं को समन्वित और समकालिक करने के उपाय प्रदान करता है, जो इसे अनुमोदित करने वाले कारपोरेट देनदारों पर बाध्यकारी होगा, जिसमें उनके लेनदारों की समितियां भी शामिल हैं, और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण अनुमोदित करार को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सकता है; और

(च) किसी समूह का हिस्सा बनने वाले कारपोरेट देनदारों की दिवाला कार्यवाही को समन्वित करने के लिए उपाय करने हेतु किए गए व्यय का उपचार।

(3) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में यह उपबंध किया जा सकेगा कि संहिता का कोई भी उपबंध ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होगा, जो इस धारा के उपबंधों के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित हों।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अभिव्यक्तियाँ-

(क) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत या अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को नियुक्त करने का अधिकार शामिल है जो निगमित व्यक्ति के मामलों का प्रबंध करने के हकदार हैं या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार रखते हैं जिसके फलस्वरूप उनके शेयर धारक, प्रबंध अधिकार, स्वामित्व हित, शेयरधारक करार, मतदान करार, संगम अनुच्छेद, सीमित दायित्व वाले भागीदारी समझौते या कोई अन्य रीति शामिल है:

(ख) "समूह" से दो या अधिक कारपोरेट ऋणी अभिप्रेत है जो नियंत्रण या महत्वपूर्ण स्वामित्व द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं, और इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन परिभाषित एक होल्डिंग कंपनी, एक सहायक कंपनी और एक कारपोरेट ऋणी की सहयोगी कंपनी शामिल है;

(ग) "दिवाला कार्यवाही" से इस संहिता के भाग 2 के अधीन निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया और परिसमापन प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(घ) "महत्वपूर्ण स्वामित्व" में बीस प्रतिशत या अधिक मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार सम्मिलित है;

(4) धारा 241 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक नियम का प्रारूप संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि दोनों सदन नियम जारी किए जाने के निरनुमोदन पर सहमत हो जाएं या दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने पर

सहमत हो जाएं तो वह नियम अधिसूचित नहीं किया जाएगा या केवल ऐसे परिवर्तित रूप में अधिसूचित किया जाएगा, जिस पर संसद के दोनों सदन सहमत हों।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि में कोई ऐसी अवधि सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसके दौरान उपधारा (4) में निर्दिष्ट वह सदन, लगातार चार दिन से अधिक के लिए सत्रावसित या स्थगित की जाती है ।

(6) इस धारा के अधीन अधिसूचित प्रत्येक नियम यथांसभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएंगे ।

नई धारा 64क का अंत:स्थापन ।

43. मूल अधिनियम में, धारा 64 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

भाग 2 के अधीन तुच्छ या तंग करने वाली कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए शास्ति ।

"64क. यदि कोई व्यक्ति इस भाग के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष तुच्छ या तंग करने वाली कार्यवाही प्रारंभ करता है, तो वह ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक लाख रुपए जिसे दो करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा से कम नहीं होगी ।"।

धारा 65 का संशोधन ।

44. मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (3) में, "पूर्व पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर, "पूर्व पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया या लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 66 का संशोधन ।

45. मूल अधिनियम की धारा 66 में,—

(क) उपधारा (1) में "समाधान वृत्तिक" शब्दों के पश्चात् "या समापक" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, "निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान" शब्दों के पश्चात् "समापक या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 67क का संशोधन ।

46. मूल अधिनियम की धारा 67क में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, "पूर्व पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्दों के स्थान पर, "पूर्व पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया या लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) "पूर्व पैकेज दिवाला प्रारंभ की तारीख" शब्दों के स्थान पर, "पूर्व पैकेज दिवाला प्रारंभ की तारीख या लेनदार प्रवर्तित दिवाला प्रारंभ की तारीख" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 96 का संशोधन ।

47. मूल अधिनियम की धारा 96 में, उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) इस धारा के उपबंध वहां नहीं लागू होंगे जहां व्यक्तिगत प्रत्याभूति-दाता के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कारपोरेट ऋणी को आवेदन फाइल किया जाता है ।"।

धारा 99 का संशोधन ।

48. मूल अधिनियम की धारा 99 में,--

(क) उपधारा (1) में "दस दिन" शब्दों के स्थान पर, "इक्कीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (10) में, "यथास्थिति, या लेनदार" शब्दों के स्थान पर, "और

लेनदार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 106 का संशोधन ।

49. मूल अधिनियम की धारा 106 में,–

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1क) जहां उपधारा (1) के अधीन नियत समय अवधि के भीतर से कोई पुन:संदाय योजना प्रस्तुत नहीं की जाती, समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ऋणी की दिवाला समाधान प्रक्रिया को बरखास्त करते हुए आदेश पारित करेगा और ऋणी या लेनदार अध्याय-4 के अधीन शोधन अक्षमता के लिए आवेदन फाइल करने के हकदार होंगे ।

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(3क) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, जहां पुन:संदाय योजना कारपोरेट ऋणी के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूति-दाता के संबंध में है, समाधान वृत्तिक बैठक की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करने वाला एक लिखित नोटिस जारी करते हुए लेनदारों की बैठक आहूत करेगा ।";

(ग) उपधारा (4) में, "उपधारा (3)के प्रयोजनो के लिए", शब्दों और अंकों के पश्चात्, "और उपधारा (3क)" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 121 का संशोधन ।

50. मूल अधिनियम की धारा 121 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) में, "धारा 118" शब्दों के स्थान पर, "धारा 118 या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) जहां धारा 106 की उपधारा (1क) के अधीन जहां कोई आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी दवारा पारित किया जाता है।"।

धारा 124 का संशोधन ।

51. मूल अधिनियम की धारा 124 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(4) इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां व्यक्तिगत प्रत्याभूति-दाता के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कारपोरेट ऋणी को कोई आवेदन फाइल किया जाता है ।"।

नई धारा 164क का अंत:स्थापन।

52. मूल अधिनियम की धारा 164 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

लेनदारों से कपट करने वाले संव्यवहार ।

"164क. जहां ऋणी ने धारा 164 की उपधारा (6) में, यथानिर्दिष्ट अवमूल्यित संव्यवहार प्रविष्ट किया है और अधिनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा संव्यवहार ऐसे ऋणी द्वारा—

(क) किसी व्यक्ति की पहुंच के बाहर इसकी आस्तियों को रखने के

लिए जो ऋणी के विरूद्ध दावा करने का हकदार है ; या

(ख) दावे के संबंध में ऐसे व्यक्ति के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए,

ऐसा संव्यवहार जानबूझकर प्रविष्ट किया गया तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी,—

(i) ऐसे संव्यवहार के पूर्व यथा विद्यमान स्थिति को बनाए रखने के लिए मानो ऐसा संव्यवहार प्रविष्ट नहीं किया गया हो ; और

(ii) उन व्यक्तियों के हितों का संरक्षण करने के लिए जो ऐसे संव्यवहारों के पीडित हैं,

आदेश करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश—

(क) संपत्ति में किसी हित को प्रभावित नहीं करेगा जो, यथास्थिति, ऋणी या उसके सहयोगी से भिन्न किसी व्यक्ति से अर्जित की गई थी और मूल्य देकर सद्भावपूर्वक तथा सूसंगत परिस्थितियों की सूचना के बिना या ऐसे हित व्यूत्पन्न किसी हित को प्रभावित किए बिना अर्जित की गई थी ; और

(ख) किसी व्यक्ति से जिसने मूल्य देकर और सूसंगत परिस्थितियों की सूचना के बिना सद्भावपूर्वक संव्यवहार से फायदा प्राप्त किया, कोई राशि का संदाय करने की अपेक्षा नहीं करेगा यदि वह संव्यवहार का एक पक्षकार नहीं था ।"।

धारा 178 का संशोधन ।

53. मूल अधिनियम की धारा 178 में, उपधारा (1) में, खंड (घ) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण–**किसी संदेय को हटाने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी कोई रकम चाहे वह बैंककारी प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के संपूर्ण या किन्हीं भाग के संबंध में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को देय ऐसी रकम को संरक्षित करने के लिए सुरक्षा प्रतिभूति की जाती हो, इस खंड के अधीन संवितरण किया जाएगा तथा शेष ऐसी कोई रकम, जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के लिए देय है, ऐसी रकम को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा प्रतिभूति सृजित की जाती है, खंड (ङ) के अधीन संवितरित की जाएगी ;"।

नई धारा 183क का अंत:स्थापन ।

54. मूल अधिनियम की धारा 183 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

भाग 3 के अधीन तुच्छ या तंग करने वाली कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए शास्ति ।

"183क. यदि किसी व्यक्ति ने इस भाग के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कोई तुच्छ या तंग करने वाली कार्यवाही आरंभ की है, तो वह ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगी किन्तु जो दो करोड़ रुपए तक हो सकेगी ।"।

धारा 196 का संशोधन ।

55. मूल अधिनियम की धारा 196 की उपधारा (1) में,—

(क) "दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं", शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "सेवा प्रदाता", शब्द रखे जाएंगें ; और

(ख) "दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं", शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "सेवा प्रदाता", शब्द रखे जाएंगें ;

(ग) खंड (ग) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण–संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के अधीन फीस या अन्य प्रभारों को उद्ग्रहण में इस संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा उद्ग्रहीत कोई फीस या अन्य प्रभार भी सम्मिलित होंगे ।"

(घ) खंड (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात् :—

"(धक) यथास्थिति, इस संहिता के भाग 2 और भाग 3 के अधीन कार्य करने के दौरान लेनदारों और इसके सदस्यों की समिति के आचरण के मानकों को विनिर्दिष्ट करना ; "

(ङ) खंड (न) में, "इस संहिता के अधीन", शब्दों के स्थान पर, "इस संहिता के प्रयोजनों के लिए", शब्द रखे जाएंगें ।

धारा 208 का संशोधन ।

56. मूल अधिनियम की धारा 208 की उपधारा (1) में, खंड (गक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गख) भाग 2 के अध्याय 4क के अधीन लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया ;"।

धारा 214 का संशोधन ।

57. मूल अधिनियम की धारा 214 के खंड (ङ) में, "सूचना को", शब्दों के पश्चात्, "ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए", शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 215 का संशोधन ।

58. मूल अधिनियम की धारा 215 में,—

(क) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना और उसका अधिप्रमाणन ।";

(ख) उपधारा (3) में, "कोई प्रचालन लेनदार", शब्दों के स्थान पर, "कोई प्रचालन लेनदार, संहिता की धारा 9 के अधीन आवेदन फाइल करने के पूर्व", शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4) यथास्थिति, निगमित ऋणी या ऋणी, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत की जाती है, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, सूचना को अधिप्रमाणित करेगा :

परन्तु जहां निगमित ऋणी या ऋणी, उस रीति और समय जिसे विनिर्दिष्ट किया गया है, सूचना उपयोगिता को प्रस्तुत सूचना का उत्तर नहीं देता है, तो ऐसी सूचना अधिप्रमाणित समझी जाएगी ।"।

धारा 217 का संशोधन ।

59. मूल अधिनियम की धारा 217 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, "सेवा प्रदाता के विरुद्ध शिकायतें", पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) "किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता" शब्दों के स्थान पर, "सेवा प्रदाता" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 218 का संशोधन ।

60. मूल अधिनियम की धारा 218 में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, "सेवा प्रदाताओं का अन्वेषण", पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) में, दोनों स्थानों पर आने वाले, "दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता" शब्दों के स्थान पर, "सेवा प्रदाता" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 219 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

61. मूल अधिनियम की धारा 219 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सेवा प्रदाता को कारण बताओं नोटिस ।

"219. जहां बोर्ड धारा 218 के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के पूर्ण होने पर या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, प्रथमदृष्टया यह राय रखता है कि धारा 220 के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हेतुक विद्यमान है, तो वह सेवा प्रदाता को उत्तर देने के लिए ऐसी अवधि का उपबंध करते हुए, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कारण बताओं सूचना जारी कर सकेगा ।

धारा 220 का संशोधन ।

62. मूल अधिनियम की धारा 220 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अनुशासन समितियों का गठन करेगा, जो इसके अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों या कार्यकारी निदेशक की रैंक से अन्यून के अधिकारियों में से एक या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनेंगी ।";

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"(1क) धारा 219 के अधीन जारी कारण बताओं नोटिस उपधारा (1) के अधीन गठित अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां अनुशासन समिति का, सेवा प्रदाता को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त हेतुक विद्यमान है तो वह उपधारा (3) में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित कर सकेगी या सेवा प्रदाता का रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द कर सकेगी या उपधारा (4) के अधीन वापसी का निदेश दे सकेगी ।";

(घ) उपधारा (3) में,—

(i) आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित आरंभिक भाग रखा जाएगा, अर्थात् :—

"जहां किसी सेवा प्रदाता ने इस संहिता या तदधीन बनाए गए

नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है वहां अनुशासन समिति ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो—

(i) ऐसे उल्लंघन के कारण संबद्ध व्यक्तियों को हुई हानि या ऐसी हानि की, जिसके कारित होने की संभावना थी, की रकम का तीन गुणा ; या

(ii) ऐसे उल्लंघन के कारण प्राप्त किए गए विधिविरुद्ध अभिलाभ की रकम का तीन गुणा,

तक होगी ;

(ii) परंतुक में, "एक करोड़ से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान पर "दो करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (4) और उपधारा (5) में, "बोर्ड" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "अनुशासन समिति" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7) उपधारा (2) से उपधारा (5) के अधीन अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(8) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति तीस दिन के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह पन्द्रह दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर उपधारा (7) के अधीन अपील फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा ।"

धारा 224 का संशोधन ।

63. मूल अधिनियम की धारा 224 में,—

(क) उपखंड (2) में,—

(क) खंड (ग) में, "; और", शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (घ) में, "अन्य आय", शब्दों के पश्चात् "; और", शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ग) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) ऐसे अन्य स्रोतों से रकमें जो विहित किए जाएं ।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) निधि में जमा की गई राशियां—

(क) किसी व्यक्ति द्वारा जिसने उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन निधि में किसी रकम का अभिदाय किया है, इस संहिता के अधीन किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष ऐसे व्यक्ति के संबंध में किन्हीं

कार्यवाहियों के प्रारंभ किए जाने की दशा में, ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निधियों से, कार्मिकों को संदाय करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों की संरक्षण के लिए, कार्यवाहियों के दौरान आनुषंगिक लागतों को चुकाने के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित की जाएं ; और

(ख) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में जो विहित की जाएं,

उपयोग की जा सकेंगी ।"।

धारा 235क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

64. मूल अधिनियम की धारा 235क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की शास्तियों को अधिरोपित करने की शक्ति ।

"235क. यदि किसी व्यक्ति ने संहिता या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों का उल्लंघन किया है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी बोर्ड या केन्द्रीय सरकार या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, एक लाख रुपए से कम नहीं होगी किन्तु जो—

(क) ऐसे उल्लंघन के कारण संबंधित व्यक्तियों के कारित हानि या कारित होने के लिए संभाव्य हानि की रकम का तीन गुणा ;

(ख) ऐसे उल्लंघन के कारण प्राप्त विधि विरुद्ध लाभ की रकम का तीन गुणा,

जो भी उच्चतर हो, हो सकेगी :—

परन्तु जहां ऐसी हानि या विधि विरुद्ध लाभ आंका नहीं जा सकता अधिरोपित शास्ति की कूल रकम पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करने का पर्याप्त हेतुक विद्यमान है, वह लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए से कम हो सकेगी ।"।

स्पष्टीकरण 1—संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, धारा 60 या धारा 179 में यथानिर्दिष्ट होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा का दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 से संशोधन, निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :—

(i) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख को और उससे पूर्व इस धारा के अधीन संस्थित और किसी न्यायालय के समक्ष प्रारंभ की ऐसी तारीख के ठीक पूर्व लंबित किसी अभियोजन को उक्त न्यायालय द्वारा सुना और निपटारा किया जाना जारी रखा जाएगा मानो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 अधिनियमित नहीं किया गया हो ; और

(ii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ की तारीख को और उससे पूर्व इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई दंड ।"।

धारा 239 का संशोधन ।

65. मूल अधिनियम की धारा 239 में,—

(क) उपधारा (1) में, "उपबंधों", शब्द के स्थान पर, "प्रयोजनों" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ङक) का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (चङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(चच) धारा 58ख की उपधारा (1) के अधीन शर्तें ;

(चछ) धारा 58ग की उपधारा (1) के अधीन आक्षेप फाइल करने की फीस ;

(चज) धारा 59क की उपधारा (1) के अधीन रीति और शर्तें ;"

(iii) खंड (यझ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(यझ) धारा 224 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता निधि में जमा की जाने वाली रकमों के अन्य स्रोत ;

(iv) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (यझ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

(यझक) धारा 224 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रयोजन ;

(यझख) धारा 224 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अन्य प्रयोजन और रीति ;";

(v) खंड (यड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(यडक) धारा 240ग की उपधारा (1) के अधीन रीति और शर्तें ;"।

धारा 240 का संशोधन ।

66. मूल अधिनियम की धारा 240 में,—

(क) उपधारा (1) में, "उपबंधों", शब्द के स्थान पर, "प्रयोजनों" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(चक) धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन अन्य जानकारी ;";

(ii) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा: —

"(ज) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अन्य दस्तावेज या कोई अन्य सूचना ;";

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया

जाएगा, अर्थात् :—

"(जक) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन रीति ;";

(iv) खंड (ढ) में, "खंड (क) के उपखंड (iv) के अधीन अन्य विषय," शब्दों, कोष्ठकों तथा अक्षरों के पश्चात्, "खंड (ख) के अधीन रीति" शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(v) खंड (ण) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(णक) धारा 21 की उपधारा (11) के परंतुक के अधीन लेनदारों का कोई अन्य वर्ग या के वर्ग, जो लेनदारों की समिति की बैठक में उपस्थित हो सकेंगे ;" ;

(vi) खंड (न) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(नक) धारा 28क की उपधारा (1) के अधीन रीति और शर्तें ;";

(vii) खंड (ब) में, "धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय करने की रीति, खंड (ख) के अधीन प्रचालन लेनदारों के ऋणों का प्रतिसंदाय करने की रीति और अन्य अपेक्षाएं, जिनके अनुरूप समाधान योजना खंड (घ) के अधीन होगी ;", शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय करने की रीति, खंड (ख) के अधीन संक्रियात्मक लेनदारों के ऋणों का संदाय करने की रीति, खंड (खक) के अधीन वित्तीय लेनदारों को ऋणों का संदाय करने की रीति, जो समाधान योजना के पक्ष में मत नहीं करते हैं, खंड (घ) के अधीन समिति के गठन के लिए शर्तें और रीति और अन्य अपेक्षाएं, जिनके अनुरूप समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन होगी ;", शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;";

(viii) खंड (बक) पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(बख) धारा 31 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन प्ररूप, रीति तथा शर्तें ;

(बग) धारा 33 की उपधारा (1क) के अधीन कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पुनः बहाल करने के लिए लेनदारों की समिति द्वारा आवेदन करने के लिए रीति और शर्तें तथा कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की पुनः बहाली पूरी करने के लिए रीति और शर्तें ;

(बघ) धारा 33 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन शर्तें ;";

(ix) खंड (भ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(भ) कालावधि, जिसके भीतर तथा रीति, जिसमें लेनदारों की समिति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समापक के रूप में नियुक्त करने

के लिए प्रस्तावित समाधान वृत्तिकों या प्रस्तावित दिवाला वृत्तिकों के नाम अग्रेषित करेगी, धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समाधान वृत्तिकों से लिखित सहमति का प्ररूप तथा खंड (ख) के अधीन दिवाला वृत्तिकों से लिखित सहमति का प्ररूप ;";

(x) इस प्रकार प्रतिस्थापित खंड (भ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(भक) धारा 34 की उपधारा (6क) के अधीन दिवाला वृत्तिकों से लिखित सहमति का प्ररूप ;

(भख) धारा 34 की उपधारा (8) के अधीन परिनिर्धारण कार्रवाइयों के संचालन के लिए फीस तथा परिनिर्धारण संपदा आस्तियों के मूल्य का अनुपात ;

(भग) धारा 34क की उपधारा (1) के अधीन लिखित सहमति देने के लिए प्ररूप ";

(xi) खंड (म) में, "खंड (ग) के अधीन निगमित ऋणी की आस्तियों और संपत्ति का मूल्यांकन करने की रीति", शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (क) के अधीन लेनदारों के दावों की एक अद्यतन सूची अनुरक्षित करने की रीति, खंड (ग) के अधीन निगमित ऋणी की आस्तियों और संपत्ति का मूल्यांकन करने की रीति" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(xii) खंड (य) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(य) रीति, जिसमें लेनदारों की समिति, धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन समापक द्वारा परिनिर्धारण प्रक्रिया के संचालन का निरीक्षण करेगी ;";

(xiv) खंड (यड.), (यच) और (यछ) का लोप किया जाएगा ;

(xi) खंड (यझ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(यझक) धारा 52 की उपधारा (8) के अधीन रीति, कालावधि, और शर्तें ;";

(xv) खंड (यञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(यञक) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन विक्रय के आगमों के वितरण की अवधि और रीति ;

(यञख) धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण के अधीन प्रतिभूति, ब्याज के मूल्य अवधारण की रीति ;

(यञग) धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन कॉरपोरेट देनदारों के विघटन के लिए रीति, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को समापक आवेदन देगा ;

(यञघ) धारा 54 की उपधारा (1क) के अधीन रीति और शर्तें ;

(यञड.) धारा 54 की उपधारा (1ख) के अधीन रीति और शर्तें ;

(xvi) खंड (यट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यट) धारा 54 की उपधारा (2क) के परंतुक के अधीन रीति ;" ;

(xvii) खंड (यटड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यटङ) धारा 54ग की उपधारा (3) के अधीन दी जाने वाली सूचना ;" ;

(xviii) खंड (यठ) का लोप किया जाएगा ;

(xix) इस प्रकार लोप किए गए खंड (यठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(यठक) धारा 58ख की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन रीति, खंड (ख) के अधीन प्ररूप और रीति और खंड (ग) के अधीन रीति ;

(यठख) धारा 58ख की उपधारा (4) के अधीन कालावधि, प्ररूप और रीति ;

(यठग) धारा 58ग की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप और रीति ;

(यठघ) धारा 58ङ. के अधीन समाधान वृत्तिकों द्वारा शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए रीति और शर्तें ;

(यठङ.) धारा 58ङ. के खंड (ग) के अधीन प्ररूप, जिसमें रिपोर्ट तैयार की जाती है, खंड (च) के अधीन बोर्ड के पास फाइल किए जाने वाले रिपोर्ट और दस्तावेज तथा खंड (छ) के अधीन पालन किए जाने वाले ऐसे अन्य कर्तव्य ;

(यठच) धारा 58च की उपधारा (2) के अधीन समाधान वृत्तिकों के लिए बैठक में उपस्थित होने की तथा मना करने के अधिकार का प्रयोग करने की शर्तें और रीति तथा उपधारा (3) के अधीन प्ररूप, रीति और कालावधि ;

(यठछ) धारा 58छ की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रीति ;

(यठज) धारा 58छ की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप और रीति, जिसमें समाधान वृत्तिक सार्वजनिक में घोषणा करेंगे ;

(यठझ) धारा 58ज की उपधारा (1) के उपखंड (ii) के अधीन रीति ;

(यठञ) धारा 58ज की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप और रीति ;

(यठट) धारा 58-झ की उपधारा (1) के अधीन रीति ;

(यठठ) धारा 58ट की उपधारा (2) के अधीन शर्तें और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं ;

(xx) खंड (यड) में, "शर्तें और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं" शब्दों के स्थान

पर, "शर्तें, प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं और कालावधि" शब्द रखे जाएंगे ;

(xxi) खंड (यड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(यडक) धारा 59 की उपधारा (5क) के खंड (ग) के अधीन अन्य शर्तें ;

(यडख) धारा 59 की उपधारा (5ग) के अधीन अन्य परिणाम ;

(xxii) खंड (यफ) में, "कार्य निष्पादन" शब्दों के पश्चात्, ", खंड (धक) के अधीन लेनदारों और उसके सदस्यों की समिति के आचरण के मानक," शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(xxiii) खंड (ययध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ययधक) धारा 214 के खंड (ड.) के अधीन रीति ;" ;

(xxiv) खंड (ययब) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ययबक) धारा 215 की उपधारा (4) के अधीन रीति और कालावधि ;" ;

(xxv) खंड (यययक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(यययक) धारा 219 के अधीन रीति और कालावधि ;" ।

नई धारा 240ख और 240ग का अंतःस्थापन ।

67. मूल अधिनियम में धारा 240क के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

प्रक्रियाओं को सुकर बनाने के लिए इलैक्ट्रानिक पोर्टल ।

"240ख. इस संहिता में अंतर्विष्ट, किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता की प्रक्रियाओं से संबंधित इलैक्ट्रानिक पोर्टल तथा प्रक्रियाओं का उपबंध करे, जिन्हें ऐसे इलैक्ट्रानिक पोर्टल पर कार्यान्वित किया जा सके ।"

सीमा पार दिवाला के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

240ग. (1) इस संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार ऋणियों और निगमित ऋणियों के ऐसे वर्ग या वर्गों के लिए संहिता के अधीन सीमा पार दिवाला कार्यवहियों के प्रशासन और संचालन हेतु रीति और शर्तें विहित कर सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम यह उपबंध कर सकेंगे कि इस संहिता या कंपनी अधिनियम, 2013 के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपातंरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो प्रशासक द्वारा अपेक्षित किए जाएं तथा इस धारा और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध कार्यान्वित किए जाएंगे जिसके अन्तर्गत इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का व्यौहार करने के लिए एक या अधिक खंडपीठों को अभिहित करना भी है ।

(3) इस धारा के अधान प्रस्तावित प्रत्येक नियम का प्रारूप ऐसी रीति में

संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा जो धारा 59क की उपधारा (4) से उपधारा (6) के अधीन यथाउपबंधित है जो यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों को लागू होगा ।"।

धारा 242 का संशोधन ।

68. मूल अधिनियम की धारा 242 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, यदि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा यथासंशोधित इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस संहिता के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो, ऐसी कठिनाइयों को दूर कर सकेगी :

परंतुक यह कि ऐसा कोई भी आदेश, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) को कॉरपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, ताकि ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम किया जा सके, उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके, ऋण की उपलब्धता और सरकारी बकाये के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना की जा सके।

2. संहिता का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और कॉर्पोरेट व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से दिवाला और दिवालियापन मामलों को हल करना है। एक आर्थिक कानून के रूप में, कोड को बदलते बाजार की जरूरतों और व्यावहारिक अनुभव से सीखे गए सबक के साथ संरेखित करने के लिए समय-समय पर अपडेट की आवश्यकता होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। नवंबर, 2022 में आयोजित प्रमुख हितधारकों के साथ संहिता और नई अवधारणाओं के कार्यान्वयन में उत्पन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद जनवरी, 2023 में दिवाला कानून समिति में विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद, सरकार ने संहिता में प्रस्तावित परिवर्तनों पर सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए एक चर्चा पत्र जारी किया। सरकार ने जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के साथ-साथ बोलचाल और समिति की सिफारिशों की जांच की, और इसके संचालन में सुधार, इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने, इसके मूल इरादे को स्पष्ट करने और नई अवधारणाओं को शामिल करने के लिए संहिता में संशोधन करने का फैसला किया।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संहिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना और संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ नए प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक हो गया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य देरी को कम करना, सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना और संहिता के तहत सभी प्रक्रियाओं के शासन में सुधार करना है। वे संहिता के समग्र उद्देश्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करना चाहते हैं और दिवाला समाधान के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने वाले नए प्रावधानों को लागू करना चाहते हैं।

4. अन्य उपायों के अलावा, प्रस्तावित कानून न्यूनतम कारोबारी व्यवधान के साथ त्वरित और अधिक लागत प्रभावी दिवाला समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए वास्तविक कारोबारी विफलताओं के लिए अदालत से बाहर शुरू की गई एक प्रक्रिया के साथ एक 'ऋणदाता-शुरू की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया' शुरू करता है। एक बार लागू होने के बाद, यह न्यायिक प्रणालियों पर बोझ को कम करने, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और ऋण तक पहुंच में सुधार करने में मदद करेगा। प्रस्तावित विधान में समूह दिवाला और सीमापार दिवाला के लिए भी उपबंध किए गए हैं।

5. समूह इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क का उद्देश्य जटिल कॉरपोरेट समूह संरचनाओं से जुड़ी दिवालिया प्रवृत्तियों को कुशलतापूर्वक हल करना, खंडित कार्यवाही के कारण होने वाले मूल्य विनाश को कम करना और समन्वित निर्णय लेने के माध्यम से लेनदारों के लिए मूल्य को

अधिकतम करना है।

6. सीमा पार दिवालिया ढांचा घरेलू और विदेशी कार्यवाही में हितधारकों के हितों की रक्षा, निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देने और घरेलू प्रथाओं को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ जोड़ने की नींव रखना चाहता है। इससे अन्य क्षेत्राधिकारों में भारतीय दिवाला कार्यवाही की बेहतर मान्यता का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

7. खंडों पर टिप्पणियाँ, विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों की विस्तार से व्याख्या करती हैं।

8. विधेयक में उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

नई दिल्ली ;
12 अगस्त, 2025

निर्मला सीतारमण

खंडों पर टिप्पण

खंड 1 में प्रस्तावित विधि का संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ, तथा प्रस्तावित विधि की विभिन्न धाराओं को अलग-अलग तारीखों को लागू करने का उपबंध है।

विधेयक का खंड 2 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ('संहिता') की धारा 3 में संशोधन करने का उपबंध करने के लिए है है।

यह खंड संहिता की धारा 3 के खंड (31) में एक स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि प्रतिभूति हित केवल तभी अस्तित्व में होगा जब यह दो या अधिक पक्षों के कार्य द्वारा किसी करार या व्यवस्था के अनुसरण में किसी संपत्ति पर अधिकार, शीर्षक या हित या दावा सृजित करता है और इसमें किसी समय लागू किसी विधि के संचालन मात्र से सृजित प्रतिभूति हित शामिल नहीं होगा। इसलिए, केंद्रीय या राज्य विधि या अधीनस्थ विधि में कोई उपबंध जो यह बताता है कि कर या शास्ति का भुगतान न करने पर कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति पर प्रभार लगाया जाएगा, उसे प्रतिभूति हित नहीं माना जाएगा। प्रतिभूति हित केवल वहीं अस्तित्व में होगा जहां किसी करार या व्यवस्था के पक्ष किसी संपत्ति पर अधिकार, शीर्षक या हित या दावा सृजित करने के लिए सहमत होते हैं, चाहे वह लिखित में हो या नहीं। उदाहरण के लिए, किसी करार के अधीन वित्तीय ऋण को सुरक्षित करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति पर सृजित भार जहां बंधक दो या अधिक व्यक्तियों के बीच इसकी संपत्ति के हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा सृजित किया जाता है ।

खंड 'सेवा प्रदाता' पद की परिभाषा को अंत:स्थापित करने के लिए है, जिसमें एक दिवाला वृत्तिक, दिवाला वृत्तिक एजेंसी, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ('बोर्ड') के साथ पंजीकृत सूचना उपयोगिता, और कोड के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। यह केंद्रीय सरकार को उन अतिरिक्त श्रेणियों के व्यक्तियों को अधिसूचित करने में सक्षम बनाता है जिनकी सेवाओं को कोड के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, जिससे बोर्ड को दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के कुशल और उचित संचालन के लिए उन्हें विनियमित करने का अधिकार मिलता है। व्यक्तियों की अधिसूचित श्रेणी को कोड के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकरण करना आवश्यक होगा, और पंजीकरण के बाद, उन्हें बोर्ड द्वारा इसके प्रवर्तन और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के साथ-साथ सेवाओं के उपबंध के संबंध में निर्धारित विनिर्देशों का पालन करना होगा।

विधेयक के खंड 3 में संहिता की धारा 5 में संशोधन करने के लिए है, ताकि संहिता में विभिन्न स्थानों पर प्रतिनिर्देश की सुगमता के लिए 'परिवर्जन लेनदेन' और 'कपटपूर्ण या सदोष व्यापार' जैसे वाक्यांशों की परिभाषाएं अंत:स्थापित की जा सकें।

इसके अतिरिक्त, यह खंड संहिता की धारा 5 के खंड (11) में एक परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए है। खंड यह स्पष्ट करता है कि यदि किसी कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए कई आवेदन दिवाला प्रारंभ तारीख को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष लंबित हैं, और वह उनमें से एक को स्वीकार करता है, तो ऐसे कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की तारीख वह तारीख होगी, जिस दिन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष ऐसा पहला आवेदन किया गया था। न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित करते समय, निश्चितता के हित में, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ किए गए और दिवालियेपन प्रारंभ तारीख को लंबित सही पहले आवेदन के आधार पर, अपने आदेश में प्रक्रिया शुरू करने की तारीख का उल्लेख कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह धारा 5 के खंड (26) के स्पष्टीकरण में संशोधन करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि कॉर्पोरेट देनदार के पुनर्गठन में उसकी एक या अधिक आस्तियों की बिक्री भी शामिल हो सकती है। यह कॉर्पोरेट देनदार की जटिल व्यवसायों वाली एक या अधिक आस्तियों के लिए विशेष रूप से योजनाएँ आमंत्रित करने में सक्षम बनाता है जिन्हें कॉर्पोरेट देनदार के दिवाला समाधान हेतु समाधान योजना में शामिल किया जा सकता है। जिन समाधान आवेदकों को ऐसी आस्तियों बेची जा रही हैं, उन्हें भी संहिता के अंतर्गत पात्रता आवश्यकताओं का पालन करना होगा। यह संशोधन लेनदारों की समिति को कॉर्पोरेट देनदार के दिवाला के समाधान के लिए सर्वोत्तम व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान योजना अपनाने और उसकी आस्तियों का मूल्य अधिकतमीकरण सुनिश्चित करने की अनुमति देगा।

यह धारा 5 के खंड (28) के अधीन 'मतदान शेयर' की परिभाषा का संशोधन का भी प्रस्ताव करने के लिए है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि 'वोटिंग शेयर' की गणना केवल लेनदारों की समिति के उन सदस्यों को देय वित्तीय ऋण के आधार पर की जाएगी जो धारा 21 के अनुसार मतदान के पात्र हैं, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्षकार वित्तीय लेनदारों को मतदान से बाहर रखा गया है। अतः, यह स्पष्ट किया जाता है कि लेनदारों की समिति में मतदान के पात्र न होने वाले लेनदारों को देय वित्तीय ऋण को मतदान शेयर निर्धारित करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

विधेयक का खंड 4 संहिता की धारा 7 में संशोधन करने के लिए है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि एक बार चूक की घटना स्थापित हो जाने पर, प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होने पर और धारा के अधीन अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन होने पर निर्णायक प्राधिकरण कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन को अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट करने के लिए एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है कि निर्णायक प्राधिकरण आवेदन को अस्वीकार करने के लिए किसी अन्य आधार पर विचार नहीं करेगा जहां इन प्रावधानों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। जहां प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, निर्णायक प्राधिकरण को केवल यह पता लगाना होगा कि क्या धारा 4 की सीमा से अधिक की कोई चूक मौजूद है और आवेदन स्वीकार करना होगा। एक अन्य स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया है कि जब एक वित्तीय लेनदार, जो एक वित्तीय संस्थान है, यह देखते हुए कि वित्तीय संस्थान, एक विनियमित इकाई के रूप में, सूचना उपयोगिताओं के साथ अपने रिकॉर्ड और वित्तीय जानकारी को संरचित और विश्वसनीय तरीके से बनाए रखते हैं, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए यह उचित होगा कि वह चूक की घटना का पता लगाने के लिए ऐसे रिकॉर्ड पर भरोसा करे और आवेदन प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर आवेदन को तुरंत स्वीकार कर ले।

इसके अतिरिक्त, धारा 7 की उपधारा (4) का परंतुक का लोप किया गया है, और इस धारा के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए चौदह दिनों की अवधि धारा 7 की उपधारा (5) में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है, जिसमें चूक का पता लगाने की अवधि भी शामिल होगी। यदि आवेदन पर इस अवधि के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे विलंब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा। इस अवधि के भीतर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आवेदन को

अस्वीकार करने से पहले अधिकतम सात दिनों के भीतर किसी भी त्रुटि को दूर करने की सूचना भी देगा।

विधेयक का खंड 5 संहिता की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) में संशोधन करने के लिए है ताकि बोर्ड को विनियमन द्वारा किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जा सके जो परिचालन ऋणदाता को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी। यह धारा 9 की उप-धारा (5) में एक परंतुक जोड़ने का भी प्रयास करता है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि यदि इस उपबंध के अधीन दायर आवेदन पर चौदह दिनों के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ऐसे विलंब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

विधेयक का खंड 6 संहिता की धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (क) का संशोधन करने के लिए है ताकि बोर्ड की शक्तियों को व्यापक बनाया जा सके ताकि किसी अन्य प्रकार की जानकारी को निर्दिष्ट किया जा सके जो कॉर्पोरेट आवेदक द्वारा कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। यह इस खंड के अधीन दायर आवेदन के अधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक का प्रस्ताव करने के कॉर्पोरेट देनदार के अधिकार को समाप्त करने के लिए धारा 10 में संशोधन करने का भी प्रयास करता है। यह अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति में पक्षपात की संभावना को समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे कर्तव्यों का निष्पक्ष निर्वहन सुनिश्चित होता है और प्रक्रिया में लेनदारों का विश्वास बना रहता है। यह धारा 10 की उपधारा (4) में एक उपबंध जोड़ने का भी प्रयास करता है, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि जहां आवेदन पर चौदह दिनों के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है

विधेयक का खंड 7 संहिता के भाग II के अध्याय IV-क के अंतर्गत ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को सम्मिलित करने के अनुसरण में परिणामी संशोधन के रूप में संहिता की धारा 11 में संशोधन करने के लिए है।

विधेयक का खंड 8 संहिता की धारा 12क के स्थान पर यह उपबंध करता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, ऋणदाताओं की समिति के 90 प्रतिशत मतदान शेयर के पूर्व अनुमोदन से समाधान वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7, 9 या 10 के अंतर्गत स्वीकृत आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकता है। वापसी के लिए आवेदन दाखिल करने के चरण में इन आवेदनों को करने वाले आवेदक की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष इस आवेदन के न्यायनिर्णयन के दौरान उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट करता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 7, 9 या 10 के अंतर्गत स्वीकृत आवेदन को संहिता की धारा 21 के अंतर्गत ऋणदाताओं की समिति के गठन से पहले या किसी भी परिस्थिति में समाधान वृत्तिक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए प्रथम आमंत्रण के बाद वापस लेने की अनुमति नहीं देगा। इसके अतिरिक्त, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को वापसी आवेदन पर निर्णय लेने के लिए तीस दिनों की अवधि प्रदान की गई है। यदि आवेदन पर तीस दिनों के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को लिखित में ऐसे विलंब के कारणों को दर्ज करना आवश्यक है।

विधेयक का खंड 9 संहिता की धारा 14 की उपधारा (1) में संशोधन करने के लिए है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन स्थगन की प्रयोज्यता धारा 14 की उपधारा (2क) के अधीन भी होगी। यह धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (ख) में एक स्पष्टीकरण डालने का भी प्रयास करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि स्थगन वहां लागू होगा जहां प्रत्याभूति दाता कॉर्पोरेट

दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ गारंटी के अनुबंध के अनुसार कोई कार्रवाई या कार्यवाही शुरू करना या जारी रखना चाहता है। इसलिए, धारा 14 के अधीन स्थगन ज़मानतदार के खिलाफ लागू होगा, जहां वह धारा 14 की उपधारा (1) के उल्लंघन में अपने प्रतिस्थापन के अधिकार के अनुसार कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कार्यवाही शुरू करना चाहता है। यदि ज़मानतदार के पास कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कोई दावा है, तो उसे अन्य लेनदारों की तरह प्रक्रिया के दौरान उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए।

विधेयक का खंड 10, धारा 10 में संशोधन के परिणामस्वरूप संहिता की धारा 16 में संशोधन करने के लिए है, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार के अंतरिम समाधान वृत्तिक का प्रस्ताव करने के अधिकार को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे मामलों में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक दिवाला वृत्तिक की सिफारिश करने के लिए बोर्ड को एक संदर्भ भेजेगा जो अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य कर सके और तदनुसार अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति करेगा।

विधेयक का खंड 11 संहिता की धारा 18 के खंड (ख) में संशोधन करके यह स्पष्ट करने के लिए है कि बोर्ड को लेनदारों से प्राप्त दावों के मिलान के तरीके को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। यह धारा 18 के खंड (ख) में एक स्पष्टीकरण भी सम्मिलित करना चाहता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि दावों का मिलान करते समय, अंतरिम समाधान वृत्तिक दावों का सत्यापन करने और, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे सत्यापित दावों का मूल्य निर्धारित करने के लिए सशक्त और बाध्य है। दावों का मिलान करते समय, अंतरिम समाधान वृत्तिक का कर्तव्य है कि वह उनका सत्यापन करे। यदि सत्यापित दावा सटीक नहीं है, तो अंतरिम समाधान वृत्तिक सत्यापित दावे का मूल्य निर्धारित करेगा। संशोधन इस कार्य को स्पष्ट करना चाहता है, जिसे अंतरिम समाधान वृत्तिक, समाधान वृत्तिक, या परिसमापक, जैसा भी लागू हो, द्वारा दावों की सूची को बनाए रखने या अद्यतन करने में किया जाएगा। विनियम उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करेंगे जिनमें यह कार्य किया जाना चाहिए और जिस तरीके से इसे किया जाना चाहिए।

विधेयक का खंड 12, अंतरिम समाधान वृत्तिक को सहायता प्रदान करने और उसके साथ सहयोग करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की श्रेणियों को प्रदान करने के लिए संहिता की धारा 19 में संशोधन करने के लिए है । इन श्रेणियों में कोई भी व्यक्ति शामिल होगा जो (i) कॉर्पोरेट देनदार का कार्मिक है या रहा है, (ii) उसका प्रमोटर है, (iii) कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन से जुड़ा है, या (iv) कॉर्पोरेट देनदार के साथ सेवा के लिए अनुबंध में लगा हुआ है। उपर्युक्त श्रेणियों से रचनात्मक सहयोग अंतरिम समाधान वृत्तिक को कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन करने और अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम करेगा, जैसे कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन जैसे उद्देश्यों के लिए जानकारी एकत्र करना, लेनदेन से बचने के लिए आवेदन दायर करना आदि। यदि ये व्यक्ति सहायता या सहयोग करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें निर्देश देने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धारा 19 के उपबंध अंतरिम समाधान वृत्तिक के साथ-साथ समाधान वृत्तिक पर भी लागू होते हैं।

विधेयक का खंड 13, संहिता की धारा 21 में संशोधन करने के लिए है ताकि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान गठित ऋणदाताओं की समिति, परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के संचालन का पर्यवेक्षण कर सके। ऋणदाताओं की समिति, कॉर्पोरेट ऋणी की स्थिति के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अर्जित ज्ञान को परिसमापन प्रक्रिया के संचालन के पर्यवेक्षण में शामिल कर सकेगी, जिससे परिसमापक को परिसंपत्तियों के परिसमापन हेतु कुशल

वाणिज्यिक निर्णय लेने में निर्देश मिल सकेंगे। यह बोर्ड को यह अधिकार भी प्रदान करता है कि वह ऋणदाताओं के किसी अन्य वर्ग या वर्गों को निर्दिष्ट कर सके जो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अपने प्रतिभागियों के अतिरिक्त, परिसमापन प्रक्रिया के दौरान ऋणदाताओं की समिति की बैठकों में भाग ले सकें। हालाँकि, ऐसे निर्दिष्ट ऋणदाताओं को बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

विधेयक का खंड 14, संहिता की धारा 22 में संशोधन का उपबंध करता है ताकि अंतरिम समाधान वृत्तिक को समाधान वृत्तिक के रूप में माना जा सके, जहाँ ऋणदाताओं की समिति उसे समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त करने का संकल्प लेती है। नियुक्ति संबंधी निर्णय अंतरिम समाधान वृत्तिक, कॉर्पोरेट देनदार और बोर्ड को सूचित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अंतरिम समाधान वृत्तिक को समाधान वृत्तिक के रूप में जारी रखा जाता है, वहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा अलग से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

विधेयक का खंड 15 संहिता की धारा 25 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि अध्याय III के अधीन परिहार लेनदेन के लिए आवेदन दायर करने का समाधान वृत्तिक का कर्तव्य भाग II के अध्याय VI के अधीन धोखाधड़ी या गलत व्यापार तक भी विस्तारित होता है।

विधेयक का खंड 16 संहिता की धारा 26 के स्थान पर यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि परिहार लेनदेन या धोखाधड़ी या गलत व्यापार से संबंधित या संहिता की धारा 47 के अंतर्गत कार्यवाही कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी, और ये कार्यवाहियाँ स्वतंत्र रूप से जारी रहेंगी और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने से प्रभावित नहीं होंगी। इसी प्रकार, यह भी उपबंध किया गया है कि इन कार्यवाहियों के दाखिल होने से परिसमापन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, और परिसमापन प्रक्रिया के पूरा होने से इन कार्यवाहियों की निरंतरता प्रभावित नहीं होगी। धारा 54 में संशोधन यह उपबंध करते हैं कि परिसमापन प्रक्रिया पूरी होने और कॉर्पोरेट देनदार के विघटन के बाद ऐसी कार्यवाहियाँ कैसे जारी रहेंगी।

विधेयक का खंड 17 संहिता के भाग II के अध्याय II में एक नई धारा 28A जोड़ने का प्रस्ताव करता है ताकि कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के भाग के रूप में कॉर्पोरेट देनदार के गारंटर (व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट) की परिसंपत्ति का हस्तांतरण किया जा सके। कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के भाग के रूप में ऐसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए, ऋणदाता के पास (i) कॉर्पोरेट देनदार के गारंटर की परिसंपत्ति पर प्रतिभूति हित होना चाहिए; (ii) किसी भी ऐसे विधि के अधीन अपने प्रतिभूति हित को लागू करके परिसंपत्ति पर कब्जा कर लिया हो जो ऋणदाता को परिसंपत्ति हस्तांतरित करने में सक्षम बनाए। इसके अलावा, ऐसे ऋणदाता और कॉर्पोरेट देनदार के ऋणदाताओं की समिति को इस उपबंध के अधीन परिसंपत्ति हस्तांतरित करने के लिए सहमत होना चाहिए। हालांकि, जहां गारंटर संहिता के अधीन दिवालियापन समाधान, परिसमापन या दिवालियापन से गुजर रहा है ये विनियम कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के एक भाग के रूप में गारंटर की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेंगे, जिसमें हस्तांतरित की जा सकने वाली परिसंपत्तियों के प्रकार, इन परिसंपत्तियों को खरीदने वाले व्यक्तियों की पात्रता, और संचयी हस्तांतरण की स्थिति में उनके मूल्य निर्धारण की विधि शामिल होगी। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के एक भाग के रूप में गारंटर की परिसंपत्ति के हस्तांतरण के बाद, ऐसी परिसंपत्ति के लिए प्राप्त मूल्य को लागू विधि के अनुसार, किसी भी

लागत, शुल्क और व्यय के अधीन, गारंटर के ऋण में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद, किसी भी अधिशेष राशि का भुगतान लागू विधि के अनुसार गारंटर को किया जाएगा, और यदि गारंटर संहिता के अधीन दिवाला समाधान या दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो उसे ऐसी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।

विधेयक का अनुच्छेद 18 संहिता की धारा 30 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है जिससे समाधान योजना के अधीन वित्तीय लेनदारों को संदत्त के लिए न्यूनतम सीमा तय की जा सके, जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया है ('असहमति वाले वित्तीय लेनदार') वह रकम होगी जो उन्हें संदत्त की गई होती - (i) धारा 53 के अधीन परिसमापन की स्थिति में या (ii) यदि समाधान योजना के अधीन वितरित की जाने वाली रकम धारा 53 के अधीन प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित की गई थी, जो भी कम हो । तदनुसार, यदि पहले परिदृश्य के अधीन असहमत वित्तीय लेनदारों को देय रकम दूसरे परिदृश्य के अधीन उससे कम है, तो पहले परिदृश्य के अधीन रकम न्यूनतम के रूप में काम करेगी जो समाधान योजना को विधिमान्य माने जाने के वाले को उन्हें संदत्त की जानी चाहिए । यह सुनिश्चित करता है कि असहमत वित्तीय लेनदारों को कम से कम न्यूनतम रकम प्रदान करने की आवश्यकता एक व्यवहार्य और व्यावहारिक समाधान योजना के अनुमोदन में बाधा नहीं डालती है । यह संहिता की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (घ) में संशोधन का भी प्रस्ताव करता है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक समाधान योजना में एक समिति के गठन का उपबंध होगा जो निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण की देखरेख करेगी । विनियमों में समिति की संरचना, ऐसे मामले जिनमें इसका गठन किया जाना चाहिए, और इसके कृत्यों का उपबंध किया गया है ।

विधेयक का खंड 19 संहिता की धारा 31 की उपधारा (1) में एक नया उपबंध अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पहले समाधान योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे सके और फिर एक अलग आदेश द्वारा तीस दिनों की अवधि के भीतर उसमें प्रदान की गई संवितरण की रीति को मंजूरी दे सके । न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा इस शक्ति का प्रयोग केवल लेनदारों की समिति के अनुमोदन से समाधान वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर ही किया जाएगा । बोर्ड ऐसे आवेदन के लिए प्ररूप, रीति और शर्तें निर्दिष्ट करेगा । समाधान योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी देने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी यह पुष्टि करेगा कि समाधान योजना वितरण की रीति से संबंधित आवश्यकताओं, जैसे कि कुछ ऋणदाताओं के लिए न्यूनतम वितरण संबंधी आवश्यकताओं, के अलावा धारा 30 के अधीन अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करती है । जब समाधान योजना वितरण के तरीके के बिना स्वीकृत हो जाती है, तो यह धारा 31 के उपबंध के अनुसार सभी पणधारियों पर बाध्यकारी होगी । इस बीच, धारा 14 के अधीन लगाया गया अधिस्थगन लेनदारों और अन्य पणधारियों पर लागू होता रहेगा क्योंकि प्रक्रिया अभी भी जारी है, जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के अधीन है । जब वितरण की रीति तत्पश्चात् स्वीकृत हो जाती है, तो वह भी बाध्यकारी होगा और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ।

इसके अतिरिक्त, यह उपधारा (2) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिसका न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह अधिकार मिल सके कि वह लेनदारों की समिति को समाधान योजना को अस्वीकार करने से पहले उसमें किसी भी दोष को सुधारने का अवसर प्रदान कर सके, जहां दोष प्रक्रियात्मक, गैर-भौतिक हैं और ऋणदाताओं की समिति द्वारा सुधारे जा सकते हैं । यह उप-धारा (2क) अंतःस्थापित करने के लिए भी है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को तीस दिनों के भीतर अनुमोदन या अस्वीकृति के संबंध में अपना

आदेश देना होगा । उपरोक्त के अतिरिक्त, यह धारा 31 की उपधारा (4) के परंतुक का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि किसी समाधान योजना में ऐसे संयोजन का उपबंध है जिसके लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, तो ऐसा अनुमोदन समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना को अनुमोदन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्राप्त किया जाएगा ।

यह न्यायिक निर्णयों द्वारा मान्यता प्राप्त क्लीन-स्लेट सिद्धांत की अवधारणा को स्पष्ट और स्वीकार करने के लिए उप-धारा (5) और (6) का अंतःस्थापन करने के लिए है । एक बार समाधान योजना स्वीकृत हो जाने पर, दावों का निपटान योजना के अनुसार किया जाता है, और जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है । इसलिए, ऐसे समाधान को सभी पक्षों द्वारा मान्यता प्राप्त और बाध्यकारी होना चाहिए, और पिछले दायित्वों को किसी भी अनुदान या अधिकार को निलंबित या समाप्त करने, या समाधान प्राप्त निगमित ऋणी के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के लिए आधार नहीं बनाया जाना चाहिए ।

उप-धारा (5) स्पष्ट करती है कि जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने समाधान योजना को मंजूरी दे दी है, वहां केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या किसी अन्य विधि के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिया गया अनुदान या अधिकार, जो ऐसी समाधान योजना से संबद्ध है, ऐसे अनुदानों या अधिकारों की शेष अवधि के दौरान निलंबित या समाप्त नहीं किया जाएगा । समाधान योजना में निगमित ऋणी के उन अनुदानों या अधिकारों को निर्दिष्ट किया जाएगा जिन्हें जारी रखा जाना है । इस सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए, निगमित ऋणी को शेष अवधि के लिए ऐसे अनुदानों या अधिकारों से जुड़े दायित्वों का पालन करना होगा । यह तब भी लागू होगा जब निगमित ऋणी की संपत्ति, निगमित ऋणी से जुड़े किसी भी अनुदान या अधिकार के साथ, एक समाधान आवेदक को बेची जाती है जो शेष अवधि के लिए ऐसे अनुदानों या अधिकारों से जुड़े दायित्वों का पालन करता है । तथापि, समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से पहले उद्भूत होने वाले ऋणों के संबंध में दायित्व, जिनका निगमित दिवाला समाधान प्रक्रियाके दौरान समाधान किया गया था, धारा 31 की उपधारा (6) के अनुसार शासित होंगे । ऐसे अनुदानों और अधिकारों का प्रदाता ऐसे ऋण का संदत्त न करने को निलंबन या समाप्ति का आधार नहीं मान सकता है ।

इसके अतिरिक्त, उपधारा (6) स्पष्ट करती है कि उप-धारा (1) के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात्, निगमित ऋणी या उसकी आस्तियों के विरुद्ध सभी दावे जो समाधान योजना द्वारा समाविष्ट नहीं किए गए हैं, उन्हें समाप्त माना जाएगा, और ऐसे दावों के संबंध में निगमित ऋणी या उसकी आस्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जाएगी या प्रारंभ नहीं की जाएगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उपबंध निगमित ऋणी के किसी पूर्व संप्रवर्तक या प्रबंधन या प्रतिभू के विरुद्ध किसी दावे या कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि निगमित ऋणी के साथ संयुक्त दायित्व या संयुक्त और पृथक्-पृथक् दायित्व वाला कोई व्यक्ति किसी ऐसे ऋण का निपटान करता है जो समाधान योजना के अनुमोदन से पहले किसी लेनदार को देय था, तो ऐसे व्यक्ति का निगमित ऋणी द्वारा क्षतिपूर्ति का अधिकार भी समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् समाप्त हो जाएगा ।

विधेयक का खंड 20 संहिता की धारा 33 में संशोधन करने के लिए है जिससे निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान घोषित अधिस्थगन को धारा 14 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन प्रदान की गई सीमा तक परिसमापन प्रक्रिया तक

बढ़ाया जा सके । यह उपबंध किया गया है कि निगमित ऋणी की ओर से वाद या अन्य विधिक कार्यवाही न्यायनिर्णायक प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रारंभ या जारी नहीं रखी जाएगी । इससे यह सुनिश्चित होगा कि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अधिस्थगन परिसमापन प्रक्रिया तक भी विस्तारित हो । परिणामस्वरूप, निगमित ऋणी के विरुद्ध सभी लंबित और भविष्य की विधिक कार्यवाहियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिनसे संसाधनों का ह्रास और विलंब हो । यह परिसमापक पर वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को काफी कम करता है, जिसे अन्यथा विभिन्न मंचों पर कई दावों को आगे बढ़ाने या उनका बचाव करने की आवश्यकता होती । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, परिसमापन प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश जारी करते समय, धारा 34 के अनुसार परिसमापक की नियुक्ति भी करेगा ।

इसके अतिरिक्त, यह धारा 33 में नई उप-धाराएं (1क) और (1ख) के अंतःस्थापन का उपबंध करता है जिससे असाधारण मामलों में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रत्यास्थापित किया जा सके, परंतु लेनदारों की समिति एक आवेदन द्वारा ऐसा अनुरोध करे । न्यायनिर्णायक प्राधिकारी प्रक्रिया को तभी प्रत्यास्थापित कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित परिस्थितियां मौजूद हैं - पहली, संहिता के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर कोई समाधान योजना स्वीकृत नहीं की गई है, या दूसरी, लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना को धारा 31 के अधीन अस्वीकार कर दिया गया है । आवेदन पर विचार करने के पश्चात्, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी यह अवधारित करेगा कि क्या आवेदन यह दर्शाता है कि निगमित ऋणी के दिवाले का समाधान करने की अभी भी कुछ संभावना है और वह आदेश द्वारा प्रक्रिया को प्रत्यास्थापित कर सकता है । इससे यह सुनिश्चित होता है कि त्रुटियां, जिनके कारण प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाती या समाधान योजना अस्वीकृत हो जाती है, निगमित ऋणी को दिवाले का सफलतापूर्वक समाधान करने और उसे परिसमापन के लिए बाध्य होने से नहीं रोकतीं । पहले परिदृश्य में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी प्रक्रिया को प्रत्यास्थापन करेगा और एक उचित अवधि प्रदान करेगा जिसके भीतर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जो एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी । दूसरे परिदृश्य में, वह प्रक्रिया को समाधान योजना के आमंत्रण के चरण में प्रत्यास्थापन करेगा और एक अवधि निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर प्रत्यास्थापन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, जो एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं होगी । विनियमन प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रत्यास्थापन प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रियाओं और शर्तों को निर्दिष्ट करेगा । प्रक्रिया को प्रत्यास्थापन करने का यह विकल्प केवल एक बार उपलब्ध होगा, चाहे इसका प्रयोग दोनों में से किसी भी परिदृश्य में किया जाए।

यह लेनदारों की समिति को निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, लेकिन समाधान योजना की पुष्टि से पहले और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के पश्चात्, निगमित ऋणी के विघटन की मांग करने को समर्थ बनाता है । ऐसा अनुरोध तब किया जा सकता है जब निगमित ऋणी के पास कोई सार्थक या वसूली योग्य संपत्ति न हो और पूरी प्रक्रिया बोझिल और महंगी हो । यह तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान करने का भी प्रयास करता है जिसके भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी परिसमापन आदेश पारित करेगा ।

इसके अतिरिक्त, जब किसी स्वीकृत समाधान योजना के उल्लंघन के कारण परिसमापन आदेश के लिए आवेदन किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, असाधारण मामलों में, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को प्रत्यास्थापन कर सकता है, यदि यह निगमित ऋणी के मूल्य को अधिकतम करने के लिए व्यवहार्य हो । प्रक्रिया को प्रत्यास्थापन करते समय, वह उस

चरण का निर्धारण कर सकता है जहां से प्रक्रिया प्रारंभ होगी और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कोई अन्य आदेश पारित कर सकता है । इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी परिसमापन आदेश जारी करने का निर्णय लेता है, वह प्रक्रिया के दक्ष संचालन के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले कोई अन्य आदेश भी पारित कर सकता है ।

विधेयक का खंड 21 संहिता की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परिसमापक को लेनदारों की समिति के प्रस्ताव पर नियुक्त किया जाएगा, और समाधान वृत्तिक को स्वचालित रूप से परिसमापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । यह या तो विद्यमान समाधान वृत्तिक का प्रस्ताव कर सकता है या किसी अन्य दिवाला वृत्तिक का प्रस्ताव कर सकता है, जो कि परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उनकी लिखित सहमति के अधीन है । जहां लेनदारों की समिति प्रस्तावित परिसमापक का नाम नहीं भेजती है या बोर्ड प्रस्तावित परिसमापक के नाम की पुष्टि नहीं करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, बोर्ड के निर्देश पर परिसमापक की नियुक्ति करेगा । विद्यमान समाधान वृत्तिक को प्रक्रिया के समय या उसके दौरान परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित किया जाएगा, जहां उसके द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को धारा 30 की उपधारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के कारण अस्वीकार कर दिया गया था । यह संहिता की धारा 34 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापन करने के लिए भी है जिससे परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया पर संशोधित धारा 19 के समान उपबंध लागू किए जाएंगे ।

विधेयक के खंड 22 में संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 में एक नई धारा 34क का अंतःस्थापन करने के लिए है जिससे इस उपबंध के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया के दौरान लेनदारों की समिति द्वारा परिसमापक के प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सके ।

विधेयक का खंड 23, समापक की परिसमापन प्रक्रिया के दौरान शक्तियों और कर्तव्यों का, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के साथ सामंजस्य करने के लिए संहिता की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है । यह सामान्य क्रियाकलापों के दोहराव का परिवर्जन करेगा और समापन प्रक्रिया के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करेगा । निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किए गए दावों का अनुरक्षण किया जाएगा और परिसमापन प्रक्रिया के दौरान उन्हें अद्यतन किया जाएगा । बोर्ड, दावों के अनुरक्षण और अद्यतन के लिए प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके अंतर्गत दावों के सत्यापन की आवश्यकता और उनके मूल्य का अवधारण, यदि आवश्यक हो, भी है । तथापि, दावों के आमंत्रण की नई प्रक्रिया संचालित नहीं की जाएगी । इसके अतिरिक्त, समापक, परिवर्जनीय संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोष व्यापार की पहचान के लिए एक नया अन्वेषण करने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा । तथापि, वह किसी परिवर्जनीय संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोष व्यापार के संबंध में कार्यवाहियां जारी रखने या संस्थित करने के लिए सशक्त और बाध्यकारी होगा ।

यह निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान गठित लेनदारों की समिति की भूमिका का विस्तार परिसमापन प्रक्रिया तक करने के लिए भी है । लेनदारों की समिति, समापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के संचालन का पर्यवेक्षण करेगी । परिसमापन प्रक्रिया के दौरान, लेनदारों की समिति, वाणिज्यिक मामलों पर समापक को सलाह देगी और उसका मार्गदर्शन करेगी । यह सभी पणधारियों के, जो धारा 53 के अधीन वितरण के हकदार हैं, हितों को बनाए रखने के लिए कार्य करेगी और परिसमापन के संचालन में पारदर्शिता और जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए

निगरानी का कृत्य करेगी । बोर्ड विनिर्दिष्ट करेगा कि समिति, समापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के संचालन का किस प्रकार पर्यवेक्षण करेगी । इसके अतिरिक्त, लेनदारों की समिति की भूमिका, धारा 35 के अधीन परिसमापन प्रक्रिया तक सीमित है और स्वेच्छया समापन तक विस्तारित नहीं है । जब यह उपबंध धारा 59 की उपधारा (6) के अनुसरण में स्वेच्छया समापन पर लागू होता है, तो बोर्ड, पणधारियों से परामर्श के लिए पृथक् प्रक्रिया स्थापित करेगा ।

विधेयक का खंड 24, "परिवर्जनीय संव्यवहार" और "कपटपूर्ण या सदोष व्यापार" पदों की परिभाषाओं के अंत:स्थापन के अनुसरण में संहिता की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि परिवर्जनीय संव्यवहारों, कपटपूर्ण या सदोष व्यापार के संबंध में या संहिता की धारा 47 के अधीन सभी प्रकार की कार्यवाहियों के माध्यम से प्राप्त संपत्तियां परिसमापन संपदा का भाग होगी ।

विधेयक का खंड 25, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया और समापन प्रक्रिया की प्रक्रियाओं में दोहराव को रोकने के लिए, संहिता की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41 और धारा 42 का लोप करने के लिए है । तथापि, धारा 35 में किए गए संशोधनों के अनुसार, विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, समापक के पास निगमित ऋणी के प्रति ऋणदाताओं के दावों की अद्यतन सूची के अनुरक्षण की शक्ति और कर्तव्य है ।

विधेयक का खंड 26, अधिमान संव्यवहार के निर्धारण हेतु लुक-बैक अवधि में दो संशोधन करने हेतु संहिता की धारा 43 की उपधारा (4) में संशोधन करने के लिए है । सबसे पहले, यह दिवाला प्रारंभ तारीख से लुक-बैक अवधि की सीमा को आरंभ तारीख (निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने हेतु आवेदन दाखिल करने की तारीख) तक परिवर्तित करता है। दूसरे, यह ऐसे संव्यवहार के लिए लुक-बैक अवधि में आरंभ तारीख और दिवाला प्रारंभ तारीख के बीच की अवधि को शामिल करता है। वर्तमान में, धारा 43 में लुक-बैक अवधि की सीमा दिवाला प्रारंभ तारीख (वह तारीख जिस दिन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाता है) है।

जहाँ किसी आवेदन को स्वीकार करने में चौदह दिनों से अधिक समय लगता है, वहाँ अधिमान संव्यवहार के लिए लुक-बैक अवधि, आवेदन दाखिल करने से पहले हुए संव्यवहार के एक महत्वपूर्ण भाग को शामिल करने में सक्षम नहीं हो सकती है। इससे निगमित ऋणी को दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन स्वीकार करने में देरी करने का एक विकृत प्रोत्साहन भी मिल सकता है जिससे किसी परिवर्जनीय संव्यवहार का दायरा कम हो जाए। इसलिए, अधिमान संव्यवहार के लिए लुक-बैक अवधि की सीमा को पूर्व-दाखिल संव्यवहार की एक व्यापक श्रेणी, विशेष रूप से दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की प्रत्याशा में किए गए संव्यवहार को प्रक्रिया से बाहर करने के लिए, अधिक प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए समायोजित किया गया है।

विधेयक का खंड 27 धारा 46 के सीमांत शीर्षक में संशोधन करके "न्यून मूल्यांकित" शब्द के स्थान पर "परिवर्जनीय" शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए है । धारा 43 में किए गए संशोधनों के समान, यह न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार के लिए लुक-बैक अवधि की सीमा में संशोधन करके पूर्व-दाखिल संव्यवहार की एक व्यापक श्रेणी, विशेष रूप से दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की प्रत्याशा में किए गए संव्यवहार , को प्रक्रिया से बाहर करने के लिए, अधिक प्रभावी ढंग से शामिल

करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 28, संहिता की धारा 47 के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे लेनदार (व्यक्तिगत रूप से या अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से) या निगमित ऋणी के सदस्य या भागीदार, जैसा भी मामला हो, संहिता की धारा 43, 45, या 50 के अंतर्गत परिवर्जनीय संव्यवहार या धारा 66 के अंतर्गत कपटपूर्ण या सदोष व्यापार के परिहार के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकें, यदि परिसमापक या समाधान वृत्तिक ने ऐसे संव्यवहार या व्यापार की सूचना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को नहीं दी है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोष व्यापार के परिहार के लिए आदेश पारित करने का अधिकार है, मानो ऐसा आवेदन संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार परिसमापक या समाधान वृत्तिक द्वारा दायर किया गया हो। ऐसे आदेश के पारित होने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह भी अधिकार है कि वह बोर्ड को परिसमापक या समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने के लिए आदेश पारित कर सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि परिसमापक या समाधान वृत्तिक ने पर्याप्त जानकारी या सूचना प्राप्त करने का अवसर होने के बाद भी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संव्यवहार या व्यापार की सूचना नहीं दी।

विधेयक का खंड 29 संहिता की धारा 49 के परंतुक के खंड (क) में संशोधन करने का प्रयास करता है जिससे निगमित ऋणी के किसी संबंधित पक्ष से अर्जित संपत्ति को भी इस परंतुक के अंतर्गत अपवाद से बाहर रखा जा सके। यह उन लेन-देनों को "लेनदारों को धोखा देने वाले संव्यवहार" के रूप में छूट से रोकता है जिनमें निगमित ऋणी की परिसंपत्ति उसके संबंधित पक्ष को अंतरित की जाती है, और परिणामस्वरूप, ऐसी परिसंपत्ति संबंधित पक्ष से किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित की जाती है। हालाँकि, यदि परिसंपत्ति को तृतीय पक्ष से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाता है, तो भी अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने पर उसे छूट दी जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि संबंधित पक्ष के माध्यम से संपत्ति के हस्तांतरण को धारा 49 के परंतुक के खंड (क) के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, जो निगमित ऋणी की संपत्ति के विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच सद्भावनापूर्वक किए गए संव्यवहार पर लागू होना चाहिए।

विधेयक का खंड 30 संहिता की धारा 50 की उपधारा (1) में संशोधन करने के लिए है, जिससे जबरन ऋण संव्यवहार के निर्धारण हेतु लुक-बैक अवधि में परिवर्तन किया जा सके। धारा 43 में संशोधनों के समान, यह विधेयक जबरन ऋण संव्यवहार के लिए लुक-बैक अवधि की सीमा में संशोधन करने का प्रयास करता है जिससे पूर्व-दाखिल संव्यवहार की एक व्यापक श्रृंखला को अधिक प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सके, विशेष रूप से उन संव्यवहार को जो दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने की प्रत्याशा में किए गए थे जिससे इस प्रक्रिया से परिसंपत्तियों को बाहर रखा जा सके।

विधेयक का खंड 31 संहिता की धारा 52 की उपधारा (2) में संशोधन करने का प्रयास करता है जिससे किसी प्रतिभूत ऋणदाता के लिए परिसमापन प्रारंभ तारीख से चौदह दिनों की एक अनिवार्य समय-सीमा शामिल की जा सके जिससे वह यह निर्णय बता सके कि क्या वह परिसमापन प्रक्रिया के बाहर प्रतिभूति हित की वसूली करना चाहता है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो ऐसे प्रतिभूति हित को परिसमापन संपदा को परित्यक्त किया हुआ माना जाएगा। ऐसा परिसमापन प्रक्रिया के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने और निगमित ऋणी के परिसमापन में किसी भी देरी को रोकने के लिए किया गया है। यह उपधारा (2) में एक परंतुक जोड़ने का भी प्रयास करता है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि यदि एक से अधिक प्रतिभूत लेनदारों का निगमित ऋणी की

किसी परिसंपत्ति पर कोई सुरक्षा हित है, तो कोई भी प्रतिभूत लेनदार अपने सुरक्षा हित की वसूली का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसे सुरक्षा हितों द्वारा प्रतिभूत सभी दावों के मूल्य के कम से कम 66 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूत लेनदारों द्वारा वसूली पर सहमति न हो। ऐसे मामलों में जहाँ कई प्रतिभूत लेनदारों के निगमित ऋणी की किसी विशिष्ट परिसंपत्ति पर सुरक्षा हित द्वारा प्रतिभूत दावे हैं, केवल उस परिसंपत्ति से संबंधित प्रतिभूत दावों पर ही विचार किया जाता है। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना है कि परिसंपत्ति का मूल्य सभी दावों या सुरक्षा हित की प्राथमिकता को कवर करने के लिए पर्याप्त है या नहीं। इन दावों को मिला दिया जाता है, और इस कुल प्रतिभूत दावे के मूल्य में कम से कम 60 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूत लेनदारों को परिसमापन प्रक्रिया के बाहर वसूली के लिए सहमत होना चाहिए।

यह धारा 52 की उपधारा (8) में संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उपखंड (i) के अंतर्गत दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत, परिसमापन लागत और कर्मकार बकाया राशि के लिए राशि का योगदान प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी भी वसूली की आय से काटा जाएगा, जब प्रतिभूत लेनदार परिसमापन प्रक्रिया के बाहर अपनी सुरक्षा हित की वसूली करने का निर्णय लेता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक प्रतिभूत लेनदार जो परिसमापन प्रक्रिया के बाहर अपनी सुरक्षा हित की वसूली करना चुनता है, दिवाला समाधान लागत, परिसमापन लागत और कर्मकार बकाया राशि के लिए योगदान करता है, क्योंकि ये वितरित किए जाते यदि प्रतिभूत लेनदार ने अपनी सुरक्षा हित परिसमापन संपदा को छोड़ दी होती। बोर्ड राशि को परिसमापक को हस्तांतरित करने और भुगतान प्रतिभूत करने के लिए अवधि और शर्तों को निर्दिष्ट करेगा। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि यदि प्रतिभूत लेनदार अपने सुरक्षा हितों की पूर्ति के लिए सामूहिक परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रहना चुनते हैं, तो कामगारों को परिसमापन प्रक्रिया में धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त बकाया राशि के भाग से कम राशि प्राप्त न हो। ऐसे मामले में प्रतिभूत लेनदारों द्वारा अंशदान की आवश्यकता कामगारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

विधेयक का खंड 32, संहिता की धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) में एक स्पष्टीकरण सम्मिलित करने के लिए है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि ऐसे मामलों में जहाँ प्रतिभूत लेनदार द्वारा परिसमापन संपदा को परित्यक्त प्रतिभूत हित का मूल्य, निगमित ऋणी द्वारा उस प्रतिभूत लेनदार को दिए गए कुल ऋण से कम है, ऐसे प्रतिभूत लेनदार को ऐसे सुरक्षा हित के मूल्य की सीमा तक प्रतिभूत लेनदार माना जाएगा। बोर्ड सुरक्षा हित के मूल्य का निर्धारण करने का तरीका निर्दिष्ट करेगा। ऐसे ऋण के शेष मूल्य के लिए, उसे अप्रतिभूत लेनदार माना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के उपखंड (i) में एक स्पष्टीकरण सम्मिलित करने के लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि केंद्रीय और राज्य सरकारों की देनदारियों को, चाहे ऐसी राशियों को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रतिभूति हित बनाया गया हो या नहीं, धारा 53 की उपधारा (1) के तहत प्राथमिकता का उच्चतर क्रम प्राप्त नहीं होगा। परिसमापन प्रारंभ तारीख से पहले दो वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की देनदारियों को धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ड.) के उपखंड (i) के अधीन प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित किया जाएगा, चाहे ऐसी राशि को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रतिभूति हित बनाया गया हो या नहीं। ऐसी देनदारियों को सुरक्षित लेनदारों के साथ धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के तहत प्राथमिकता के उच्चतर क्रम के अनुसार वितरित नहीं किया जाएगा, भले ही इन

देनदारियों को सुरक्षित करने के लिए कोई प्रतिभूति हित बनाया गया हो। परिसमापन प्रारंभ तिथि से पहले की दो वर्ष की अवधि के बाद, केन्द्रीय और राज्य सरकार की कोई भी शेष राशि धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन प्राथमिकता के निचले क्रम के अनुसार वितरित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त यह धारा 53 की उपधारा (2) के पश्चात् दृष्टांत अंत:स्थापित करने के लिए है जिससे उपधारा (2) की परिधि और आवेदन को स्पष्ट किया जा सके ।

विधेयक का खंड 33, संहिता की धारा 54 की उपधारा (1) के स्थान पर परिसमापन प्रारंभ तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर परिसमापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय-सीमा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह अवधि, परिसमापक के आवेदन पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा, उचित समझे जाने वाली अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते कि यह अवधि नब्बे दिनों से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, इसमें उपधारा (1अ) और (1आ) को शामिल करने का प्रयास किया गया है जिससे ऋणदाताओं की समिति, धारा 47 के अंतर्गत परिवर्जनीय संव्यवहार या धोखाधड़ीपूर्ण या सदोष व्यापार के संबंध में कार्यवाही करने के तरीके का निर्धारण कर सके और निगमित ऋणी के विघटन के बाद धारा 53 के अंतर्गत वितरित की जाने वाली किसी भी आय से संबंधित निगमित ऋणी के विरुद्ध किसी वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही का निर्धारण कर सके। ऋणदाताओं की समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे और परिसमापक या समाधान वृत्तिक द्वारा निगमित ऋणी को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष विघटन करने के लिए आवेदन करने से पहले, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार ऐसी कार्यवाही से प्राप्त राशि को वितरित करे।

इसमें उपधारा (2क) को शामिल करने का भी उपबंध है जिससे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संहिता की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत निगमित ऋणी को विघटन करने के ऋणदाताओं की समिति के निर्णय की प्राप्ति पर निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी किए बिना या परिसमापन प्रक्रिया से गुजरे बिना निगमित ऋणी के विघटन का आदेश पारित करने का अधिकार मिल सके। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या निगमित ऋणी के पास कोई सार्थक या वसूली योग्य संपत्ति है, या विघटन आदेश पारित करते समय पूरी प्रक्रिया बोझिल और महंगी होगी।

इसमें उपधारा (2ख) को अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विघटन आदेश पारित होने से धारा 47 के अंतर्गत परिवर्जनीय संव्यवहार या धोखाधड़ी या सदोष व्यापार से संबंधित कार्यवाही और धारा 53 के अंतर्गत वितरित की जाने वाली किसी भी आय से संबंधित निगमित ऋणी के विरुद्ध किसी भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही की निरंतरता प्रभावित नहीं होगी। विघटन आदेश पारित करने से पहले, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को यह पुष्टि करनी चाहिए कि क्या ऐसी कार्यवाही लंबित है और क्या ऋणदाताओं की समिति ने विघटन के बाद उन्हें जारी रखने के लिए उचित व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों का संचालन करने वाले मंचों को उपधारा (1क) और (1ख) के अंतर्गत ऋणदाताओं की समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित विघटन आदेश की पुष्टि करते हुए उन्हें स्वीकार करना चाहिए और तदनुसार उन कार्यवाहियों को आगे बढ़ाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, इसमें उपधारा (4) को शामिल करने का प्रस्ताव है जिससे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को विघटन आदेश पारित करने के लिए तीस दिनों की अवधि प्रदान की जा सके।

खंड 34, संहिता की धारा 54क की उपधारा (2) में "ऋणी द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया" शीर्षक वाले अध्याय 4क के समावेश के परिणामस्वरूप एक परिणामी परिवर्तन के रूप में संशोधन करने का प्रयास करता है ।

विधेयक का खंड 35, संहिता की धारा 54ग की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे बोर्ड, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने हेतु आवेदन के साथ निगमित आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी को निर्दिष्ट कर सके।

विधेयक का खंड 36, संहिता की धारा 54च की उपधारा (5) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे संशोधित धारा 19 के समान उपबंध पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर लागू किए जा सकें और समाधान वृत्तिक के साथ सहायता और सहयोग सुनिश्चित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 37 संहिता की धारा 541 में संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 31 और 33 में किए गए कुछ संशोधनों को संहिता के भाग 2 के अध्याय 3क के अधीन पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर लागू किया जा सके।

विधेयक का खंड 38 संहिता की धारा 54ढ़ में संशोधन करने के लिए उपबंध करता है, ताकि परिसमापन प्रक्रिया के आरंभ से संबंधित धारा 33 में किए गए परिवर्तनों को पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया पर लागू किया जा सके।

विधेयक का खंड 39 संहिता के भाग 2 के अध्याय 4, जिसमें धारा 55 से धारा 58 शामिल हैं, को हटाने के लिए उपबंध करता है, जो त्वरित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित हैं। त्वरित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित उपबंधों को हटाने के लिए संहिता में परिणामी संशोधन किए गए हैं।

विधेयक का खंड 40, संहिता के भाग 2 में नई धाराएं 58क से 58ट सम्मिलित करते हुए, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया नामक एक नया अध्याय 4-क सम्मिलित करता है, जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है: -

i. धारा 58क उन कॉर्पोरेट ऋणी के प्रकार प्रदान करने का उपबंध करता है जो लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। उप-धारा (1) केंद्रीय सरकार को उन कॉर्पोरेट देनदारों के प्रकारों को अधिसूचित करने का अधिकार देती है जिनके संबंध में लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उप-धारा (2) विशिष्ट प्रकार के कॉर्पोरेट ऋणी को विनिर्दिष्ट करती है जिनके लिए उप-धारा (1) के अधीन पात्रता के बावजूद, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट देनदार जिनके लिए या तो दिवाला समाधान या परिसमापन प्रक्रिया आरंभ की गई है और अभी भी चल रही है, उन्हें पात्र कॉर्पोरेट ऋणी होने से बाहर रखा गया है जिनके संबंध में लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। साथ ही, कॉर्पोरेट देनदार जिनके लिए कोई दिवाला समाधान प्रक्रिया लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवालियापन प्रारंभ तारीख से तीन साल पहले हुई है, वे इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। इस पात्रता का निर्धारण करने के लिए, सार्वजनिक घोषणा की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की गणना की जाएगी, जिस दिन से लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ होती है।

ii. धारा 58ख, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। उप-धारा (1) में उपबंध है कि कॉर्पोरेट ऋणी का कोई वित्तीय

ऋणदाता, जिसके संबंध में चूक हुई है, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, बशर्ते वह केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के वर्ग से संबंधित हो। केवल इन्हीं अधिसूचित वित्तीय लेनदारों को यह प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, चूँकि यह भाग 2 के अधीन एक दिवाला प्रक्रिया है, इसलिए संहिता की धारा 4 में निर्दिष्ट न्यूनतम चूक सीमा पूरी होनी चाहिए। साथ ही, केंद्रीय सरकार प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अन्य शर्तें भी निर्धारित कर सकती है, जिनका प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पालन करना आवश्यक होगा।

उप-धारा (2) उन अनिवार्य अपेक्षाओं को सूचीबद्ध करती है जिनका पालन इस अध्याय के अधीन प्रक्रिया आरंभ करने के इच्छुक वित्तीय लेनदार द्वारा किया जाना चाहिए। सबसे पहले, वित्तीय लेनदार को वित्तीय संस्थानों के अधिसूचित वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदारों से प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जो ऐसे वित्तीय लेनदारों को देय ऋण के कुल मूल्य के कम से कम इक्यावन प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके पश्चात्, वित्तीय लेनदार कॉर्पोरेट देनदार को प्रक्रिया आरंभ करने के अपने आशय के बारे में सूचित करेगा और उसे कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम तीस दिन का समय देगा। इस अवधि के भीतर, कॉर्पोरेट दे ऋणी या तो चूक राशि चुका सकता है या प्रक्रिया आरंभ न करने के लिए वित्तीय ऋणी को प्रतिनिधित्व कर सकता है। यदि डिफ़ॉल्ट जारी रहती है, तो वित्तीय लेनदार कॉर्पोरेट ऋणी के प्रतिनिधित्व पर विचार कर सकता है और यह निर्णय ले सकता है कि प्रक्रिया आरंभ करने के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। चूंकि डिफ़ॉल्ट अभी भी मौजूद है, इसलिए यह वित्तीय लेनदार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करेगा कि प्रक्रिया आरंभ की जाए या नहीं। जहाँ वित्तीय लेनदार प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लेता है, उसे प्रक्रिया आरंभ करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के ऐसे अधिसूचित वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदारों से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जो ऐसे वित्तीय लेनदारों को देय ऋण के मूल्य के कम से कम इक्यावन प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वित्तीय लेनदार तीस दिनों के भीतर अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे प्रक्रिया आरंभ करने का आशय रखने पर उप-धारा (2) के अधीन प्रक्रिया पुनः आरंभ करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वित्तीय ऋणदाता प्रक्रिया आरंभ करने में विलंब न करे और अभ्यावेदन पर शीघ्रता से विचार करे।

उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि यदि उप-धारा (2) के अधीन आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, तो वित्तीय लेनदार किसी दिवाला वृत्तिक को समाधान वृत्तिक नियुक्त कर सकता है। ऐसे दिवाला वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। वित्तीय लेनदार (कॉर्पोरेट ऋणी के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्) अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी का अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत पश्चात् समाधान वृत्तिक की नियुक्ति कर सकता है। यदि कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि कॉर्पोरेट ऋणी को प्रक्रिया आरंभ करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो वित्तीय ऋणदाता अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अवधि पूरी होने के तुरंत पश्चात् समाधान वृत्तिक की नियुक्ति कर सकता है।

उप-धारा (4) यह उपबंध करता है कि समाधान वृत्तिक, अपनी नियुक्ति के पश्चात्, प्रक्रिया के आरंभ की सार्वजनिक घोषणा करेगा और उसे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और बोर्ड को सूचित करेगा। समाधान वृत्तिक, ऐसी सूचना के साथ, अपने स्वयं के मूल्यांकन पर आधारित एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि धारा 58क और 58ख के अधीन आवश्यकताओं को पूरा किया गया है या नहीं। बोर्ड उस अवधि को निर्दिष्ट करेगा जिसके भीतर सार्वजनिक घोषणा

की जानी चाहिए और उसका स्वरूप और तरीका क्या होगा। लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया, सार्वजनिक घोषणा की तारीख से आरंभ मानी जाएगी और इसके लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या बोर्ड से किसी आदेश या निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया का न्यायालय के बाहर आरंभ होगा। यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सार्वजनिक घोषणा नहीं की जाती है, तो आरंभ-पूर्व प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी और बाद में की गई कोई भी सार्वजनिक घोषणा वैध नहीं मानी जाएगी। बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया निर्दिष्ट करेगा कि समाधान वृत्तिक प्रक्रिया आरंभ करने की अवधि और प्रक्रियाओं का पालन करें।

उप-धारा (5) यह उपबंध है कि अध्याय 4-क के अधीन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात्, कॉर्पोरेट ऋणी के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या पूर्व-पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान फाइल नहीं किया जाएगा। चूँकि कॉर्पोरेट ऋणी एक दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहा होगा, इसलिए उसके लेनदारों को दावे प्रस्तुत करके इस प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इसलिए, कॉर्पोरेट ऋणी की कोई भी चूक किसी अन्य दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन दायर करने या स्वीकार करने का आधार नहीं होनी चाहिए।

iii. धारा 58ग, कॉर्पोरेट ऋणी को ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला के आरंभ की तारीख से तीस दिनों के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करके धारा 58ख के अधीन प्रक्रिया आरंभ करने पर आपत्ति करने की अनुमति के लिए उपबंध करती है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रक्रिया आरंभ करने पर आपत्ति करने का अधिकार, प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात् ही प्रयोग किया जा सकता है, धारा 58बी के अधीन सार्वजनिक घोषणा से पहले नहीं। यदि कॉर्पोरेट ऋणी निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो यह माना जाएगा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और प्रक्रिया का आरंभ वैध है।

धारा 58ग की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई चूक नहीं हुई है, या दोनों ही स्थितियों में कोई चूक नहीं हुई है और प्रक्रिया का आरंभ धारा 58क या 58ख के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है, वहां वह आदेश द्वारा प्रक्रिया के आरंभ को आरंभ से ही शून्य घोषित कर सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये दोनों अपेक्षाएं पूरी हुई हैं, और किसी अन्य आधार या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कोई चूक हुई है, लेकिन प्रक्रिया का आरंभ धारा 58क या 58ख के उल्लंघन में है, तो वह लेनदार द्वारा आरंभ किए गए दिवालियेपन समाधान को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित कर देगा और धारा 58ज की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करेगा। जब आपत्तियां केवल धारा 58क या 58ख के अधीन निर्दिष्ट प्रक्रिया के गैर-अनुपालन के कारण उठाई जाती हैं, और चूक के अस्तित्व पर आधारित नहीं होती हैं, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह मान लेगा कि चूक विद्यमान है और यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी प्रक्रिया का तात्विक रूप से गैर-अनुपालन हुआ है तो प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित कर देगा।

iv. धारा 58घ लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने की अवधि निर्धारित करती है। उप-धारा (1) में यह उपबंध है कि प्रक्रिया एक सौ पचास दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। उप-धारा (2) इस अवधि को पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति देती है। इस अवधि में कोई भी विस्तार एक बार से अधिक नहीं किया जाएगा। उप-धारा (3) में यह उपबंध है कि जहां लेनदारों की समिति उप-धारा (1) में निर्धारित अवधि के भीतर या उप-धारा (2) के अधीन

विस्तारित अवधि के अधीन किसी समाधान योजना को मंजूरी नहीं देती है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 58ज की उप-धारा (1) के अधीन एक आदेश पारित करेगा, जिसमें लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को सूचित करने के लिए समाधान वृत्तिक के लिए प्रक्रिया प्रदान करेगा, और तदनुसार, यह इस प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित कर देगा। यह अनिवार्य अवधि दिवाला का समय पर समाधान सुनिश्चित करेगी । यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट ऋणी के प्रबंधन द्वारा नियंत्रण के साथ सुरक्षा (जैसे अधिस्थगन) इस खंड में उल्लिखित अवधि से आगे जारी नहीं रहेगी, ताकि प्रक्रिया के किसी भी दुरुपयोग से बचा जा सके।

V. धारा 58ड., देनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान अवधि के दौरान समाधान पेशेवर के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करती है। समाधान वृत्तिक इन कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग और पालन सार्वजनिक घोषणा द्वारा प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पश्चात् ही करेगा, न कि ऐसे प्रारंभ से पहले। उसे दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण देना होगा, सूचना ज्ञापन तैयार करना होगा, धारा 18 के खंड (क) से (ग) और धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) से (ञ) में निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा, धारा 54च की उप-धारा (3) और (4) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करना होगा, बोर्ड के समक्ष ऐसी रिपोर्ट और दस्तावेज़ फाइल करने होंगे और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अन्य कर्तव्यों का पालन करना होगा। समाधान पेशेवर को यह पुष्टि करने वाली एक रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी कि क्या प्रक्रिया का संचालन प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार है और क्या समाधान योजना धारा 29क और 30 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है। समाधान वृत्तिक के साथ सहायता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए धारा 19 के समान उपबंध लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया पर लागू होते हैं।

vi. धारा 58च में कहा गया है कि कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का प्रबंधन, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान, निदेशक मंडल या कॉर्पोरेट ऋणी के भागीदारों के पास, जैसा भी मामला हो, बना रहेगा। धारा 54ज के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे। तथापि, धारा 28 में उल्लिखित कुछ कार्यों के लिए लेनदारों की समिति से पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, समाधान पेशेवर, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला प्रक्रिया की आरंभ की तारीख से, कॉर्पोरेट ऋणी के सदस्यों, निदेशक मंडल और निदेशक समिति, या भागीदारों की सभी बैठकों में उपस्थित रहेगा। समाधान वृत्तिक इन बैठकों में लिए गए किसी भी निर्णय या प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, और यदि अस्वीकार कर दिया जाता है, तो ऐसे निर्णय या प्रस्ताव को अनुमोदित या अपनाया नहीं जाएगा। विनियम इस अधिकार के प्रयोग में किसी भी शर्त और उसके रीति का उपबंध कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कॉर्पोरेट ऋणी का प्रबंधन एक व्यवस्थित रीति से संचालित हो जो लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट ऋणी के प्रमोटर और कार्मिक को सूचना ज्ञापन तैयार करने के लिए समाधान वृत्तिक को कॉर्पोरेट ऋणी से संबंधित सुसंगत जानकारी प्रदान करना आवश्यक है और किसी भी गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

vii. धारा 58छ समाधान वृत्तिक को लेनदारों की समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् धारा 14 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए अधिस्थगन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने की अनुमति प्रदान करती है। यह आवेदन धारा

58ख की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के वर्ग से संबंधित कॉर्पोरेट ऋणी के वित्तीय लेनदारों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, लेनदारों की समिति के गठन से पहले भी फाइल किया जा सकता है, जो ऐसे वित्तीय लेनदारों को देय ऋण के मूल्य में इक्यावन प्रतिशत से कम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं । उपधारा (2) में कहा गया है कि अधिस्थगन आवेदन की तारीख से आरंभ होगा और लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान लागू रहेगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अधिस्थगन की पुष्टि कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के उचित और कुशल संचालन के लिए अधिस्थगन आवश्यक है

पुष्टि करते समय, निर्णायक प्राधिकरण कॉर्पोरेट ऋणी की आस्तियों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता, प्रक्रिया का निष्पक्ष और व्यवस्थित संचालन, या कॉर्पोरेट ऋणी के प्रबंधन द्वारा असहयोग जैसे कारकों पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, इसके अधिकार क्षेत्र की सीमा प्रक्रिया के दौरान स्थगन की आवश्यकता पर विचार करने तक सीमित है, और उसे प्रक्रिया के आरंभ की शुद्धता या स्थगन की सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार इस धारा के अधीन स्थगन लागू हो जाने पर, जब तक कि इसे निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता, यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। पुष्टि के बाद, निर्णायक प्राधिकरण स्थगन को हटाने या उपांतरित करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए अधिकृत नहीं है। स्थगन लागू होने के बारे में जनता को सूचित करने के लिए, समाधान वृत्तिक को स्थगन के लिए आवेदन फाइल होने पर और उसके पश्चात्, यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एक सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कॉर्पोरेट ऋणी के सभी पणधारियों, विशेषकर उसके लेनदारों को ऋण स्थगन लागू किए जाने के बारे में जानकारी होगी।

viii.धारा 58ज उपबंध करता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण निम्नलिखित मामलों में ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित कर देगा: (क) जहां उसे धारा 58डी के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदन के लिए समाधान योजना प्राप्त नहीं होती है; (ख) जहां वह संतुष्ट है कि कॉर्पोरेट ऋणी या उसके कर्मचारी समाधान वृत्तिक की सहायता या सहयोग करने में विफल रहे हैं; या (ग) जहां उसने समाधान योजना को अस्वीकार कर दिया है। प्रक्रिया के रूपांतरण के लिए घटनाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने से यह सुनिश्चित होता है कि यह शीघ्रता से आगे बढ़े और कॉर्पोरेट ऋणी के प्रबंधन को अपनी सुरक्षा का दुरुपयोग करने से रोका जा सके। रूपांतरण के लिए आदेश पारित करते समय, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण यह भी तय करेगा कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया किस चरण से आरंभ होगी इसके अतिरिक्त, वह तदनुसार ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान पेशेवर को अंतरिम समाधान वृत्तिक या कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिए समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त करेगा, धारा 14 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, और घोषित करेगा कि ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान होने वाली लागत को दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उप-धारा (2) में उपबंध है कि लेनदारों की समिति, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय, लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित करने का निर्णय ले सकती है

और समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण प्रक्रिया को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में परिवर्तित करने के लिए एक आदेश पारित करेगा। उप-धारा (3) स्पष्ट करती है कि जहां इस धारा के अधीन रूपांतरण का कोई आदेश पारित किया जाता है, इसे संहिता की धारा 7 के अधीन एक आदेश माना जाएगा, परिवर्जन संव्यवहार या धोखाधड़ी या गलत व्यापार या धारा 47 के अधीन आरंभ की गई कार्यवाही जारी रहेगी। परिवर्जन संव्यवहार का निर्धारण करने के लिए लेनदार द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि को सुसंगत अवधि में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रूपांतरण आदेश पारित करते समय, निर्णायक प्राधिकरण, ऋणदाता द्वारा आरंभ की गई दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनकी उपयुक्तता के आधार पर, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया किस चरण में आरंभ होगी, यह तय करेगा। यह निर्णय लेते समय, वह ऋणदाताओं की समिति की किसी भी सिफारिश को ध्यान में रख सकता है, यदि वे उसे प्रदान करना चाहें।

ix. धारा 58ठ के अधीन की गई सार्वजनिक घोषणा को वापस लेने की प्रक्रिया और लेनदार प्रवृत्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया को बंद करने के लिए अधिकथित करती है । उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी लेनदारों की समिति के नब्बे प्रतिशत मतदान भाग के अनुमोदन के साथ समाधान वृत्तिक द्वारा किए गए किसी आवेदन पर लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया को बंद कर सकेगा । उपधारा (2) उपबंध करती है कि लेनदारों की समिति के गठन के पूर्व और समाधान वृत्तिक द्वारा जारी किए गए किसी समाधान योजना को प्रस्तुत करने के लिए पहले आमंत्रण के पश्चात् कोई सार्वजनिक घोषणा वापस नहीं की जाएगी । उपधारा (3) उपबंध करती है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करेगा ।

x. धारा 58ञ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया का उपबंध करती है । उपधारा (1) उपबंध करती है कि जहां लेनदार समिति मतदान भाग के छियासठ प्रतिशत से अनधिक मतदान द्वारा किसी समाधान योजना का अनुमोदन किया जाता है, समाधान वृत्तिक धारा 58 ङ की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट रिर्पोट के साथ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को अनुमोदित समाधान योजना प्रस्तुत करेगी और समाधान योजना धारा 29क और धारा 30 की अपेक्षाओं के अनुपालन में फाइल की जाती है । रिपोर्ट न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से दी जाएगी जब समाधान योजना का अनुमोदन न्यायनिर्णयन के संवर्धन को सुनिश्चित करता हो । उपधारा (2) उपबंध करती है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी धारा 31 के अनुसार आदेश पारित करेगा, जो लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए यथाशक्य परिवर्तन सहित लागू होगी और समाधान योजना इस प्रक्रिया के दौरान पारित की जाएगी, जो कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान अनुमोदित की गई हो । समाधान योजना के अनुमोदन के लिए अनुरोध पर विचार करते समय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की सीमित अधिकारिता होगी, जो कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान धारा 31 के अधीन उसकी अधिकारिता है, प्रक्रियात्मक अनुपालन को सुनिश्चित करेगी ।

xi. धारा 58ट उपबंध करती है कि संहिता के भाग 2 के कतिपय उपबंध समुचित उपांतरणों के साथ लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए यथाशक्त रूप से लागू होंगे । तथापि, बोर्ड शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है और पर्याप्त आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए ब्यौरे प्रकिया की स्थापना हेतु शर्तों और

प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को सुनिश्चित करता है ।

विधेयक का खंड 41 बोर्ड, जिसके भीतर स्वैच्छिक समापन पूर्ण कर लिया जाता है, द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संहिता की धारा 59 का संशोधन करने के लिए है, जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी । यह उपबंध किया जाता है कि धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित किसी कंपनी की आस्तियों के मूल्य की रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की जाएगी । तथापि, कतिपय मामलों में स्वैच्छिक परिसमापक के समाप्ति के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया जाता है । ऐसे दृश्य लेख, जहां ऐसे अवसान को चेतावनी दी सकती है । दृष्टांत के लिए कारबार अवसर प्रदान किए जाएंगे, जो कारपोरेट व्यक्ति के लाभ योग्य या स्वैच्छिक परिसमापक प्रक्रिया को आरंभ करने के पश्चात् लाभप्रद होगा । इस कार्य के लिए स्वैच्छिक परिसमापक प्रकिया के आरंभ करने की प्रक्रिया के लिए ऐसे समान अवसान को करने के लिए सुप्रभावी बनाता है ।

यह संहिता की धारा 38 से धारा 42 के लोप होने के कारण धारा 59 की उपधारा (6) का भी संशोधन करने के लिए है, जो दावों के समेकन, सत्यापन प्रवेश या अस्वीकृति और परिनिर्धारण के लिए है । धारा 18 के खंड (ख) के प्रतिनिर्देश को अंत:स्थापित किया गया है, जो यथा आवश्यक ऐसे उपांतरणों के साथ स्वैच्छिक परिसमापक को लागू होंगे । यह स्पष्ट किया जाता है कि संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन धारा 38 से धारा 42 का लोप किया जाना, दावों के सत्यापन तथा उनके मूल्यों का परिनिर्धारण के लिए परिसमापकों की शक्तियों और कर्तव्यों को प्रभावित नहीं करती है । समाधान दावे के आमंत्रण और विचार के लिए व्याप्त प्रक्रिया का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 42 संहिता के भाग 2 में "समूह दिवाला" नामक नए अध्याय 5क को अंत:स्थापित करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार को भाग 2 के अधीन दिवाला प्रक्रिया और परिसमापक प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए रीति और शर्तों से संबंधित नियम बनाने के लिए समर्थ बनाती है, जहां समूह इन प्रक्रियाओं को समूह के भाग के रूप में दो या अधिक कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध आरंभ की जाती है । समूह दिवाला कार्यबल मूल्य की अधिकता के लिए समूह के भाग कारपोरेट ऋणी के लिए दिवाला समाधान और परिसमापक प्रकिया के मध्य समन्वय के संवर्धन को सुकर बनाएगी । इन साधारण शक्तियों के अतिरिक्त विषय मामले पर एक सूची, जिस पर केंद्रीय सरकार नियम बना सकेगी, जो इस कार्यबल के क्रियान्वयन को गाइड करने के लिए उपबंध करता है । यह अन्य वस्तुओं के मध्य समूह समन्वयक की नियुक्ति करने के लिए है, जो संसूचना, शेयर की जाने वाली सूचना और प्रक्रियाओं का संरेखित करने के लिए है । समन्वय भाग लेने वाले कारपोरेट ऋणी और उनके लेनदारों की समिति के मध्य किसी करार के माध्यम से किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, एक सामान्य न्यायपीठ और प्रक्रियात्मक समन्वय के लिए भी गठित की जा सकेगी ।

इसके अतिरिक्त, ऐसी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ इस ढाँचे के कार्यान्वयन के लिए संहिता के विद्यमान उपबंधों में परिवर्तन की अपेक्षा होगी और केंद्रीय सरकार को ऐसे उपांतरण करने का समुचित अधिकार है । इसके अतिरिक्त, इस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों के जारी होने से पहले जारी किए जाने वाले प्रत्येक नियम का प्रारूप इस अध्याय में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

विधेयक के खंड 43 में संहिता के भाग 2 के अध्याय 6 में एक नई धारा 64क को अंत:स्थापित करने का उपबंध है, जो संहिता के भाग 2 के अधीन न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष तुच्छ या तंग करने वाली कार्यवाही शुरू करने के लिए एक शास्ति की शुरुआत करती है, जिससे व्यक्तियों

को ऐसी कार्यवाही शुरू करने से रोका जा सके और दिवाला समाधान और परिसमापन प्रक्रियाओं में देरी हो सके ।

विधेयक का खंड 44, "लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया" शीर्षक वाले अध्याय "क" को सम्मिलित करके संहिता की धारा 65 में संशोधन करने का प्रयास करता है । इस धारा के अंतर्गत शास्ति उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया को कपटपूर्वक या द्वेष या किसी व्यक्ति को धोखा देने के आशय से आरंभ करता है ।

विधेयक का खंड 45 कपटपूर्ण या गलत व्यापार से संबंधित संहिता की धारा 66 में संशोधन करने का प्रयास करता है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया के दौरान इस धारा के अधीन आवेदन दायर करने की भी अनुमति है ।

विधेयक का खंड 46, "लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया" शीर्षक वाले भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 4क को सम्मिलित करने के कारण संहिता की धारा 67क में संशोधन का प्रयास करता है । इस धारा के अंतर्गत दंड, लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कारपोरेट ऋणी के अधिकारियों पर भी लागू होगा ।

विधेयक का खंड 47 संहिता की धारा 96 में एक नई उपधारा (4) जोड़ने का उपबंध करता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संहिता की धारा 96 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी कारपोरेट ऋणी के व्यक्तिगत गारंटीकर्ता के संबंध में शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन ऋणदाता या स्वयं ऋणी द्वारा किया जाता है ।

विधेयक का खंड 48 संहिता की धारा 99 की उपधारा (1) में संशोधन करके उस अवधि को इक्कीस दिन तक बढ़ाने का प्रयास करता है जिसके भीतर समाधान वृत्तिक धारा 94 या धारा 95 के अंतर्गत दायर आवेदन की जाँच करेगा और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । इसके अतिरिक्त, यह धारा 99 की उप-धारा (10) में संशोधन करके समाधान वृत्तिक को अपनी रिपोर्ट की एक प्रति ऋणी और लेनदार, दोनों को, जो कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, प्रदान करने की अपेक्षा प्रदान करता है । यह संशोधन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा क्योंकि कार्यवाही में ऋणी और लेनदार दोनों को रिपोर्ट के निष्कर्षों से अवगत कराया जाएगा, और यह न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने में सहायता करेगा ।

विधेयक का खंड 49, धारा 106 में एक नई उपधारा (1क) जोड़ने का प्रयास करता है, जो यह उपबंध करती है कि यदि दावा प्रस्तुत करने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर कोई पुन:भुगतान योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है, जैसा कि संहिता की धारा 105 के अंतर्गत अपेक्षित है, तो समाधान वृत्तिक न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, यदि संतुष्ट हो जाता है कि ऋणी निर्धारित अवधि के भीतर समाधान वृत्तिक के साथ मिलकर पुन:भुगतान योजना तैयार करने में विफल रहा है, तो प्रक्रिया को रोक देगा । प्रक्रिया की समाप्ति के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, ऋणी या लेनदार ऋणी के शोधन अक्षमता की घोषणा करने का हकदार होगा ।

इसके अतिरिक्त, इसमें धारा 106 में एक नई उपधारा (3क) जोड़ने का उपबंध है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पुन:भुगतान योजना किसी ऋणी द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की जा रही है, जो किसी कारपोरेट ऋणी का व्यक्तिगत गारंटर है, तो समाधान वृत्तिक के लिए नोटिस जारी करके पुन:भुगतान योजना पर विचार करने के लिए ऋणदाताओं की बैठक बुलाना आज्ञापक है ।

विधेयक का खंड 50 संहिता की धारा 121 में संशोधन करने का प्रयास करता है जिससे यह

स्पष्ट किया जा सके कि जब न्यायनिर्णयन प्राधिकरण धारा 106 की उपधारा (1क) के अनुसार पुन:भुगतान योजना तैयार न करने के कारण ऋणी की शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया को समाप्त करने का आदेश जारी करता है, तो कोई लेनदार व्यक्तिगत रूप से या अन्य लेनदारों या ऋणी के साथ संयुक्त रूप से ऋणी के शोधन अक्षमता के लिए आवेदन कर सकता है ।

विधेयक का खंड 51 संहिता की धारा 124 में एक नई उपधारा (4) जोड़ने का उपबंध करता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संहिता की धारा 124 के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी कारपोरेट ऋणी के व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन किसी ऋणदाता या स्वयं ऋणी द्वारा दायर किया जाता है ।

विधेयक का खंड 52, संहिता के भाग 3 के अंतर्गत व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता के लिए संहिता में एक नई धारा 164क को शामिल करने का प्रयास करता है, जो संहिता के भाग 2 के अंतर्गत धारा 49 के समान लेनदारों को धोखा देने वाले लेनदेन से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 53 संहिता की धारा 178 की उपधारा (1) के खंड (घ) में एक स्पष्टीकरण सम्मिलित करने का प्रयास करता है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि शोधन अक्षमता प्रारंभ तारीख से पहले की दो वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार की देनदारियों को धारा 178 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन प्राथमिकता के क्रम के अनुसार वितरित किया जाएगा, चाहे ऐसी राशि को सुरक्षित करने के लिए कोई सुरक्षा हित बनाया गया हो या नहीं । ऐसी देनदारियों को धारा 178 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के अधीन प्राथमिकता के उच्चतर क्रम के अनुसार वितरित नहीं किया जाएगा । शोधन अक्षमता प्रारंभ तारीख से पहले की दो वर्ष की अवधि के बाद, केंद्रीय और राज्य सरकार की कोई भी शेष देनदारियां धारा 178 की उपधारा (1) के खंड (ई) के अधीन प्राथमिकता के निम्नतर क्रम के अनुसार वितरित की जाएंगी ।

विधेयक का खंड 54 संहिता के भाग -2 के अध्याय 6 में एक नई धारा 183क अंत:स्थापन करके संहिता के भाग 3 के अधीन न्याय निर्णायाक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कोई तुच्छ या तंग करने वाली कार्यवाही आरंभ करने के लिए ऐसी कार्यवाहियां आरंभ करने और दिवाला और सोधन अक्षमता प्रक्रियाओं में देरी करने पर व्यक्तियों को भयोपरत करने हेतु शास्ति का आरंभ करने के लिए है ।

विधेयक का खंड़ 55 संहिता की धारा 196 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है जो दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के प्रतिनिर्देशों का प्रतिस्थापन इस उपबंध के विभिन्न खंड़ों में जहां कहीं भी आते है 'सेवा प्रदाता' शब्दों से करने के लिए है, चूंकि संहिता की धारा 3 में 'सेवा प्रदाता' की सामान्य परिभाषा अत:स्थापित की गई है । बोर्ड, सेवा प्रदाताओं की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रीकरण और अन्य मापदंड़ का उपबंध कर सकेंगा ।

यह धारा 196 की उपधार (1) खंड़ ग में एक स्पष्टीकरण भी अत:स्थापित करने के लिए है जिससे स्पष्ट किया जा सके की फीस या अन्य प्रभारों को उद्ग्रहण में इस संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा उद्ग्रहीत कोई फीस या अन्य प्रभार भी सम्मिलित होंगे ।

यह धारा 196 की उपधारा (1) में एक खंड़ (धक) अत:स्थापित करने के लिए है जिससे बोर्ड को संहिता के भाग-2 और भाग-3 के अधीन कार्य करने के दौरान लेनदारों और इसके सदस्यों की समिति के आचरण के मानकों को विनिर्दिष्ट किया जा सके ।

यह धारा 196 की उपधारा (1) में खंड़ (न) का संशोधन करने के लिए है जिससे **दिवाला और**

शोधन अक्षमता से संबंधित विनियम और मार्गनिर्देशों को बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त किया जा सके जो संहिता के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु अपेक्षित हो ।

विधेयक का खंड़ 56 भाग के अध्याय 4 2क के अधीन लेनदार प्रवर्तित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतःस्थापन के पारणामिक संहिता की धारा 208 की उपधारा (1) में खंड़ (गख) अंतःस्थापित किया जा सके ।

विधेयक का खंड़ 57 संहिता का धारा 214 के खंड़ (ङ) का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को सूचना उपयोगिता द्वारा प्राप्त सूचना के अधिप्रणमान हेतु प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की जा सके । विनियम सूचना के अधिप्रमाणन हेतु निगमित ऋणी या ऋणी के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया और समय-सीमा विनिर्दिष्ट करेगा ।

विधेयक का खंड़ 58 संहिता का धारा 215 का "सूचना उपयोगिताओं वित्तीय सूचना आदि को प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया शब्दों वाले पूर्व पार्श्व को "सूचना उपयोगिताओं को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना और उसका अधिप्रमाणन" शब्दों वाले पार्श्व से प्रतिस्थापित करके संशोधन करने के लिए है ।

यह धारा 215 की उपधारा (3) का भी संशोधन करने लिए है जिससे प्रचालक लेनदारों से संहिता की धारा 9 के अधीन आवेदन फाइल करने से पूर्व इस उपबंध के अधीन सूचना उपयोगिता को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सके । बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि इस उपबंध के अधीन सूचना प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रचारक लेनदारों हेतु सूचना उपयोगिता समुचित और सुविधाजनक प्रक्रियाएं अधिकथित करे ।

यह धारा 215 में एक नई उपधारा (4) भी अतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निगमित ऋणी या ऋणी, जिसके संबंध में धारा 215 के अधीन कोई सूचना प्रस्तुत की जाती है, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, सूचना को अधिप्रमाणित करेगा । निगमित ऋणी या ऋणी या तो प्रस्तुत सूचना से सहमत हो सकता है या उसे जोड़ सकता है या प्रस्तुत सूचना पर विवाद कर सकता है । (सहायक दस्तावेज भी प्रदान करे) । लेनदारों और निगमित ऋणी या ऋणियों द्वारा प्रस्तुत सूचना उपयोगिता में भंडारित की जाएगी जिस पर संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए न्याय निर्णायक प्राधिकारियों द्वारा भरोसा किया जा सकता है । निगमित ऋणी या ऋणी ऐसी भंडारित सूचना का प्रतिउत्तर नहीं देते तो प्रस्तुत सूचना अधिप्रमाणित समझी जाएगी और इसे बाद में सूचना पर विवाद करने से निरबंध किया जाएगा ।

विधेयक का खंड़ 59 संहिता की धारा 217 का संशोधन करने के लिए है जिससे जो दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के प्रतिनिर्देशों का प्रतिस्थापन इस उपबंध के विभिन्न खंड़ों में जहां कहीं भी आते है 'सेवा प्रदाता' शब्दों से किया जा सके, चूंकि संहिता की धारा 3 में 'सेवा प्रदाता' की सामान्य परिभाषा अतःस्थापित की गई है । इसलिए यह उपबंध 'सेवा प्रदाता' की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के व्यक्तियों को लागू होंगे ।

विधेयक का खंड़ 61 संहिता की धारा 219 को प्रतिस्थापित करने लिए है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि जहां बोर्ड निरीक्षण या अन्वेषण के पूर्ण होने पर या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, प्रथमदृष्टया यह राय रखता है कि धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त 220 हेतुक विद्यमान है, तो वह सेवा प्रदाता को उत्तर देने के लिए ऐसी अवधि का उपबंध करते हुए, ऐसी

रीति में, जो विहित की जाए, कारण बताओं सूचना जारी कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 62 संहिता की धारा 220 की उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करने के लिए है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि बोर्ड एक या एक से अधिक अनुशासनात्मक समितियों का गठन करेगा, जिनमें उसके अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य या कार्यकारी निदेशक के पद से अन्यून के अधिकारी शामिल होंगे। दिवाला और शोधन अक्षमता पारिस्थितिकी तंत्र में सेवाएँ प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, यह उपबंध किया गया है कि कार्यकारी निदेशक के पद से नीचे के अधिकारी अनुशासनात्मक समिति का हिस्सा हो सकेंगे । यह संहिता की धारा 220 में एक नई उप-धारा (1क) जोड़ने के लिए भी है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किसी सेवा प्रदाता को कारण बताओ नोटिस स्थायी अनुशासनात्मक समितियों में से किसी एक को भेजा जाए।

और, यह धारा 220 की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने के लिए है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि अनुशासन समिति सेवा प्रदाता के विरुद्ध सुनवाई का अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा एक या एक से अधिक कार्रवाइयां कर सकती है, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि अभिलेख पर शास्ति सामग्री के आधार पर ये कार्रवाइयां करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। इन कार्रवाइयों में शास्ति लगाना या रजिस्ट्रीकरण निलंबित करना या रद्द करना या धन वापसी का निर्देश हो सकता है। यह धारा 220 की उपधारा (3) में संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इस उपबंध के अधीन उल्लिखित राशि जुर्माना लगाने की एक ऊपरी सीमा है जिसके भीतर अनुशासन समिति उल्लंघन के लिए आनुपातिक जुर्माना राशि तय कर सकती है। इसके अतिरिक्त, जुर्माना लगाने की ऊपरी सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, यह धारा 220 की उप-धारा (4) और (5) में संशोधन करके अनुशासन समिति को वसूली का निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुशासन समिति, धारा 220 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कार्रवाई करते समय, सेवा प्रदाता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यह भी निर्धारित कर सकती है कि ऐसे विधि विरुद्ध लाभ या हानि से बचाव के बराबर राशि की वसूली का निर्देश दिया जाए या नहीं। उप-धारा (2) के अधीन आदेश द्वारा वसूली का निर्देश जारी होने के पश्चात्, अनुशासन समिति बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वसूली गई राशि की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए भी कार्रवाई करेगी।

इसके अतिरिक्त, यह धारा 220 में नई उप-धारा (7) और (8) को सम्मिलित करने के लिए है ताकि किसी व्यक्ति को अनुशासन समिति के आदेशों के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण में अपील करने में समर्थ बनाया जा सके।

विधेयक का खंड 63 संहिता की धारा 224 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जो संहिता के अंतर्गत व्यक्तियों के दिवालियापन समाधान, परिसमापन और दिवालियापन के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता निधि ('निधि') के गठन का उपबंध करता है। यह धारा 224 की उप-धारा (2) में एक नया खंड (अ) जोड़ने के लिए है, जो नियमों के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से निधि में रकम के अभिदाय की अनुमति देता है। यह धारा 224 की उप-धारा (3) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है ताकि केन्द्रीय सरकार निधि के उपयोग के लिए एक विस्तृत रूपरेखा निर्धारित कर सके। यह स्पष्ट करता है कि जिन व्यक्तियों ने इसमें अभिदाय किया है, उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार अन्य प्रयोजनों के लिए भी निधि का उपयोग निर्धारित कर सकती है।

विधेयक का खंड 64 संहिता की धारा 235क के स्थान पर एक नया उपबंध जोड़ने के लिए है,

जिससे न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, बोर्ड या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, संहिता के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर शास्ति लगा सकेगा। इसमें निचली और ऊपरी मौद्रिक सीमा का उपबंध है जिसके भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को इन उल्लंघनों के लिए आनुपातिक शास्ति लगाने का अधिकार है।

विधेयक का खंड 65 संहिता की धारा 239 की उपधारा (1) में संशोधन करने के लिए है ताकि केन्द्रीय सरकार संहिता के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सके न कि संहिता के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए । यह धारा 239 की उपधारा (2) में संशोधन करने के लिए है ताकि केन्द्रीय सरकार संहिता के उपबों में किए गए संशोधनों से संबंधित मामलों के लिए नियम बना सके।

विधेयक का खंड 66 संहिता की धारा 240 की उपधारा (1) में संशोधन करने के लिए है ताकि बोर्ड संहिता के उपबंधों को कार्यान्वित करने के बजाय संहिता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम बना सके। यह धारा 240 की उपधारा (2) में भी संशोधन करने के लिए है ताकि बोर्ड संहिता के उपबंधों में किए गए संशोधनों से संबंधित मामलों के लिए विनियम बना सके।

विधेयक का खंड 67, संहिता के भाग 5 में नई धाराओं 240ख और 240ग के अंतःस्थापन के लिए है, जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है:

धारा 240ख, केंद्रीय सरकार को अधिसूचना के द्वारा संहिता के अधीन इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल तथा दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं से संबंधित कार्यवाहियों के उपबंध के लिए सशक्त करता है, जो ऐसे इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल पर कार्यान्वित की जाएंगी।

संहिता की धारा 240ग, केंद्रीय सरकार को सीमापार दिवाला कार्यवाहियों से संबंधित नियम विहित करने के लिए तथा केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित देनदारों के ऐसे वर्ग या वर्गों तथा कॉरपोरेट देनदारों के लिए संहिता के अधीन सीमापार दिवाला कार्यवाहियों के प्रशासन और संचालन के लिए सशक्त करती है। यह भी उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन बनाए गए नियम, संहिता या कंपनी अधिनियम, 2013 के कोई उपबंध ऐसे अपवादों, उपांतरणों तथा अनुकूलन, जैसा प्रशासन के लिए अपेक्षित हो, लागू होंगे और इस धारा के उपबंधों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों को कार्यान्वित करेंगे, जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के व्यौहार के लिए एक या अधिक पीठ को अभिहीत किया जाना भी है। और, इससे पहले कि इस धारा के अधीन विरचित किए गए नियम जारी किए जाएं, जारी होने वाले प्रस्तावित प्रत्येक नियम का प्रारूप इस उपबंध में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों के समक्ष अधिकथित किया जाएगा।

विधेयक का खंड 68, संहिता की धारा 242 में नई उपधारा (1क) का अंतःस्थापन करने के लिए है, जिससे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन), 2025 के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए उद्भूत कठिनाईयों को दूर करने हेतु, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के अवसान से पूर्व राजपत्र में आदेश के प्रकाशन द्वारा, केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाया जा सके। केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 242 की उपधारा (2) के अधीन यथासंभवशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष अधिकथित किया जाएगा।

वित्तीय ज्ञापन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 के उपबंध, यदि अधिनियमित किया जाए, भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति के किसी व्यय को अंतवर्लित नहीं करता है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

खंड 65, केंद्रीय सरकार को संहिता के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार देता है। यह केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित विषयों के संबंध में भी नियम बनाने का अधिकार देता है, अर्थात्:-

(क) धारा 58ख की उपधारा (1) के अधीन शर्तें ;

(ख) धारा 58ग की उपधारा (1) के अधीन आपत्ति फाइल करने के लिए फीस ;

(ग) धारा 59क की उपधारा (1) के अधीन रीति और शर्तें ;

(घ) धारा 224 की उपधारा (2) के खंड (ड.) के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता निधि में जमा की जाने वाली रकम के अन्य स्रोत ;

(ङ) धारा 224 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रयोजन ;

(च) धारा 224 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन अन्य प्रयोजन और रीति; और

(छ) धारा 240ग की उपधारा (1) के अधीन रीति और शर्तें ।

2. विधेयक का खंड 66 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (बोर्ड) को संहिता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह बोर्ड को निम्नलिखित मामलों के संबंध में विनियम बनाने का भी अधिकार देता है, अर्थात्:-

(क) धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अधीन अन्य जानकारी;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन अन्य दस्तावेज या कोई अन्य जानकारी ;

(ग) धारा 12क की उपधारा (1) के अधीन रीति ;

(घ) धारा 18 के खंड (ख) के अधीन रीति ;

(ड.) लेनदारों का कोई अन्य वर्ग या वर्ग जो धारा 21 की उपधारा (11) के परन्तुक के अधीन लेनदारों की समिति की बैठकों में उपस्थित हो सकेगा;

(च) धारा 28क की उपधारा (1) के अधीन रीति और शर्तें ;

(छ) खंड (खक) के अधीन समाधान योजना के पक्ष में मतदान न करने वाले वित्तीय लेनदारों के ऋणों के भुगतान की रीति, खंड (घ) के अधीन समिति के गठन की शर्तें और रीति तथा धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन समाधान योजना के लिए आवश्यक अन्य अपेक्षाएं;

(ज) धारा 31 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन प्ररूप, रीति और शर्तें ;

(झ) धारा 33 की उपधारा (1क) के अधीन कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को बहाल करने के लिए ऋणदाताओं की समिति द्वारा आवेदन करने की रीति और शर्तें तथा बहाल कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की रीति और

शर्तें ;

(ञ) धारा 33 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन शर्तें ;

(ट) वह अवधि जिसके भीतर और वह रीति जिससे ऋणदाताओं की समिति प्रस्तावित समाधान वृत्तिक या परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक का नाम न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजेगी, धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन समाधान वृत्तिक से लिखित सहमति का प्ररूप और खंड (ख) के अधीन दिवाला वृत्तिक से लिखित सहमति का प्ररूप;

(ठ) धारा 34 की उपधारा (6) के अधीन दिवाला वृत्तिक से लिखित सहमति का प्ररूप ;

(ड) धारा 34 की उपधारा (8) के अधीन परिसमापन कार्यवाहियों के संचालन के लिए फीस और परिसमापन संपदा आस्तियों के मूल्य के अनुपात ;

(ढ) धारा 34क की उपधारा (1) के अधीन लिखित सहमति देने के लिए प्ररूप ;

(ण) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन लेनदारों के दावों की अद्यतन सूची बनाए रखने की रीति ;

(त) वह रीति जिससे लेनदारों की समिति धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया के संचालन का पर्यवेक्षण करेगी;

(थ) धारा 52 की उपधारा (8) के अधीन रीति, अवधि और शर्तें;" ;

(द) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन विक्रय की आय के वितरण की अवधि और रीति ;

(ध) धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के स्पष्टीकरण के अधीन प्रतिभूति हित के मूल्य का निर्धारण करने की रीति ;

(न) वह रीति जिससे परिसमापक धारा 54 की उपधारा (1) के अधीन कारपोरेट ऋणी के विघटन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करेगा:

(प) धारा 54 की उपधारा (1क) के अधीन रीति और शर्तें ;

(फ) धारा 54 की उपधारा (1ख) के अधीन रीति और शर्तें ;

(ब) धारा 54 की उपधारा (2क) के परन्तुक के अधीन रीति ;

(भ) धारा 54ग की उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली सूचना ;

(म) धारा 58ख की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन रीति, खंड (ख) के अधीन प्ररूप और रीति, तथा खंड (ग) के अधीन रीति;

(य) धारा 58ख की उपधारा (4) के अधीन अवधि, प्ररूप और रीति ;

(यक) धारा 58ग की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप और रीति;

(यख) धारा 58ङ के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने का रीति और शर्तें;

(यग) धारा 58ङ के खंड (ग) के अधीन तैयार की जाने वाली रिपोर्ट का प्ररूप, खंड (च) के अधीन बोर्ड के समक्ष फाइल की जाने वाली रिपोर्ट और

दस्तावेज, तथा खंड (छ) के अधीन निष्पादित किए जाने वाले ऐसे अन्य कर्तव्य;

(यघ) समाधान वृत्तिक के लिए बैठकों में उपस्थित होने और उपधारा (2) के अधीन अस्वीकार करने के अधिकार का प्रयोग करने की शर्तें और रीति तथा धारा 58च की उपधारा (3) के अधीन प्ररूप, रीति और अवधि;

(यड.) धारा 58छ की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन रीति;

(यच) वह प्ररूप और रीति जिसमें समाधान वृत्तिक धारा 58छ की उपधारा (3) के अधीन सार्वजनिक घोषणा करेगा;

(यछ) धारा 58ज की उपधारा (1) के उपखंड (ii) के अधीन रीति;

(यज) धारा 58ज की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप और रीति;

(यझ) धारा 58-झ की उपधारा (1) के अधीन रीति;

(यञ) धारा 58ट की उपधारा (2) के अधीन शर्तें और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं;";

(यट) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन अवधि

(यठ) धारा 59 की उपधारा (5क) के खंड (ग) के अधीन अन्य शर्तें;

(यड) धारा 59 की उपधारा (5ग) के अधीन अन्य परिणाम;";

(यढ) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (घक) के अधीन लेनदारों की समिति और उसके सदस्यों के आचरण के मानक ;

(यण) धारा 214 के खंड (ङ) के अधीन रीति;

(यत) धारा 215 की उपधारा (4) के अधीन रीति और अवधि; और

(यथ) धारा 219 के अधीन रीति और अवधि।

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे, और इस प्रकार के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 31) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * * *

(31) "प्रतिभूति हित" से किसी संव्यवहार द्वारा किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित या उसके लिए उपलब्ध सम्पत्ति में का अधिकार, हक या हित या कोई दावा अभिप्रेत है जो किसी बाध्यता के संदाय या पालन को प्रतिभूत करता है और इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की किसी बाध्यता के संदाय या पालन को प्रतिभूत करने वाला बंधक, प्रभार, आडमान, समनुदेशन और विल्लंगम या कोई अन्य करार या ठहराव भी है :

परन्तु प्रतिभूति हित के अंतर्गत कोई पालन प्रत्याभूति नहीं होगी;

* * * * * *

परिभाषाएं ।

5. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

* * * * * *

(2क) "आधार समाधान योजना" से धारा 54क की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन निगमित ऋणी द्वारा उपलब्ध कराई गई समाधान योजना अभिप्रेत है ;

* * * * * *

(11) "आरम्भ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको, यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार, वित्तीय ऋणी या प्रचालन लेनदार निगमित दिवाला संकल्प प्रक्रिया आरंभ करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कोई आवेदन करता है;

* * * * * *

(26) "समाधान योजना" से भाग 2 के अनुसार किसी चालू समुत्थान के रूप में निगमित ऋणी के दिवाला समाधान के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित योजना अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी समाधान योजना में निगमित ऋणी की पुन: संरचना करने के लिए उपबंध सम्मिलित हो सकेंगे, जिनके अंतर्गत विलयन, समामेलन और निर्विलयन के माध्यम से समाधान भी है ;

* * * * * *

(28) "मतदान भाग" से लेनदारों की समिति में किसी एकल वित्तीय लेनदार के मतदान अधिकार का भाग अभिप्रेत है, जो निगमित ऋणी द्वारा लिए जाने वाले वित्तीय ऋण के संबंध में ऐसे वित्तीय लेनदार को देय वित्तीय ऋण के अनुपात पर आधारित है ।

* * * * * *

वित्तीय लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का प्रारंभ ।

7. (1) * * * * *

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर या सूचना उपयोगिता के अभिलेखों से या उपधारा (3) के अधीन वित्तीय लेनदार के द्वारा दिए गए अन्य साक्ष्य के आधार पर किसी व्यतिक्रम की विद्यमानता को अभिनिश्चित करेगा :

परंतु यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने व्यतिक्रम की विद्यमानता को अभिनिश्चित नहीं किया है और ऐसे समय के भीतर धारा 5 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया है, तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणो को लेखबद्ध करेगा ।"

(5) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि–

(क) कोई व्यतिक्रम हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन पूर्ण है और प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं, तो वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को स्वीकार कर सकेगा;

(ख) व्यतिक्रम नहीं हुआ है और उपधारा (2) के अधीन आवेदन अपूर्ण है या प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, तो वह आदेश द्वारा ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा :

परन्तु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व इस संबंध में आवेदक को, सूचना न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से ऐसी सूचना की प्राप्ति के सात दिन के भीतर अपने आवेदन में त्रुटि का सुधार करने के लिए देगा ।

* * * * * *

प्रचालन लेनदार द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन ।

9. (1) * * * * *

(3) प्रचालन लेनदार आवेदन के साथ निम्नलिखित देगा–

* * * * * *

(ङ) यह पुष्टि करने वाला कोई अन्य सबूत कि निगमित ऋणी द्वारा किसी असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई संदाय नहीं किया गया है या ऐसी कोई अन्य जानकारी, जो विहित की जाए ।

* * * * * *

(5) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर आदेश द्वारा–

(i) आवेदन को स्वीकार करेगा और इस विनिश्चय से प्रचालन लेनदार तथा निगमित ऋणी को संसूचित करेगा, यदि–

(क) उपधारा (2) के अधीन किया गया आवेदन पूर्ण है;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई प्रतिसंदाय नहीं किया गया है;

(ग) निगमित ऋणी को संदाय के लिए बीजक या सूचना प्रचालन लेनदार द्वारा परिदत्त कर दी गई है;

(घ) विवाद की कोई सूचना प्रचालन लेनदार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है और सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई अभिलेख नहीं है; और

(ङ) उपधारा (4) के अधीन प्रस्तावित किसी समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, यदि कोई हो, लंबित नहीं है;

(ii) आवेदन को अस्वीकार करेगा और ऐसे विनिश्चय से प्रचालन लेनदार तथा निगमित ऋणी को संसूचित करेगा, यदि–

(क) उपधारा (2) के अधीन किया गया आवेदन अपूर्ण है;

(ख) असंदत्त प्रचालन ऋण का प्रतिसंदाय किया गया है;

(ग) लेनदार ने निगमित ऋणी को संदाय के लिए बीजक या सूचना का परिदान नहीं किया है;

(घ) प्रचालन लेनदार ने विवाद की सूचना प्राप्त की है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई अभिलेख है; या

(ङ) किसी प्रस्तावित समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है :

परन्तु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, खंड (ii) के उपखंड (क) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करने से पूर्व, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त करने के सात दिन के भीतर आवेदक को उसके आवेदन में इस त्रुटि को सुधारने के लिए सूचना देगा ।

* * * * * *

10. (1) * * * * *

निगमित आवेदक द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का आरंभ ।

(3) निगमित आवेदक, आवेदन के साथ निम्निलिखित से संबंधित जानकारी देगा,–

(क) ऐसी अवधि की अपनी लेखा बही और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, और

(ख) अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रस्तावित समाधान वृत्तिक ।

* * * * * *

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति से चौदह दिन की अवधि के भीतर आदेश द्वारा निम्नलिखित करेगा,–

(क) आवेदन को स्वीकार, यदि वह पूर्ण है;

(ख) आवेदन को अस्वीकार, यदि वह अपूर्ण है :

परन्तु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, किसी आवेदन को नामंजूर करने से पूर्व, आवेदक को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर उसके आवेदन में त्रुटियों को सुधारने के लिए सूचना देगा ।

* * * * * *

11. निम्नलिखित व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन करने के लिए हकदार नहीं होंगे, अर्थात् :–

व्यक्ति जो आवेदन करने के लिए हकदार नहीं ।

* * * * * *

(खक) कोई निगमित ऋणी जिसके संबंध में आवेदन करने की तारीख से

बारह मास पूर्व अध्याय 3क के अधीन कोई समाधान योजना अनुमोदित की गई है; या

* * * * * *

धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन ग्रहण किए गए आवेदन को वापस लेना ।

12क. न्यायनिर्णाक प्राधिकारी, लेनदारों की समिति के मतदान शेयर के नब्बे प्रतिशत के अनुमोदन के साथ आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 7, धारा 9 या धारा 10 के अधीन ग्रहण किए गए आवेदन को ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, वापस लेना अनुज्ञात कर सकेगा ।

* * * * * *

अधिस्थगन ।

14. (1) उपधारा (2) औश्र उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दिवाला प्रारंभ की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिस्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात् :–

* * * * * *

(3) उपधारा (1) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,–

* * * * * *

(ख) किसी निगमित ऋणी को गारंटी की संविदा में प्रतिभू ।

* * * * *

अंतरिम समाधान वृत्तिक की नियुक्ति और पदावधि ।

16. (1) * * * * *

(2) जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन, यथास्थिति, कोई वित्तीय लेनदार या निगमित ऋणी द्वारा किया जाता है, क्रमश: धारा 7 या धारा 10 के अधीन आवेदन में यथा प्रस्तावित समाधान वृत्तिक को अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ।

* * * * *

(4) बोर्ड, उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से किसी निर्देश की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को किसी ऐसे दिवाला वृत्तिक के नाम की सिफारिश करेगा, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं ।

* * * * *

अंतरिम समाधान वृत्तिक के कर्तव्य ।

18. अंतरिम समाधान वृत्तिक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

* * * * *

(ख) धारा 13 और धारा 15 के अधीन लोक आख्यापन के अनुसरण में उसके पास लेनदारों द्वारा प्रस्तुत सभी दावों को प्राप्त करना और मिलाना;

* * * * *

अंतरिम समाधान वृत्तिक को कार्मिकों के द्वारा सहयोग किया जाना ।

19. (1) निगमित ऋणी के कार्मिक संप्रवर्तक या निगमित ऋणी के प्रबंधतंत्र से कोई अन्य सहबद्ध व्यक्ति अंतरिम समाधान वृत्तिक को, जहां तक उसके द्वारा अपेक्षित हो, निगमित ऋणी के मामलों के प्रबंधन में समस्त सहायता और सहयोग देंगे ।

(2) जहां निगमित ऋणी के कार्मिक संप्रवर्तक या अंतरिम समाधान वृत्तिक की सहायता या सहयोग के लिए अपेक्षित कोई अन्य व्यक्ति निगमित ऋणी के मामलों के प्रबंध में सहायता या

उसे सहयोग नहीं करते हैं, तो अंतरिम समाधान वृत्तिक आवश्यक निदेशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(3) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त करने पर किसी आदेश द्वारा, ऐसे कार्मिक या अन्य व्यक्ति को समाधान वृत्तिक के अनुदेशों का अनुपालन करने का और सूचना एकत्रित करने में और निगमित ऋणी के प्रबंध में सहयोग करने का निदेश देगा ।

* * * * *

22. (1) * * * * * समाधान वृत्तिक की नियुक्ति ।

(3) उपधारा (2) के अधीन जहां लेनदारों की समिति का संकल्प–

(क) प्रस्तावित समाधान वृत्तिक से विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति के अधीन रहते हुए समाधान वृत्तिक के रूप में अंतरित समाधान वृत्तिक को जारी रखने का है वहां वह अंतरिम समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उसके इस विनिश्चय को संसूचित करेगी; या

* * * * *

25. (1) * * * * * समाधान वृत्तिक के कर्तव्य ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए समाधान वृत्तिक निम्नलिखित कार्रवाई करेगा, अर्थात् :–

* * * * *

(च) लेनदारों की समिति की सभी बैठकें आहूत करना और उनमें भाग लेना;

* * * * *

26. समाधान वृत्तिक द्वारा धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन परिवर्जन आवेदन फाइल किए जाने से, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की कार्यवाहियां प्रभावित नहीं होंगी । संव्यवहारों के परिवर्जन के लिए आवेदन का कार्यवाहियों को प्रभावित न करना ।

* * * * *

30. (1) * * * * * समाधान योजना को प्रस्तुत करना ।

(2) समाधान वृत्तिक उसको प्राप्त प्रत्येक समाधान योजना की परीक्षा यह पुष्टि करने के लिए करेगा कि प्रत्येक समाधान योजना–

* * * * *

(ख) प्रचालन लेनदारों के ऋणों के संदाय के लिए ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और जो,–

(i) धारा 53 के अधीन निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से ; या

(ii) ऐसी रकम से, जो ऐसे लेनदारों को उस समय संदत्त की गई होती, यदि समाधान योजना के अधीन वितरित की जाने वाली रकम को धारा 53 की उपधारा (1) में पूर्विकता के क्रमानुसार वितरित किया गया होता,

इनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगी और ऐसे वित्तीय लेनदारों के, जो समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं, ऋणों के संदाय के लिए, ऐसी रीति में उपबंध करती है, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जो निगमित ऋणी के परिसमापन की दशा में धारा 53 की

उपधारा (1) के अनुसार ऐसे लेनदारों को संदत्त की जाने वाली रकम से कम नहीं होगी ।

* * * * *

(घ) समाधान योजना का कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का उपबन्ध करती है;

* * * * *

समाधान योजना का अनुमोदन ।

31. (1) यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा अनुमोदित समाधान योजना धारा 30 की उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को अनुमोदित कर देगा जो निगमित ऋणी और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, प्रतिभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार या ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी भी है, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्भूत होने वाले शोध्यों के संदाय के संबंध में ऐसे प्राधिकारी के रूप में कोई ऋण देय हैं, जिनको कानूनी शोध्य देय होते हैं] प्रतिभूतिदाताओं और समाधान योजना में सम्मिलित अन्य पणधारियों पर बाध्यकारी होगी :

परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, इस उपधारा के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन का आदेश पारित किए जाने से पूर्व यह समाधान करेगा कि समाधान योजना में उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपबंध सम्मिलित हैं ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समाधान योजना उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि के अनुरूप नहीं है, तो वह आदेश द्वारा समाधान योजना को नामंजूर कर सकेगा ।

* * * * *

(4) समाधान आवेदक, उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुसरण में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथा उपबंधित ऐसी अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, उक्त विधि के अधीन अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा :

परंतु जहां समाधान योजना में, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 में यथानिर्दिष्ट संयोजन के लिए कोई उपबंध अन्तर्विष्ट है वहां समाधान आवेदक, लेनदारों की समिति द्वारा ऐसी समाधान योजना के अनुमोदन से पूर्व उस अधिनियम के अधीन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा । 2003 का 12

अध्याय 3

परिसमापन प्रक्रिया

परिसमापन का आरंभ ।

33. (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी,–

(क) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, यथास्थिति, दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि या धारा 12 के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने के लिए अनुज्ञात अधिकतम अवधि या धारा 56 के अधीन त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने से पूर्व धारा 30 के उपधारा (6) के अधीन कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं करता है; या

(ख) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन समाधान योजना को उसमें विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अननुपालन के लिए अस्वीकार कर देता है, वहां वह, –

* * * * *

(2) जहां समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान किंतु समाधान योजना की पुष्टि से पूर्व किसी समय निगमित ऋणी के परिसमापन के लिए लेनेदारों की समिति के ऐसे विनिश्चय को, जिसे मतदान शेयर के कम से कम छियासठ प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया गया है, न्यायनिर्णायक] प्राधिकारी को सूचित करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उपधारा (1) के खंड (ख) के (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह घोषणा की जाती है कि लेनदारों की समिति, धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन उसके गठन के पश्चात् और समाधान योजना के पुष्टिकरण से पूर्व किसी भी समय, जिसके अंतर्गत सूचना ज्ञापन तैयार करने से पूर्व का कोई समय भी है, निगमित ऋणी का परिसमापन करने का विनिश्चय कर सकेगी ।

(3) जहां संबंधित निगमित निगमित ऋणी द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 31 या धारा 54ठ की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित समाधान योजना का उल्लंघन किया जाता है, वहां निगमित ऋणी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हितों पर ऐसे उल्लंघन द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और खण्ड (iii) में यथानिर्दिष्ट किसी परिसमापन आदेश के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी यह अवधारित करता है कि निगमित ऋणी ने समाधान योजना के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो वह उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट परिसमापन आदेश पारित करेगा ।

(5) धारा 52 के अधीन रहते हुए जब कोई परिसमापन आदेश पारित किया गया है, निगमित ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी:

परंतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से निगमित ऋणी की ओर से समापक द्वारा कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।

(6) उपधारा (4) के उपबंध ऐसे संव्यवहारों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं, संबंध में विधिक कार्यवाहियों को लागू नहीं होंगे ।

* * * * *

समापक की नियुक्ति और उसे संदत्त की जाने वाली फीस ।

34. (1) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, धारा 33 के अधीन निगमित ऋणी के समापन का कोई आदेश पारित करता है, वहां समाधान वृत्तिक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए अध्याय 2 या अध्याय 3क के अधीन पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए नियुक्त समाधान वृत्तिक, जब तक उपधारा (4) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा बदला न जाए, समापन के प्रयोजनों के लिए समापक के रूप में कार्य करेगा ।

* * * * *

(3) निगमित ऋणी के कार्मिक, समापक की, जैसी भी निगमित ऋणी के कार्यकलापों के

प्रबंधन में उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, सभी प्रकार से सहायता और सहयोग करेंगे और धारा 19 के उपबंध स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे अंतरिम समाधान वृत्तिक के प्रतिनिर्देश के स्थान पर समापक के प्रतिनिर्देश के साथ परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में लागू होते हैं ।

(4) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा समाधान वृत्तिक को बदल देगा, यदि,–

(क) धारा 30 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को धारा 30 की उपधारा (2) में वर्णित अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होने के कारण नामंजूर कर दिया गया हो, या

(ख) बोर्ड ने, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से समाधान वृत्तिक को बदले जाने की सिफारिश की है; या

(ग) समाधान वृत्तिक उपधारा (1) के अधीन लिखित सहमति प्रस्तुत करने में असफल रहता है ।

(5) उपधारा (4) के खंड (क) और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, बोर्ड को समापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अन्य दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करने का निदेश दे सकेगा ।

(6) बोर्ड, उपधारा (5) के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा जारी निदेश के दस दिन के भीतर समाधान वृत्तिक द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में लिखित सहमति प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए अन्य दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करेगा ।

(7) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, समापक के रूप में किसी दिवाला वृत्तिक की नियुक्ति के लिए बोर्ड का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, आदेश द्वारा, ऐसे दिवाला वृत्तिक की समापक के रूप में नियुक्ति करेगा ।

* * * * *

समापक की शक्तियां और कर्तव्य ।

35. (1) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहते हुए, समापक की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) सभी लेनदारों के दावों का सत्यापन करना;

* * * * *

(ञ) इस संहिता के उपबंधों के अनुसार लेनदारों और दावेदारों को आमंत्रित करना और उनके दावों को तय करना तथा आगमों का वितरण करना;

* * * * *

(2) समापक को ऐसे पणधारियों में से किसी पणधारी से, जो धारा 53 के अधीन आगमों के वितरण का हकदार है, परामर्श करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसा कोई परामर्श समापक पर बाध्यकारी नहीं होगा:

परंतु यह और कि किसी ऐसे परामर्श के अभिलेख, ऐसे अन्य सभी पणधारियों के लिए, जिनसे इस प्रकार परामर्श नहीं किया गया है, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से उपलब्ध होंगे ।

* * * * *

36. (1) * * * * * समापन सम्पदा ।

(3) उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, समापन सम्पदा में सभी समापन सम्पदा आस्तियां समाविष्ट होंगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित सम्मिलित होंगी: –

* * * * *

(च) कोई आस्तियां या इस अध्याय के अनुसार संव्यवहारों के परिवर्जन की कार्यवाहियों के माध्यम से वसूल किया उनका मूल्य;

* * * * *

दावों का समेकन ।

38. (1) समापक, समापन प्रक्रिया के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लेनदारों के दावों को प्राप्त या संगृहीत करेगा ।

(2) कोई वित्तीय लेनदार, समापक को किसी सूचना उपयोगिता में के ऐसे दावे का अभिलेख उपलब्ध कराते हुए दावा प्रस्तुत कर सकेगा:

परंतु जहां दावे के संबंध में सूचना, सूचना उपयोगिता में अभिलिखित नहीं है, वहां वित्तीय लेनदार उसी रीति से दावा प्रस्तुत कर सकेगा, जो उपधारा (3) के अधीन प्रचालन लेनदार के लिए दावे प्रस्तुत करने के लिए यथा उपबंधित है ।

(3) कोई प्रचालन लेनदार, समापक को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा दावे को साबित करने के लिए अपेक्षित ऐसे समर्थनकारी दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकेगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) कोई ऐसा लेनदार, जो भागत: वित्तीय लेनदार और भागत: प्रचालन लेनदार है, समापक को अपने वित्तीय ऋण के विस्तार तक, ऐसी रीति से, जैसी उपधारा (2) में उपबंधित है और प्रचालन ऋण के विस्तार तक उपधारा (3) के अधीन उपबंधित रीति से, दावे प्रस्तुत करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन कोई लेनदार, अपने दावे को, उसके प्रस्तुत किए जाने के चौदह दिन के भीतर वापस ले सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा ।

दावों का सत्यापन ।

39. (1) समापक, ऐसे समय के भीतर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, धारा 38 के अधीन प्रस्तुत दावों का सत्यापन करेगा ।

(2) समापक, किसी लेनदार या निगमित ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति से कोई ऐसा अन्य दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह सम्पूर्ण दावे या उसके किसी भाग का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे ।

दावों का ग्रहण किया जाना या उनका नामंजूर किया जाना ।

40. (1) समापक, धारा 39 के अधीन दावों का सत्यापन करने के पश्चात्, यथास्थिति, संपूर्ण दावे को या उसके किसी भाग को या तो ग्रहण कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा:

परंतु जहां समापक किसी दावे को नामंजूर कर देता है, वहां वह ऐसे नामंजूर करने के कारणों को अभिलिखित करेगा ।

(2) समापक, लेनदारों और निगमित ऋणी के दावों को ऐसे ग्रहण किए जाने या उन्हें नामंजूर किए जाने के सात दिन के भीतर दावों को ग्रहण करने या उन्हें नामंजूर करने के बारे में संसूचित करेगा ।

दावों के मूल्यांकन का अवधारण ।

41. समापक, ऐसी रीति से, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 40 के अधीन ग्रहण किए गए दावों के मूल्य का अवधारण करेगा ।

समापक के विनिश्चय के

42. कोई लेनदार ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर दावों को नामंजूर या

विरुद्ध अपील ।

स्वीकार करने वाले परिसमापक के विनिश्चय के विरुद्ध न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

अधिमानी संव्यवहार और सुसंगत समय ।

43. (1) * * * * *

(4) कोई अधिमान किसी सुसंगत समय पर दिया गया समझा जाएगा, यदि, –

(क) वह दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष की अवधि के दौरान संबंधित पक्षकार (केवल कोई कर्मचारी होने के कारण से भिन्न) को दिया जाता है; या

(ख) कोई अधिमान, दिवाला प्रारंभ की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी संबंधित पक्षकार से भिन्न किसी व्यक्ति को दिया जाता है ।

* * * * *

परिवर्जनीय संव्यवहारों के लिए सुसंगत अवधि ।

46. (1) न्यून मूल्य पर किसी संव्यवहार के परिवर्जन के लिए किसी आवेदन में, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक यह संप्रदर्शित करेगा कि,–

(i) ऐसा संव्यवहार, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी व्यक्ति के साथ किया गया था;

(ii) ऐसा संव्यवहार, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो एक संबंधित पक्षकार है, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष की अवधि के भीतर किया गया था ।

* * * * *

न्यून मूल्यांकित संव्यवहारों के मामलों में लेनदार द्वारा आवेदन ।

47. (1) जहां कोई न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किया गया था और, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट नहीं की थी, वहां, यथास्थिति, निगमित ऋणी का लेनदार, सदस्य या भागीदार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहारों को शून्य घोषित करने तथा इस अध्याय के अनुसार उसके प्रभाव को उलटने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का, उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की परीक्षा करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि,–

(क) न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किए गए थे; और

(ख) यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक ने ऐसे संव्यवहारों की पर्याप्त सूचना होने या ऐसे संव्यवहारों की सूचना का उपयोग करने का पर्याप्त अवसर होने के पश्चात् भी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे संव्यवहार की रिपोर्ट नहीं की थी,

तो वह,–

(क) वैसी ही स्थिति, जो ऐसे संव्यवहारों से पूर्व विद्यमान थी, पुन:स्थापित करते हुए और धारा 45 तथा धारा 48 में यथा अधिकथित रीति से उनके प्रभाव को उलटते हुए,

(ख) बोर्ड से, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां प्रारंभ करने की अपेक्षा करते हुए,

आदेश पारित करेगा ।

* * * * *

लेनदारों को कपटवंचित करने संबंधी संव्यवहार।

49. जहां किसी निगमित ऋणी ने धारा 45 की उपधारा (2) में यथा निर्दिष्ट कोई न्यून मूल्यांकित संव्यवहार किया है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसे निगमित ऋणी द्वारा ऐसा संव्यवहार जानबूझकर,–

(क) निगमित ऋणी की आस्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति की, जो निगमित ऋणी के

विरुद्ध दावा करने का हकदार है, पहुंच से दूर रखने के लिए;

(ख) दावे के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, किया गया था, वहां निर्णायक प्राधिकारी,–

(i) वैसी ही स्थिति बहाल करने का, जैसी वह ऐसे संव्यवहार से पूर्व तब विद्यमान होती यदि वह संव्यवहार नहीं किया गया होता; और

(ii) ऐसे व्यक्तियों के हितों का, जो ऐसे संव्यवहारों से पीड़ित हैं, संरक्षण करने का, आदेश करेगा:

परंतु इस धारा के अधीन,–

(क) ऐसे आदेश से ऐसी संपत्ति में के किसी हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो निगमित ऋणी से भिन्न किसी व्यक्ति से अर्जित की गई थी और जो सद्भावपूर्वक मूल्यार्थ और सुसंगत परिस्थितियों की सूचना के बिना अर्जित की गई थी या जो ऐसे किसी हित से व्युत्पन्न किसी हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ख) जब तक वह संव्यवहार का पक्षकार न हो तब तक ऐसे आदेश में, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने सद्भावपूर्वक मूल्यार्थ और किसी धनराशि का संदाय करने के लिए सुसंगत परिस्थितियों की सूचना के बिना संव्यवहार से फायदा प्राप्त किया था, कोई अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार ।

50. (1) जहां कोई निगमित ऋणी किसी ऐसी उद्दापनात्मक प्रत्यय संव्यवहार का पक्षकार है, जिसमें दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व दो वर्ष के भीतर वित्तीय या प्रचालन ऋण की प्राप्ति अंतर्वलित है, वहां, यथास्थिति, समापक या समाधान वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को, यदि ऐसे संव्यवहार में निगमित ऋणी द्वारा अत्यधिक संदाय किया जाना अपेक्षित है, ऐसे संव्यवहार के परिवर्जन के लिए आवेदन कर सकेगा ।

* * * * *

समापन कार्यवाहियों में के प्रतिभूत लेनदार।

52. (1) * * * * *

(2) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार, उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रतिभूति हित को वसूल करता है, वहां वह ऐसे प्रतिभूति हित के समापक को सूचित करेगा तथा ऐसी आस्ति की पहचान करेगा, जिसके अधीन रहते हुए ऐसे प्रतिभूति हित का आपन किया जाना है ।

* * * * *

(8) ऐसे प्रतिभूत लेनदारों से, जिन्होंने इस धारा में उपबंधित रीति से अपने प्रतिभूत हितों को वसूल किया है, शोध्य दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत की रकम की ऐसे प्रतिभूत लेनदारों द्वारा किसी वसूली के आगमों से कटौती की जाएगी और वे ऐसी रकमों को समापन संपदा में सम्मिलित किए जाने के लिए समापक को अंतरित करेंगे ।

(9) जहां प्रतिभूत आस्तियों की वसूली के आगम, प्रतिभूत लेनदार को दिए गए ऋणों का प्रतिदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां, समापक द्वारा ऐसे प्रतिभूत लेनदार के असंदत्त ऋणों का संदाय धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा ।

आस्तियों का वितरण ।

53. (1) संसद् द्वारा या किसी राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समापन सम्पदा आस्तियों के विक्रय के आगमों का निम्नलिखित पूर्विकता क्रम में और ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो

विनिर्दिष्ट की जाए, वितरण किया जाएगा, अर्थात्:–

* * * * *

(ख) निम्नलिखित ऋणों को, जिन्हें निम्नलिखित के बीच समान रूप से श्रेणीबद्ध किया जाएगा:–

* * * * *

(ii) किसी प्रतिभूत लेनदार को उधार दिए गए ऋण, उस दशा में जब ऐसे प्रतिभूत लेनदार ने धारा 52 में उपवर्णित रीति से प्रतिभूति का त्याग कर दिया है;

* * * * *

(ङ) निम्नलिखित शोध्य राशियों को निम्नलिखित के बीच समान रूप से श्रेणीकृत किया जाएगा:–

(i) समापन प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पूरे दो वर्ष की अवधि या उसके किसी भाग के संबंध में राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को शोध्य कोई धनराशि, जिसके अन्तर्गत भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के लेखे में प्राप्त धनराशि भी है;

* * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन समतुल्य श्रेणी के प्राप्तकर्ताओं के मध्य किसी संविदाजात करार को यदि उससे उस उपधारा के अधीन पूर्विकता के क्रम में कोई विच्छिन्नता आती है, समापक द्वारा महत्व नहीं दिया जाएगा ।

* * * * *

निगमित ऋणी का विघटन ।

54. (1) जहां निगमित ऋणी की आस्तियों का पूर्ण रूप से परिनिर्धारण कर दिया गया है, वहां समापक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे निगमित ऋणी के विघटन के लिए आवेदन करेगा ।

* * * * *

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेश की प्रति, ऐसे आदेश की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जिसके पास निगमित ऋणी रजिस्ट्रीकृत है ।

अध्याय 3क

पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया

निगमित ऋणियों का पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र होना ।

54क. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे निगमित ऋणी के संबंध में आवेदन किया जा सकेगा जो धारा 4 में निर्दिष्ट व्यतिक्रम करता है कि,–

(क) उसने प्रारंभ की तारीख से तीन पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान, यथास्थिति, पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया नहीं की है या निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी नहीं की है ;

(ख) वह कोई निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया नहीं कर रहा है ;

* * * * *

54ग. (1) * * * * *

पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आवेदन ।

(3) निगमित आवेदक, आवेदन के साथ निम्नलिखित देगा–

(क) एक घोषणा, यथास्थिति, विशेष संकल्प या संकल्प और धारा 54क के निबंधनों में पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए वित्तीय लेनदारों का अनुमोदन प्रस्तुत करेगा ;

(ख) धारा 54क की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन यथा अनुमोदित समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित दिवाला वृत्तिक का नाम और लिखित सहमति ऐसे प्ररूप में जो विनिर्दिष्ट किया जाए तथा धारा 54ख की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट उसकी रिपोर्ट ;

(ग) ऐसे निगमित ऋणी के संबंध में उपबंधों की परिधि के भीतर हों किन्हीं संव्यवहारों, जो अध्याय 3 के अधीन संव्यवहारों के अपवंचन या अध्याय 4 के अधीन कपटपूर्ण या सदोष संव्यवहारों की विद्यमानता के बारे में ऐसे प्ररूप में जो विनिर्दिष्ट किया जाए, घोषणा ;

(घ) निगमित ऋणी की लेखाबहियों और ऐसी कालावधि जो विनिर्दिष्ट की जाए से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेजों से संबंधित सूचना ।

* * * * *

54च. (1) * * * * *

पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान दिवाला समाधान वृत्तिक के कर्तव्य और शक्तियां ।

(5) निगमित ऋणी के कार्मिक, उसके संप्रवर्तक और निगमित ऋणी के प्रबंधन से सहयुक्त कोई अन्य व्यक्ति, वृत्तिक समाधान को वह सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगा, जो उसके द्वारा उसके कर्तव्यों का पालन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित हो तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, धारा 19 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होंगे ।

* * * * *

54ठ. (1) * * * * *

समाधान योजना का अनुमोदन ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमोदन के आदेश का वही प्रभाव होगा जैसा धारा 31 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन उपबंधित है, जो इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा ।

(3) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि समाधान योजना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो वह ऐसी समाधान योजना की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर आदेश द्वारा समाधान योजना को नामंजूर कर सकेगा और धारा 54ढ़ के अधीन आदेश पारित कर सकेगा ।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने धारा 54ञ की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया है और यथास्थिति, धारा 54ट की उपधारा (4) या उपधारा (12) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के परिणामस्वरूप, किसी व्यक्ति के निगमित ऋणी के प्रबंध या नियंत्रण में परिवर्तन नहीं होता है, जो निगमित ऋणी या प्रवर्तक नहीं था प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था निर्णायक प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश पारित करेगा,–

* * * * *

(ख) पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया का पर्यवसान करने और धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट निगमित ऋणी के संबंध में समापन आदेश पारित करना ; और

* * * * *

54ढ. (1) * * * * *

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने धारा 54ञ की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित किया है और पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया का उपधारा (1) के अधीन पर्यवसान किया जाना अपेक्षित है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश पारित करेगा,–

(क) धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) में यथानिर्दिष्ट निगमित ऋणी के संबंध में परिसमापन; और

* * * * *

अध्याय 4

त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया

55. (1) इस अध्याय के अनुसार संपादित किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया कहा जाएगा ।

(2) त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित निगमित ऋणियों के संबंध में किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) किसी ऐसे स्तर से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, नीचे की आस्तियों और आय वाला निगमित ऋणी; या

(ख) लेनदारों के ऐसे वर्ग का या ऐसी रकम के ऋण वाला कोई निगमित ऋणी, जैसा केंन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए; या

(ग) निगमित व्यक्तियों का ऐसा अन्य प्रवर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

56. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी ।

(2) समाधान वृत्तिक, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को नब्बे दिन से परे त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन फाइल करेगा, यदि लेनदारों की समिति की बैठक में पारित और मतदान करने वाले शेयरों के पचहत्तर प्रतिशत मत द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा ऐसा करने के लिए अनुदेशित किया जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मामले की विषय-वस्तु ऐसी है कि मामूली त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया नब्बे दिन के भीतर पूरी नहीं हो सकती है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसी प्रक्रिया की अवधि को नब्बे दिन से ऐसी और अवधि तक बढ़ा सकेगा, जो वह ठीक समझता है, किंतु जो पैंतालीस दिन से अधिक नहीं होगी:

परंतु इस धारा के अधीन त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया का कोई विस्तार एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा ।

पूर्व-पैकेजीकृत दिवाला समाधान प्रक्रिया की समाप्ति ।

57. त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कोई आवेदन, यथास्थिति, किसी लेनदार या निगमित ऋणी द्वारा निम्नलिखित के साथ फाइल किया जा सकेगा:—

(क) व्यतिक्रम की विद्यमानता का ऐसा सबूत, जो सूचना उपयोगिता या ऐसे अन्य साधनों पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपलब्ध अभिलेख द्वारा साक्ष्यित है; और

(ख) ऐसी अन्य सूचना, जो बोर्ड द्वारा यह स्थापित करने के लिए विनिर्दिष्ट की जाए कि निगमित ऋणी त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र है ।

58. अध्याय 2 के अधीन किसी निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के संचालन की प्रक्रिया और अध्याय 6 के अधीन अपराधों और शास्तियों से संबंधित उपबंध इस अध्याय को लागू होंगे, जैसे कि संदर्भ में अपेक्षित है ।

अध्याय 5

निगमित व्यक्तियों का स्वेच्छया समापन

त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया ।

59. (1) * * * * *

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी निगमित व्यक्ति की स्वेच्छया समापन में ऐसी शर्तों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी निगमित व्यक्ति की स्वेच्छया समापन कार्यवाहियों में निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा, अर्थात्:–

* * * * *

(ख) उपखंड (क) के अधीन की गई घोषणा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :–

* * * * *

(ii) कंपनी की आस्तियों के मूल्यांकन की रिपोर्ट, यदि कोई हो, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा तैयार की गई हो;

* * * * *

(4) कंपनी, यथास्थिति, ऐसे संकल्प के सात दिन के भीतर या लेनदारों के पश्चात्वर्ती अनुमोदन पर, कंपनी के समापन के लिए उपधारा (3) के अधीन संकल्प के बारे में कंपनी रजिस्ट्रार और बोर्ड को अधिसूचित करेगी ।

* * * * *

(6) अध्याय 3 की धारा 35 से धारा 53 और अध्याय 7 के उपबंध, निगमित व्यक्तियों को स्वेच्छया समापन कार्यवाहियों के लिए ऐसे उपांतरणों के साथ, जो आवश्यक हों, लागू होंगे ।

* * * * *

त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने संबंधी समयावधि ।

65. (1) * * * * *

(3) यदि कोई व्यक्ति पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करता है -

(क) कपटपूर्वक या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी अन्य उद्देश्य के लिए, दिवाला समाधान; या

(ख) किसी व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से,

न्यायिक प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकता है जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन एक करोड़ रुपये तक हो सकता है।

* * * * *

त्वरित निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने की रीति ।

66. (1) यदि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया के दौरान यह पाया जाता है कि निगमित ऋणी का कोई कारबार, निगमित ऋणी के लेनदारों को कपटवंचित करने या कोई कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए किया जा रहा है तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान वृत्तिक के आवेदन पर एक आदेश पारित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी रीति से कारबार चलाने वाले पक्षकारों को जानते थे, निगमित ऋणी की आस्तियों के लिए ऐसे अभिदाय करने के दायी होंगे, जो वह ठीक समझे ।

(2) निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा किए गए आवेदन पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि निगमित ऋणी का, यथास्थिति, निदेशक या भागीदार निगमित ऋणी की आस्तियों के लिए ऐसा अभिदाय करने के दायी होगा, जो वह ठीक समझे, यदि–

* * * * *

प्रि पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणी का कपटपूर्ण प्रबंधन ।

67क. पूर्व-निर्धारित दिवाला प्रारंभ तिथि को और उसके बाद, जहां कॉर्पोरेट ऋणी का कोई अधिकारी कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों को धोखा देने के इरादे से या किसी धोखाधड़ीपूर्ण उद्देश्य से उसके मामलों का प्रबंधन करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, समाधान पेशेवर के आवेदन पर, ऐसे किसी अधिकारी पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित कर सकता है, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन एक करोड़ रुपये तक हो सकता है ।

* * * * *

समाधान वृत्तिक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

99. (1) समाधान वृत्तिक, यथास्थिति, धारा 94 या धारा 95 में निर्दिष्ट आवेदन की अपनी नियुक्ति के दस दिन के भीतर परीक्षा करेगा और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को या तो आवेदन को स्वीकार करने की या अस्वीकार करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

* * * * *

(10) समाधान वृत्तिक उपधारा (7) के अधीन रिपोर्ट की प्रति, यथास्थिति, ऋणी या लेनदार को देगा ।

प्रतिसंदाय योजना पर समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट ।

106. (1) * * * * *

(4) उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए–

(क) वह तारीख, जिसको बैठक आयोजित की जाएगी, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से चौदह दिन से अन्यून और अट्ठाईस दिन से अधिक नहीं होगी;

(ख) समाधान वृत्तिक लेनदारों की बैठक की तारीख और स्थान नियत करते समय लेनदारों की सुविधा का भी ध्यान रखेगा ।

* * * * *

अध्याय 4

व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों के लिए शोधन अक्षमता आदेश

शोधन अक्षमता के लिए आवेदन ।

121. (1) किसी ऋणी की शोधन अक्षमता के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवेदन लेनदार द्वारा व्यष्टिक रूप से या अन्य लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से या ऋणी द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकेगा, अर्थात्:–

* * * * *

(ग) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा धारा 118 की उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है ।

* * * * *

ऋणों के संदाय की पूर्विकता ।

178. (1) तत्समय प्रवृत्त संसद् या राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अंतिम लाभांश के वितरण में निम्नलिखित ऋण सभी अन्य ऋणों से पूर्विकता के क्रम में संदत्त किए जाएंगे–

* * * * *

(घ) चौथा, शोधन अक्षमता प्रारम्भ की तारीख से पूर्व दो वर्ष की पूरी अवधि या उसके किसी भाग की बाबत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को देय रकम, जिसके अन्तर्गत भारत की संचित निधि और किसी राज्य की संचित निधि, यदि कोई हो, के लेखे में प्राप्त रकम भी है;

* * * * *

अध्याय 2

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

196. (1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के साधारण निदेशों के अध्यधीन निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:–

(क) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं को रजिस्टर करेगा और उनके रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत, प्रत्याहृत, निलंबित या रद्द करेगा;

(कक) इस संहिता के प्रयोजनों को अग्रसर करने में दिवाला वृत्तिकों, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों और सूचना उपयोगिताओं तथा अन्य संसथाओं के कार्यकरण और व्यवहारों के विकास का संवर्धन करेगा तथा उनका विनियमन करेगा;

(ख) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए न्यूनतम पात्रता अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करेगा;

(ग) इस संहिता के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण करेगा, जिनके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण और उसके नवीकरण हेतु फीस भी है ।

(घ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कार्यकरण के लिए विनियमों द्वारा मानक विनिर्दिष्ट करेगा;

(ङ) दिवाला वृत्तिकों के, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों के सदस्यों के रूप में नामांकन के लिए परीक्षा हेतु विनियमों द्वारा न्यूनतम पाठ्यचर्या अधिकथित करेगा;

(च) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के सम्बन्ध में निरीक्षण और अन्वेषण करेगा तथा ऐसे आदेश पारित करेगा, जो इस संहिता और तद्धीन जारी किए गए विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन के लिए अपेक्षित हों;

(छ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कार्यपालन की मानीटरी करेगा और ऐसे निदेश पारित करेगा, जो इस संहिता और तद्धीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन के लिए अपेक्षित हों;

(ज) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं से किसी सूचना और अभिलेखों की मांग करेगा;

* * * * *

(त) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा;

(थ) दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के विरुद्ध शिकायतों के समाधान के लिए तंत्र विनिर्दिष्ट करेगा और इस संहिता तथा तद्धीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन के लिए पूर्वोक्त के विरुद्ध फाइल की गई शिकायतों से सम्बन्धित आदेश पारित करेगा;

(द) ऐसे अंतरालों पर, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं के कृत्यों और कार्यपालन के सम्बन्ध में आवधिक अध्ययन, अनुसंधान और उनकी लेखापरीक्षा करेगा;

* * * * *

(न) इस संहिता के अधीन यथा अपेक्षित दिवाला और शोधन अक्षमता से सम्बन्धित मामलों पर विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएगा, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, निगमित ऋणी या ऋणी की आस्तियों के समयबद्ध व्ययन के लिए तंत्र भी है; और

* * * * *

सूचना उपयोगिता की बाध्यताएं ।

214. प्रत्येक सूचना उपयोगिता, किसी व्यक्ति को कोर सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए:–

* * * * *

(ङ) विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त सूचना को, ऐसी सूचना का भंडारण करने से पूर्व सभी संबद्ध पक्षकारों से अधिप्रमाणन कराएगी ;

* * * * *

वित्तीय सूचना को प्रस्तुत करने आदि के लिए प्रक्रिया ।

215. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सूचना उपयोगिता को कोई वित्तीय सूचना प्रस्तुत करने का आशय रखता है या सूचना उपयोगिता की किसी सूचना तक पहुंच बनाना चाहता है, ऐसी फीस का संदाय करेगा और ऐसे प्ररूप तथा रीति में सूचना प्रस्तुत करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

* * * * *

(3) कोई प्रचालन लेनदार वित्तीय सूचना को सूचना उपयोगिता को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रस्तुत कर सकेगा जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

* * * * *

अध्याय 6

निरीक्षण और अन्वेषण

दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता के विरुद्ध शिकायतें ।

217. किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता के कार्यकरण से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, बोर्ड को कोई शिकायत फाइल कर सकेगा ।

दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके

218. (1) जहां बोर्ड के पास, धारा 217 के अधीन किसी शिकायत की प्राप्ति पर या यह

विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबन्धों का या बोर्ड द्वारा उसके अधीन जारी निदेशों का उल्लंघन किया है तो वह किसी भी समय लिखित में आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या किसी दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण या अन्वेषण करने के लिए अन्वेषक प्राधिकारी के रूप में कार्य करने का निदेश दे सकेगा ।

सदस्यों या सूचना उपयोगिता का अन्वेषण ।

* * * * *

219. बोर्ड, धारा 218 के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के समाप्त होने पर, ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता को कारण बताओ सूचना जारी कर सकेगा और ऐसी रीति में तथा उत्तर देने के लिए ऐसा समय प्रदान करते हुए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण कर सकेगा ।

दिवाला वृत्तिक अभिकरण या उसके सदस्यों या सूचना उपयोगिता को कारण बताओ सूचना जारी करना ।

220. (1) बोर्ड, धारा 218 की उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत अन्वेषक प्राधिकारी की रिपोर्टों पर विचार करने के लिए अनुशासन समिति का गठन करेगा:

अनुशासन समिति की नियुक्ति ।

परन्तु अनुशासन समिति में केवल बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य ही सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे ।

(2) अन्वेषक प्राधिकारी की रिपोर्ट की परीक्षा के पश्चात्, यदि अनुशासन समिति का यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारण विद्यमान हैं तो वह यथास्थिति, उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगी या दिवाला वृत्तिक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी या दिवाला वृत्तिक अभिकरण या सूचना उपयोगिता के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगी ।

(3) जहां किसी दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्तिक या किसी सूचना उपयोगिता ने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है वहां अनुशासन समिति ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी, जो–

* * * * *

परन्तु जहां ऐसी हानि या विधिविरुद्ध अभिलाभ की मात्रा को तय नहीं किया जा सकता, वहां अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की कुल रकम एक करोड़ से अधिक नहीं होगी ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में कोई क्रियाकलाप करके कोई विधिविरुद्ध अभिलाभ प्राप्त किया है या वह किसी हानि से बचा है तो वह ऐसे विधिविरुद्ध लाभ या निवारित हानि के समतुल्यक की रकम को वापस करेगा ।

(5) बोर्ड, ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस प्रकार वापस की गई किसी रकम से किसी उल्लंघन के कारण कोई हानि उठाई है, प्रत्यास्थापन उपलब्ध कराने के लिए यथापेक्षित कार्रवाई कर सकेगा, यदि ऐसे व्यक्ति की, जिसने ऐसी हानि उठाई है पहचान की जा सकती है और इस प्रकार उठाई गई हानि प्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति के कारण हुई है ।

* * * * *

प्रकीर्ण

दिवाला और शोधन अक्षमता निधि ।

224. (1) * * * * *

(2) इस निधि में निम्नलिखित रकमों को जमा किया जाएगा, अर्थात्:–

* * * * *

(ग) किसी अन्य स्रोत से निधि में प्राप्त की गई रकम; और

(घ) निधि में से किए गए विनिधान से प्राप्त ब्याज या अन्य आय ।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने निधि में किसी रकम का अभिदाय किया है, इस संहिता के अधीन किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति के सम्बन्ध में किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारम्भ किए जाने की दशा में, ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को निधि से, कार्मिकों को संदाय करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के संरक्षण के लिए, कार्यवाहियों के दौरान आनुषंगिक लागतों को चुकाने के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा अभिदाय की गई रकम से अनधिक रकम निकालने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

* * * * *

जहां कोई विनिर्दिष्ट शास्ति या दंड उपबंधित नहीं है वहां दंड ।

235क. यदि कोई व्यक्ति इस संहिता या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किन्हीं ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस संहिता में किसी शास्ति या दंड का उपबंध नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

* * * * *

नियम बनाने की शक्ति ।

239. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:–

* * * * *

(ङक) इस बात की पुष्टि करने वाला न्य सबूत कि निगमित ऋणी द्वारा असंदत्त प्रचालन ऋण का कोई संदाय नहीं किया गया है या धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन ऐसी कोई अन्य सूचना;

* * * * *

(यझ) धारा 224 की उपधारा (3) के अधीन वह प्रयोजन, जिनके लिए निधियों का आहरण करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा;

* * * * *

विनियम बनाने की शक्ति ।

240. (1) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा इस संहिता के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस संहिता और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किन्हीं के संबंध में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:–

* * * * *

(ज) धारा 10 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन कालावधि;

* * * * *

(ढ) खंड (क) के उपखंड (iv) के अधीन अन्य विषय और धारा 18 के खंड (छ) के अधीन अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कर्तव्य;

* * * * *

(ब) धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रिया लागतों का संदाय करने की रीति, खंड (ख) के अधीन ऋणों का संदाय करने की रीति और अन्य अपेक्षाएं जिनके अनुरूप समाधान योजना खंड (घ) के अधीन होगी;

(भ) धारा 34 की उपधारा (8) के अधीन समापन कार्यवाहियों के संचालन की फीस तथा समापन संपदा आस्तियों के मूल्य का अनुपात;

(म) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निगमित ऋणी की आस्तियों और संपत्ति का मूल्यांकन करने की रीति, खंड (च) के अधीन पार्सलों में संपत्ति विक्रय करने की रीति, खंड (ढ) के अधीन समापन प्रक्रिया की प्रगति की रिपोर्ट करने की रीति और खंड (ण) के अधीन निष्पादित किए जाने चाले अन्य कृत्य;

(य) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन अन्य पणधारियों को अभिलेख उपलब्ध कराने की रीति;

* * * * *

(यङ) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन दावा साबित करने के लिए प्रचालन लेनदार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समर्थनकारी दस्तावेजों का प्ररूप और रीति;

(यच) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसमें समापक दावों का सत्यापन करेगा;

(यछ) धारा 41 के अधीन दावों के मूल्य को अवधारित करने की रीति;

* * * * *

(यट) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन कालावधि और विक्रय के आगमों के वितरण की रीति;

* * * * *

(यटङ) धारा 54ग की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन दिवाला वृत्तिक की लिखित सहमति प्रदान करने के लिए प्ररूप, खंड (ग) के अधीन घोषणा का प्ररूप, लेखा बहियों से संबंधित जानकारी और खंड (घ) के अधीन ऐसी अवधि से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेज;

* * * * *

(यठ) धारा 57 के खण्ड (क) के अधीन अन्य साधन और खंड (ख) के अधीन अन्य सूचना;

(यड) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन शर्तें और प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं;

* * * * *

(यफ) धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (द) के अधीन अंतराल, जिसमें आवधिक अध्ययन, कार्यकरण का अनुसंधान और संपरीक्षा तथा दिवाला वृत्तिक अभिकरणों, दिवाला वृत्तिकों और सूचना उपयोगिताओं का कार्य निष्पादन और खण्ड (न) के अधीन आस्तियों के व्ययन के लिए तन्त्र;

* * * * *

(यययक) धारा 219 के अधीन दिवाला वृत्तिक अभिकरण या दिवाला वृत्विक या सूचना उपयोगिता का निरीक्षण करने की रीति और उत्तर देने के लिए समय;

* * * * *